राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का पांचवा दिवस [संख्या 5

शुक्रवार

दिनांक 24 मार्च, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्व श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सुरेन्द्र प्रसाद, केशरी मल, राजेन्द्रकुमार भारतीया तथा मोहन लाल छंगानी, सदस्य विधान सभा ने रामबाग पैलेस होटल को टाटा की फर्म इन्डियन होटल कम्पनी लि. द्वारा ले लिये जाने के कारण उक्त होटल के सभी कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मेरी दृष्टि में यह प्रश्न अविलंबनीय लोकमहत्व का नहीं है और इसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से भी नहीं है. अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी यदि सम्बन्धित माननीय सदस्य चाहें तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही बहस के अन्तर्गत अपने भाषणों में इसकी चर्चा कर सकते हैं।

सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, बीरबल तथा मनफूल राम, सदस्य विधान सभा ने सूरतगढ़ शहर में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मेरी समझ में इस प्रश्न पर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही बहस में चर्चा की जा सकती है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

दिनांक 22 मार्च, 1972 को सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल, मनोहरलाल तथा बृजेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये एक स्थगन प्रस्ताव पर जिसका सम्बन्ध राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में जनसंघ के

Page No.2

(श्री अध्यक्ष)

उम्मीदवार श्री महेन्द्र सिंह के चुनाव प्रचार में संलग्न श्री ओम प्रकाश राजोरिया, एडवोकेट की तथाकथित हत्या से है और सर्वश्री मोहम्मद गफ्फार अली द्वारा दिये गये एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर, जिसका सम्बन्ध जोधपुर शहर के एक चुनाव हल्के में पथराव होने के कारण उत्पन्न स्थिति से है, सदन को यह सूचित किया गया था कि इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, यह जानकारी प्राप्त हो गई है और इसके अवलोकन से प्रकट होता है कि यह दोनों प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं माननीय सदस्य यदि चाहें तो इन प्रश्नों पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही बहस के समय चर्चा कर सकते हैं, अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मैं चाहूंगा कि इन दोनों प्रश्नों पर माननीय मन्त्री कल तक एक वक्तव्य सदन में दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है उस से अधिक गम्भीर महत्व का प्रस्ताव कोई नहीं हो सकता। एक इजारेदार, जिसकी दस लाख रुपये रोज की आमदनी है, उसने महारानी से होटल मोल लेकर जिन सामन्तों को और राजाओं को हमने हटाया है, उसने 250 कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया है। अगर यही नीति राज्य की है कि एक रानी को खुली इजाजत दे दी जाये कि इस तरह से वह गरीबों को सेवा मुक्त कर दें तो इस राज्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं समझता हूं कि जितने भी प्रश्न हैं उससे अधिक गम्भीर प्रश्न यह है, सिद्धान्त का है और बहुत जरूरी प्रश्न है। इतना ही नहीं, इस प्रश्न के साथ कई प्रश्न जुड़े हुए हैं इस रामबाग पैलेस के अन्दर हत्यायें हुई हैं, सामन्तों ने गरीबों के खिलाफ साजिशें की हैं और इनको कोवेनेन्ट के तहत ट्रस्ट बना कर ले लेना चाहिए था। यह एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि 3॥ करोड़ की सरकार की चोरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके इस प्रश्न को सबसे पहले लिया जाये। इस प्रश्न में अनेकों प्रश्न लिपटे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इसका सीधा संबंध सरकार से नहीं है। हटाने वाली फर्म दूसरी है। उसका कोई उपाय हो सकता है तो आप सजेस्ट करें। नियमों के अन्तर्गत तो उस पर कार्यवाही की जायेगी लेकिन जहाँ तक एडजोर्नमेन्ट मोशन का सवाल है उसको मन्जूर नहीं किया गया है और मैंने कहा है कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर जितना चाहें उतना कह दें उसका उत्तर सरकार की तरफ से आ जायेगा।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में सदन में भी मसला उठाया था कि इस होटल के अन्दर किस प्रकार की कारगुजारियां हुई हैं और उसके बाद मर्डर हुआ, उसकी तफतीश हुई लेकिन वह तफतीश ढंग से नहीं हुई और हमारे सामने तथ्य नहीं आये। तो अध्यक्ष महोदय, यह मामूली प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि यह रामबाग होटल राजघराने के द्वारा चलाया जाता है और इस होटल के अन्दर राज के बड़े 2 अधिकारी पहुंचते हैं और व्यापारी पहुंचते हैं और वहां पर इस प्रकार के

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)

षडयन्त्र किये जाते हैं। और उसका मैनेजमेंट टाटा को दिया गया है तो गरीब और मजदूरों को बिना कारण के हटा दिया है तो यह बहुत ग्रहम प्रश्न हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न यह है राज्य सरकार किसी प्रकार से रास्ता निकाले और यह बात सदन के सामने नहीं रखे कि राज्य सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकार को इससे सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा और राज्य सरकार का दृष्टिकोण इस प्रकार का रहना चाहिए कि जिसमें जनहित की बात हो, ग्राम आदमी और गरीब आदमी के एम्पलायमेन्ट का सवाल हो। तो यहां, राज्य सरकार इससे सम्बन्ध जोड़े और इसकी जांच कराई जाये कि कितने करोड़ की टैक्स की चोरी हुई है। अभी मैनेजमेंन्ट को बदला गया है। मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जितने तथ्य राज्य सरकार के पास पहुंचे हों एम्पलायमेन्ट के सिलसिले में, मनेजमेन्ट को ट्रान्सफर करने के सिलसिले में, मर्डर के सिलसिले में-जितनी भी जानकारी सरकार के पास हो, उसको माननीय मन्त्री महोदय सदन को देने का कष्ट करें और अगर ग्राज नहीं हों तो समय मांगा जा सकता है लेकिन एक दिन बाद, दो दिन बाद इसकी जानकारी रखना जरूरी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम राजस्थान सरकार के पांच विभागों का इस प्रश्न से सम्बन्ध है। लेबर विभाग का, पुलिस का है। इस समय पुलिस जो कि पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, पूरी तरह से गायत्री देवी की मदद कर रही है। राज्य सरकार के कर्मचारी पूरी तरह गायत्री देवी की मदद कर रहे हैं। लेबर विभाग ने इस प्रश्न को मजाक बना दिया है...

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : थोड़ा बैठ जाइये।

श्री मनोहरलाल : मेरा निवेदन है कि विधान सभा भवन और रामबाग पैलेस ये दोनों ही जनता से सम्बन्धित नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन को अस्वीकार कर दिया है और उस पर विवाद नहीं होता, ऐसा हमारे रूल्स में है और हमारी परम्परायें भी रही हैं। अगर माननीय सदस्य इनका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए और एक दफा एडजोर्नमेन्ट मोशन रिफ्यूज कर दिया गया और कह दिया गया कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलें तो उस पर बोल सकते हैं लेकिन अभी कोई इस पर बहस नहीं होगी। कम से कम परम्परायें तो हमें रखनी ही होंगी, आप से सहयोग भी आवश्यक है और मैं फिर यही निवेदन करता हूं कि जो एडजर्नमेन्ट मोशन रिफ्यूज हो गया है उस पर आपको अवसर दिया गया है कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सहयोग आसन को मिलना चाहिए और सदन की जो परम्परायें

(श्री अध्यक्ष)

है उनका पालन होना चाहिये। अगर किसी मर्डर केस में इन्क्वायरी पूरी तरह से नहीं हुई है तो उसके लिए जो भी नियमों में कार्यवाही की जा सकती है करें, उसके लिए प्रश्न उठा सकते हैं या बहस में बोल सकते हैं।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको मालूम नहीं था कि अध्यक्ष महोदय साइलेन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : किसी सदन की परम्परा नहीं है कि चेयर जब बोल रही हो तो उसके बीच में आप बोलने लग जायें। जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे हों तो किसी भी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में नहीं है कि बीच में बोला जाये, इतना तो सीखना चाहिए कि चेयर बोल रही हो, बीच में बोलने लग जायें तो यह परम्परायें और नियमों की बात नहीं है। मुझे तो मौका ही नहीं आना चाहिए कि इतनी बात बोलनी पड़े मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों को नियम के तहत कार्य करना चाहिए, इस प्रकार नियमों की अवहेलना करना ठीक नहीं है। नियमों के अन्तर्गत ही जो कुछ सवाल उठाने हों वे उठावें, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अपने भाषण के समय इन बातों को उठा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नियमों के अन्दर, परम्पराओं के अन्दर रहते हुए, आपका सहयोग मिलना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि वह सहयोग आपसे मिलेगा वरना सदन की प्रतिष्ठा कैसे रहेगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यही जवाब राज्य सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया जाता है कि मैनेजमेंट के सम्बन्ध में राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, टाईटिल बदला है या मैनेजमेंट बदला है, क्या हुआ है ? जब चीफ मिनिस्टर साहब अपना जवाब दें तो उसके अन्दर यह आ जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस का यह क्लियर-कट प्रश्न है क्योंकि ········

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि आप थैंक्स मोशन पर जैसा चाहें बोल सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह अलग से प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन जब रिजेक्ट हो गया है तो फिर बोलना नहीं चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गवर्नर के भाषण के अन्दर सैद्धान्तिक प्रश्नों पर भाषण किए जाते हैं लेकिन यह कॉंक्रीट प्रश्न है जिसे एक सामन्त और एक इजारेदार ने पैदा किया है। इस मामले में चीफ मिनिस्टर को रिप्लाई देना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। इसमें बी. ए. डी. का प्रश्न है कोन्वेंट का प्रश्न है, कोन्वेंन्ट में क्या है, रामबाग ट्रस्ट है या डीड है, क्या है? स्टेम्प ड्यूटी की चोरी हुई है···

श्री अध्यक्ष : नियमों की तरफ ध्यान रखें माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर को उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : थैंक्स मोशन पर आप बोलिए, इसका जवाब मिलेगा । बात तो एक ही है ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, यही जवाब राज्य सरकार से दिलवा दें, इसमें क्या एतराज है ।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार की होटल तो है नहीं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : राज्य सरकार के विभाग इसमें इन्वोल्व्ड हैं । स्टेम्प ड्यूटी की चोरी हुई है । लेबर का मामला है । आखिर राज्य सरकार इसको क्यों टालना चाहती है कि हमारा सम्बन्ध नहीं है जब कि उन्हें लेबर्स को निकाल दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह विषय वादविवाद का नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर राज्य सरकार इस प्रकार क्यों चुप बैठना चाहती है ? एक तरफ कर्मचारियों का शोषण हो और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और यह कहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह कहां तक उचित है ? आखिर राज्य सरकार इस बारे में जानकारी दे सकती है । सदन की उत्तेजना को शांत कर सकती है, हमारी उद्विग्नता को शांत कर सकती है । आखिर यह साधारण मामला नहीं है, बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए ।

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मंत्री) : जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । जो भी फैक्ट्स होंगे, जैसा आपने फरमाया है डिबेट के जवाब में उनको दे दिया जाएगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसको अलग प्रश्न के रूप में लिया जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : आप अलग से प्रश्न रखिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह अलग से ही प्रश्न है ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा तो यही सवाल है कि एडजोर्नमेंट मोशन पर स्वीकर की रूलिंग हो गई है, मैं उसे डिफाई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भी उस रूलिंग का आदर करता हूं । मेरी दलील यह है कि इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए आप इसे डिबेट में मिला कर इस प्रश्न को छोटा प्रश्न समझते हैं जब कि यह अहम् प्रश्न है । यह एक नेट प्रश्न है और इस समाजवादी सरकार को इस प्रश्न का अलग से जवाब देना चाहिए । मेरा इस सम्बन्ध में नम्र निवेदन यह है कि राज्य सरकार के चार चार विभाग इस प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं । आज अगर आप इन राजाओं के महल, इनकी सम्पत्ति और इनकी भूमियों के बारे में इतनी कोम्प्लीसेंसी रखते हैं, आपके दिल में इतनी कमजोरी है तो राजस्थान की जनता कोई उम्मीद नहीं कर सकती कि यह राज्य सरकार उसके लिए कुछ कर सकेगी । इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि आप अलग से इसका उत्तर दें ।

Page No.6

श्री केदारनाथ : इसे सब्स्टेंटिव मोशन के रूप में ट्रीट कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रपोजल भेजें आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ही ट्रीट कर लीजिए इसको।

श्री अध्यक्ष : आपको अलग से भेजना पड़ेगा।

मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री हरिदेव जोशी (यतायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने दिनांक 22 फरवरी 1972 से बिना किसी वैधिक नोटिस के हड़ताल प्रारम्भ कर दी। निगम ने वफादार कर्मचारियों की सहायता से गाड़ियां चलाने की कोशिश की लेकिन हड़-ताली कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की वजह से यातायात सेवा बन्द करनी पड़ी।

निगम के कर्मचारियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगें पेश की परन्तु मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :

(1) अध्यक्ष श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करवाई जाय।

(2) सरकारी कर्मचारियों के अनुकूल 1-9-1968 से वेतन और भत्ता दिया जाय।

(3) 15 अगस्त, 1971 को यातायात मंत्री की अध्यक्षता में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति की जाय।

(4) कर्मचारियों को परेशान करने के लिए स्थानान्तरण आदि की कार्यवाही न की जाय।

(5) औद्योगिक न्यायालय द्वारा निलम्बन के मसले पर फैसले को लागू किया जाय।

हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर गौर करने के लिए निगम के अध्यक्ष से निगम के संचालकों की बैठक बुलाने के लिए अनुरोध किया गया। इसकी पहली बैठक 28 फरवरी, 1972 को हुई और उसमें निम्न निर्णय लिए गए :

(1) कर्मचारियों व निगम के बीच समझौता कार्यवाही श्रम आयुक्त की मार्फत करवाई जाय।

(2) श्रमिकों के वेतन मानों के रेश्नेलाईजेशन करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की जाय।

श्रम आयुक्त ने समझौता कार्यवाही तुरन्त ही प्रारम्भ कर दी परन्तु श्रमिकों ने इस कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक राणावत आयोग के वेतन मान व सरकारी कर्मचारियों के अनुकूल अन्तरिम राहत देने की कार्यवाही नहीं की जाती व अध्यक्ष श्री ज्वाला प्रसाद के खिलाफ कार्यवाही नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

की जाती तब तक वे किसी प्रकार की समझौता कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। वेतन मानों पर विचार करने वाली समिति ने दिनांक 8 मार्च, 1972 को अपनी रिपोर्ट निगम को पेश कर दी। श्रम आयुक्त व वेतन समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष को निगम की बैठक बुलाने के लिए अनुरोध किया गया। नियमानुसार सरकारी संचालकों ने मीटिंग रिक्वीजिशन करने के लिए नोटिस दिनांक 9-3-72 को भेजे परन्तु अध्यक्ष ने निगम की बैठक दिनांक 18 मार्च, 1972 को बुलवायी। इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गए :

(1) हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए गृह आयुक्त की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गयी और उनको समझौता वार्ता करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए।

(2) दो स्थायी समितियों की नियुक्ति की गयी जो निगम की वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करेगी।

(3) कर्मचारियों व विज्ञापनों पर हड़ताल के दौरान जो खर्चा किया जा रहा था वह बन्द करवाया गया।

(4) जो समिति समझौता करने के लिए नियुक्त की गयी वह कर्मचारियों के वेतन मान एवं नियुक्ति व पदोन्नति के नियमों को बनाने की कार्यवाही भी करेगी।

समझौता करने के लिए समिति ने 19 मार्च, 1972 को हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की।

हड़ताली कर्मचारी राणावत आयोग व अन्तरिम राहत की बकाया पर जोर दे रहे हैं जब कि निगम 1-4-72 के आगे से देने को तैयार है। निगम की वित्तीय स्थिति.........

अध्यक्ष महोदय, परसों कर्मचारी और राज्य सरकार के बीच चर्चा होने के बाद तथा उनके बढ़े हुए वेतनमान आदि के बारे में संतोषजनक समझौता हो जाने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, एक महीने तक यह हड़ताल जारी रही और लाखों रुपयों का लोस सरकार को हुआ है और उसके बाद अब समझौता करना पड़ा तो यही समझौता महीने भर पहले क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल के अन्दर दोनों पक्षों के बीच में गम्भीर मतभेद होते हैं उनके सिलसिले में समय लग ही जाता है। यह समय लगा है, यह सही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रघुनाथ विश्नोई ने जो प्रश्न उठाया है वह वाकई में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीस दिन तक हड़ताल चलती रही। इससे माननीय मंत्री जी भी अवगत थे। सारे राजस्थान का यातायात ठप्प रहा। वोटर्स अपना वोट डालने केन्द्रों पर नहीं पहुंच सके और माननीय मंत्री महोदय इसको टालते रहे। इससे पहले जो मंत्री थे उन्होंने भी इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया। आखिर यह जिम्मेदारी किस पर आती है। कम से कम सात लाख रुपये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का तनख्वाहों का नुक्सान हुआ है, दस लाख रुपया अलग से देना पड़ा है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस प्रश्न का उत्तर दें। अगर मजदूरों के प्रश्नों के के सम्बन्ध में हमारी इसी तरह की नीति रही तो हम समाजवाद कैसे लायेंगे? समाजवाद का नारा केवल थोथा नारा होकर रह जाएगा। यहां रामबाग पैलेस के सम्बन्ध में मामला उठाया जाय तो उसके बारे में कोई गम्भीरता नहीं है, यहां मजदूरों के सम्बन्ध में और कोई मामला उठाया जाय तो भी गम्भीरता नहीं है। आखिर बुनियादी तौर से मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज की दो लाख रुपये रोज की आमदनी है और तीस दिन तक हड़ताल चली तो इससे साठ लाख रुपये का नुक्सान हुआ है। उसकी आखिर जिम्मेदारी किस पर है? इतनी पब्लिक को इन्कन्वीनियेन्स हुई, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? मैं समझता हूं कि जो समझौता तीस दिन बाद हुआ वही तीन रोज में भी हो सकता था। इसलिए इस सम्बन्ध में भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं निगम कर्मचारी यूनियन वालों ने अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। इसके बारे में भी जानकारी मिल जाय कि सरकार क्या जांच करने जा रही है? इसके बारे में भी सदन को बताया जावे।

श्री मनोहर लाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि यह किसकी गलती से यह हड़ताल हुई और कितनी राज्य सरकार को हानि हुई और यह हानि करने वाला जो व्यक्ति है वह कौन है? आया अध्यक्ष हो, या जो कोई भी व्यक्ति हो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी। मेरी मांग है इस सदन में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ साथ दण्ड की व्यवस्था की जाये कि उन्होंने राजस्थान के हजारों कर्मचारियों को नुक्सान पहुंचाया और उन्होंने सरकार को नुक्सान पहुंचाया और जनता को ऐसे समय, चुनाव के समय, सरकार और जनता को असुविधा मिली। मेरी मांग है कि मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि उस व्यक्ति को जिसने चुनाव के दौरान यह गड़बड़ी करायी है, उसको दण्ड दिलाया जायेगा।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक निवेदन करना है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार आखिर किस परम्परा का पालन कर रही है? चाहे राज्य कर्मचारी हो या और कोई वे पहले अपनी मांगों को रखते हैं और सरकार उनको आश्वासन देती है उनकी मांगों की जांच के लिये सरकार द्वारा एक आयोग बिठा दिया और उसको बिठाने के बाद उसकी सिफारिशों का सरकार पालन नहीं करती है। उसकी सिफारिशों को लागू कराने के लिये कर्मचारी हड़ताल का आश्रय लेता है और सरकार फिर उन पर लाठीचार्ज करती है। इससे सरकार को भी नुक्सान होता है और इस सब के बाद सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेती है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस परम्परा को समाप्त करे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

और ऐसी परम्परा को कायम करे जिससे राज्य की शक्ति और सम्पत्ति का कोई नुक्सान नहीं हो ।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी जो बात कही है उससे यह लगता है कि सरकार की वही पुरानी नीति है । उन्होंने बताया कि मजदूरों ने तोड़फोड़ की और इसलिये बसें बन्द करने की नौबत आगई । सरकार का यह नारा तो बहुत अर्से से चला आ रहा है कि मजदूरों ने पहले तोड़फोड़ की ।

दूसरी बात यह है कि यह एक नीति का प्रश्न है । सरकार ने एक राणावत कमीशन बिठाया और उसने तनख्वाहें तय कर दी तो उसकी रिपोर्ट का हर विभाग में लागू करना सरकार का कर्तव्य था । रोड्वेज विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया गया तो इसको देखना भी सरकार की जिम्मेदारी थी । इस प्रकार आपने एक महिने के बाद, काम के बन्द रहने के बाद, सरकार को नुकसान उठाने के बाद, जनता को तकलीफ उठाने के बाद, यह समझौता अब किया गया है यह पहले भी किया जा सकता था । इस प्रकार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है और मजदूरों पर दोषारोपण किया है । तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मन्त्री महोदय यह बतावें कि मजदूरों के साथ जो समझौता वार्ता चली और कुछ बीच में गतिरोध आया, तो यह गतिरोध किन किन मुद्दों पर हुआ । जो राणावत कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात है वह कब से लागू हो जानी चाहिये थी ? जितना नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी आप किस पर ले रहे हैं, सरकार पर या जनता पर या कारपोरेशन पर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह समझौता हुआ है, यह सन्तोषजनक है । सवेरे का भूला हुआ शाम को घर लौट आया है । यह अच्छी बात है । एक ही प्रश्न था कि रानावत कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाये । ड्राईवर, कन्डक्टर और एल डी. सी. का क्या दोष था । दो साल हो गये हैं और सारे विभागों में रानावत कमीशन लागू हो गया है और रोड्वेज में नहीं हुआ । इसके लिये यह पहली ही तीस दिन की हड़ताल नहीं हुई है । इससे पहले कई हड़तालें हो चुकी हैं राणावत कमीशन के प्रश्न को लेकर । रोड्वेज के वरकिंग डेज का लास को आप देखेंगे तो पिछले दो वर्षों में रानावत कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिये, जो हड़तालें हुई हैं उनमें कितने वरकिंग डेज का लास हुआ है । यह मन्त्री महोदय सदन के समक्ष रखें । इसके साथ साथ जो घोर असुविधा जनता को और लोगों को हुई है और जो टोटल लोस हुआ है वह भी मन्त्री महोदय सदन के समक्ष रखें । मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्णय ले लिया है लेकिन मजदूरों के सम्बन्ध में पिछली पोलिसी जो सरकार की रही है उसमें मूलचूल परिवर्तन इस सरकार को करना पड़ेगा । इस प्रकार की नीति सरकार को बनानी होगी मेहनतकश लोगों का शोषण न हो । जो आशाए इस प्रकार की भारी जीत से लोग करते हैं वह ऐसी पोलिसीज से धूल धूसरित हो

Page No.10

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जायेगी। खैर यह बात ठीक है कि सवेरे का भूला हुआ शाम को घर आ गया है। अब कम से कम आगे इन नीतियों में परिवर्तन होना चाहिये।

श्री हरीसिंह (बेंगू): अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है जो वित्तीय नुकसान राज्य सरकार को हुआ है, यह कोई छोटा प्रश्न नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिये और भी मसले हैं। कोई न कोई इसके लिये अकाउन्टेबुल होना चाहिये। यह न हो कि इसके लिये किसी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाये और जांच कमेटी हो कर उस पर लीपा पोती कर दी जाये। एक महिने तक हड़ताल चली और कम से कम 60 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। यह तो प्रत्यक्ष नुकसान है। अप्रत्यक्ष नुकसान तो बहुत अधिक हुआ है। अगर किसी पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वह ज्वालाप्रसादजी पर पड़ती है। क्यों न उनको मुअत्तिल किया जाये और इसकी एक निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हो उनको दोषी ठहराया जाये और उनके साथ मे सख्ती से व्यवहार किया जाये।

श्री मोहन लाल छंगाणी (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के साथ समझौता कर लिया है। मैं भी इस सारे समझौते में साथ था और इसमें सारा दोष ज्वालाप्रसादजी का है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स का विवादास्पद प्रश्न है। इसके लिये तो एक हाई पावर कमेटी होनी चाहिये जो इस प्रकार के विवाद के शुरू होते ही उन पर ध्यान रखे। आमतौर पर यह पाया गया है कि कभी कभी इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर में अन्डरटेकिंग्स हैं, उनके चेयरमेन या अध्यक्ष या मैनेजिंग डाइरेक्टर, उनकी राजी, नाराजगी का भी प्रश्न बन जाता है और आखिर में जाकर राज्य सरकार को इन्टरवीन करना पड़ता है और उसमें नुकसान होता है। लम्बे समय तक मजदूर बेकार होते हैं, उत्पादन में भी कमी होती है। आवश्यक सेवाओं से जनता को वंचित होना पड़ता। है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक हाई पावर कमेटी होनी चाहिये और वह इस प्रकार के विवादों पर राज्य सरकार की ओर से हर वक्त अंकुश रख सके।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय,

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

मैं यह मानता हूं कि यह जो हड़तालें हो रही हैं उससे एक दोषपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं यह समझता हूं कि सरकार ने बड़ी भारी भूल की है एक राणावत कमीशन को अपाइन्ट करके। अगर रानावत कमीशन सरकार ने अपाइन्ट किया है तो फिर उसकी सिफारिशों को नामंजूर करना इस सरकार की तरफ से एक बवन्डर है। खैर, जो कुछ भी हुआ····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: तो आपका मतलब है कि गोली से दबा दें। दुर्भाग्य पूर्ण क्या है ये हड़तालें। ····

Page No.11

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । लेट हिम स्पीक प्लीज ।

श्री लक्ष्मण सिंह: मजदूरों के अधिकारों के हनन करने के लिए मैं एक क्षण भी दलील पेश नहीं कर रहा हूं । मैं तो सरकार को दोषी बताना चाहता हूं । सरकार ने राणावत कमीशन की रिकमण्डेशन को इम्पलीमेन्ट क्यों नहीं किया ? और इसके फलस्वरूप ही बार-बार हमको इस तरह के असन्तोष का सामना करना पड़ रहा है । लाखों रुपयों का नुकसान होता है । एक तरफ जीवनयापन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और कर्मचारियों के साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है । उनकी मांगों को सन्तुष्ट करने के लिए सरकार के लिए एक समस्या बन गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राणावत कमीशन की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र क्यों नहीं सरकार ने इम्पलीमेन्ट किया ? सरकार को अपने मन के अन्दर यह मालूम है कि उसे झक मार कर इसकी सिफारिशों को मन्जूर करना पड़ेगा, लाखों रुपयों का नुक्सान होगा । अध्यक्ष महोदय, यह रोजमर्रा की बात हो चुकी है । माननीय सदस्य जो मेरे से पूर्व बोल रहे थे उनका सुझाव है । मैं यही सुझाव रखना चाहता था सदन के समक्ष आप के द्वारा सरकार के विचारार्थ कि कोई न कोई हाई पावर कमीशन होना चाहिये जो कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में इस प्रकार की व्यवस्था कर सके । वह अव्यवस्था और असन्तोष को समाप्त करने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाये । जब तक यह नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तब तक यह अशान्ति और अव्यवस्था होती रहेगी । मैं नहीं चाहता कि ऐसा होता रहे । इस बारे में दोषी आदमियों की इन्क्वायरी होनी चाहिए और इन्क्वायरी होकर उसकी तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को सन्तोष हो कि उनको न्याय मिल रहा है । इसे तुरन्त करना चाहिए । सरकार की यह लेतलाली और अव्यवस्था उचित नहीं है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोडवेज का मामला कोई नया मामला नहीं है । जयपुर की जनता काफी समय से परेशान है । राजस्थान सरकार ने काफी कोशिश की लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या कारण था कि मुख्य मन्त्री जी भी इसको नहीं सुलझा सके । निगम के वर्तमान अध्यक्ष की ओर से लोगों को शराब पिला पिलाकर भेजा गया है कि वह कर्मचारियों में जा कर झगड़ा करें और गड़बड़ी फैलायें । निगम के अध्यक्ष को अपने बिलों के भुगतान की चिन्ता है । कर्मचारियों की चिन्ता बिल्कुल नहीं है । मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले वर्तमान चेयरमेन को सस्पेन्ड किया जाय, उसके बाद इन्क्वायरी की जाये । अगर वही अध्यक्ष रहे तो कोई भी बात नहीं हो सकती है । इसलिए पहले अध्यक्ष को सस्पेन्ड किया जाये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक इन्टरप्राइजेज में सत्ताधारी दल के ऐसे व्यक्तियों को जिनको जनता रिजेक्ट कर देती है, जिनको कोई भी अनुभव नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को अनुभव न होते हुए भी सत्ताधारी दल ऐसे पदों पर बैठा देता है ताकि वह उन पदों का फायदा उठा सकें । इसी के कारण झगड़े

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

होते हैं। इसलिए सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि पब्लिक इन्टरप्राइजेज में ऐसे ही व्यक्तियों को उन पदों पर रखा जाये जो कि अनुभवशील हों। इस प्रकार के अनुभव हीन व्यक्ति को नहीं रखा जाये। इस बारे में जितने भी ज्वालाप्रसाद दोषी हैं, उतनी ही सरकार भी दोषी है। जिसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया हो, उसको सरकार ने इन्टरप्राइजेज में रख दिया ताकि अपने रिश्तेदारों को भरा जा सके। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि "चोर नहीं चोर की मां को मारो" वाली कहावत के अनुसार चेयरमेन को इस्तीफा देना चाहिए और भविष्य में ऐसे आदमी को जिसको पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, उनको ऐसी जगहों पर नहीं रखा जाये। यह हमारे लिए कलंक की बात है। इसमें जो व्यक्ति दोषी है, उनको जिम्मेदार बनाकर उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि चर्चा अधिक होती जा रही है। माननीय मन्त्री महोदय, के वक्तव्य पर ज्यादा चर्चा न होकर समाप्त किया जाय क्योंकि आगे विधाई कार्य भी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हड़ताल तो समाप्त हो गई है लेकिन हड़ताल जिस प्रकार से हुई उससे सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हो गया। चुनाव में मतदाता और कर्मचारी अपने कार्य पर नहीं पहुंच सके हैं। आज यह कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और मंत्री महोदय को बधाई दी जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी मंत्री महोदय की भी थी। यदि गड़बड़ घोटाले हो रहे थे तो मंत्री महोदय ने वक्त पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? कहा तो जाता है कि उनकी 4 मांगें थी उनमें एक यह मांग भी थी कि मंत्री महोदय के दिये हुए आश्वासनों को पूरा करो। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह कौन से आश्वासन थे वह कौनसे अश्वासन थे और क्यों नहीं पूरे किये गये? क्या कारण थे? वह कौन सी बात थी जिससे कि सारा जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया? उसको क्यों नहीं किया गया? 'शुभस्य शीघ्रम'। मंत्री महोदय को इस बात के लिए सदन से क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में अपनी जिम्मेदारी को निभाया? वास्तव में जिम्मेदारी मंत्री महोदय की है। क्यों नहीं उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया? अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह न करके उन्होंने मजदूरों का शोषण किया। कर्मचारियों के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया गया। निगम के अध्यक्ष को उन्होंने क्यों नहीं हटाया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं— In terms of reference whether Pay Commission is applicable to the Public Undertakings or not?

श्री मनोहरलाल : मातृभाषा में बोलिए। मातृभाषा में बोलिए।

Page No.13

श्री यशवन्त सिंह नाहर : प्लीज...

श्री मनोहरलाल : यह राजस्थान का पवित्र मन्दिर है। दुकान नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि निगम के कर्मचारियों पर राणावत पे कमीशन लागू है या नहीं ? अगर है तो यह उन पर ऑटोमेटिक लागू हो जाना चाहिए। दूसरे अब तक लागू क्यों नहीं हुआ ? तीसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह एक कोमर्शियल अन्डरटेकिंग है। इसके संबंध में ऑल इन्डिया लेविल पर एक वेजबोर्ड निश्चित हुआ है अगर वह हुआ है तो वह अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है ? इन तीन प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय से कि कर्मचारियों की एक मांग यह थी, चेयरमैन श्री ज्वालाप्रसाद को हटाने की। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अभी तक, प्रस्ताव करके दो कमेटियों ने चेयरमन की पावर ले ली है। चेयरमैन अभी भी वहां पर कायम है। वहां पर कायम रहते हुये वह किसी न किसी रूप में सभी मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वह रहते हैं तो मुझे यह आशंका है कि कारपोरेशन के प्रशासन में फिर उसी प्रकार की रुकावटें आयेंगी और दूसरी गड़बड़ियां होने की आशंका है। तो आप के सामने 3 विकल्प हैं। एक तो यह है कि आप कार्पोरेशन के वर्तमान बोर्ड को सुपरसीड करें। सुपरसीड करके नया स्थापित करें। दूसरा यह है कि वर्तमान चेयरमैन है, उनको रिमूव कर दें और जो उनकी टाइम की लाइबिलटी बाकी हो, उसको भी कानूनी दृष्टि से देख लें। उससे बचा जा सकता हो तो बचा जाये। तीसरा, जो उनके खिलाफ आरोप है, सदन में जिनके बारे में जांच की मांग की गई है– उस बेसिस पर प्रिलिमिनरी बेसिस अगर बन जाता है, जो मैं समझता हूं, मौजूद है और सरकार को मैं समझता हूं, इस बारे में कन्विन्स्ड होना चाहिए, तो उस प्रिलिमिनरी बेसिस पर श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा को फोरन एक्शन लेकर सस्पेन्ड किया जाना चाहिए और इन्क्वयरी उनके खिलाफ इन्स्टीट्यूट कर देनी चाहिए। इस तरीके से इस कोर्पोरेशन को नया एडमिनिस्ट्रेशन मिले, नई गाइडेन्स मिले, नई लीडरशिप मिले– इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए।

चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मुझे हाउस में आकर यह जानकारी प्राप्त करके, कि जनसंघ के नये नेता इस हड़ताल के पक्ष में हैं, मजदूरों का समर्थन कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई क्योंकि अभी तक उनके दल के नेता श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा से मिल कर इस हड़ताल को तोड़ने के लिए.... ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : गलत है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर.......

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बैठ जाओ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य अभी नये आये हैं।

(शोरगुल)

Page No.14

श्री गुमानमल लोढ़ा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ……

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बैठ जाओ ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य नये आये हैं, अभी वह बैठ जायं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत परिचय होना अलग बात है……

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वही निवेदन करन चाहता हूं, माननीय सदस्य ……

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन इस प्रकार की बात नहीं है ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

मैं निवेदन करना चाहता हूं……

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस प्रकार सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप इस सदन में नये नये आये हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह हमारी जिम्मेदारी है, किसी मजदूर वर्ग के……

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह खत्म कर लें, उसके बाद आपको मौका आये तो आप कह दीजिये । बैठ जाइये ।

श्री मनोहरलाल : विजारा में बरकत जिन्दाबाद करते थे और अलवर में बरकत मुर्दाबाद कहते थे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : डट कर कहते हैं । हम डट कर कहते हैं ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको भी डिस्इल्यूजन हो जाने वाला है मनोहरलालजी । आपको मालूम नहीं है, वास्तविकता क्या होती है । सदन में क्या कहा जाता है और सदन के बाहर क्या । आपके दल में इस में इस मामले को लेकर……

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : दल के बारे में इस सदन में बिना किसी प्रकार की बात के इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री मनोहरलाल : मजदूरों की मांगों पर कोई ठोस नीति की बात कहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो कह रहा हूं, यह वास्तविकता है ।

श्री अध्यक्ष : यह कह लें, उसके बाद में आपका मौका आये तो आप जो चाहें कहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बारे में जांच हो जाय तो बहुत अच्छा है । लोग पीछे से झुक कर मजदूरों की पीठ में छुरा भोंके और इस सदन में आकर हितैषी बन कर इस प्रकार नकाब पहनने की कोशिश की जाय इस प्रकार का मौका नहीं दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जायगा। इस प्रकार के मौकों का फायदा उठा कर जनसंघ और उसके नेताओं ने इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर राजस्थान के अन्दर अर्से तक इस प्रकार का नाटक रचा है। मैं समझता हूं, यह मौका है, यह अवसर है.......

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो माननीय सदस्य श्रीमान भैरोंसिंहजी पर आरोप लगा रहे हैं.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गलत है, मैं समझता हूं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है, मैं इन्हीं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं ......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ का काम जयपुर में ज्यादा मिलेगा और आपका कम मिलेगा। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाना, जनसंघ पर गम्भीर आरोप लगाना बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मगरमच्छ के आंसू हैं यह बन्द होने चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि रोडवेज...

(शोरगुल, अश्रव्य)

देश के साथ गद्दारी करें और गाय की पूंछ को पकड़ कर बछड़े की तरह चुनाव जीत कर आयें और इस प्रकार यहां उनकी वकालत करें-यह बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रकार जोर जोर से बोलें और जनसंघ दल को इस प्रकार बदनाम करने वाली कार्यवाही करें-यह सहन नहीं किया जायगा। आप जोर से बोलिये यह किसी प्रकार चिन्ता की बात नहीं है। जनसंघ खुला है...

श्री हरिदेव जोशी : एक सैकिण्ड।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप कितना ही जोर से बोलिये। आप हत्यारे हैं। आपने हत्या करवाई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हत्यारे हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप हत्यारे हैं। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके हाथ खून से रंगे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रकार हल्ला क्यों करते हो।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को रूमाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार सदन में बैठ कर नियमों के अनुकूल कार्यवाही कर रहे हैं। आप कोई प्लेटफार्म से स्पीच नहीं दे रहे हैं, (कोई चौपड़ से भाषण नहीं दे रहे हैं) कि एक आदमी बोलता है तो आप बीच बीच में खड़े हो जाते हैं। यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आपका भी मौका आयेगा। अभी आपके साथी बोल रहे हैं, आपका भी मौका आयेगा तब अपनी बात कह दें। एक आदमी बोल रहा है तो दस आदमी बीच बीच में बोलें तो दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको भी तकलीफ होगी। यह परम्परा मत डालिये। आप बोल रहे हैं तो आप अपनी बात कह दें। जब आपको मौका मिले तो आपको भी डिस्टर्ब न करें। यह परम्परा मत डालें कि दूसरा आदमी बोल रहा है तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है, यदि सुझाव देते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। अगर आलोचना करते हैं तो आपत्ति नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय पार्टी को····

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मैं समझता हूं, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्हें कितना तो सीखना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मैं अभी बोल रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं यहां गाली सुनने के लिए नहीं आया हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुनना पड़ेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जब कोई बोलते हैं तो बीच में मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन सदन में पार्टी को गाली देंगे तो निश्चित रूप से उस गाली का हम विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलते हैं तो इनका यह हाल है और अध्यक्ष बोलता है तो बीच में खड़े होकर बोलते रहते हैं। यह चलेगा नहीं, यह बर्दाश्त भी नहीं होगा। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, नियमों के अन्तर्गत, परम्पराओं के अन्तर्गत रह कर कार्यवाही करें। बीच बीच में पच्चास दफा बोलें—यह उचित नहीं हैं। आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। आपका मौका आये तो आप भी बोलें। थोड़ी सी बात से इरिटेट होकर बोलेंगे तो उचित नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी इजाजत हो तो शुरू करूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सच्ची बात कड़वी लगती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई बार सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं माननीय सदस्य को, जिन्होंने इस बात पर रोष प्रकट किया है, दोष भी नहीं देता क्योंकि बहुत सम्भव है वह इस प्रकार की बात अपने सदस्यों से एक्सपेक्ट नहीं करते हों····

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर व्यवस्था दें कि यहां वाद-विवाद चल रहा है उसमें जनसंघ दल, जनसंघ दल के नेता, जो यहां नहीं है, के विरोध में वाद-विवाद करने की अनुमति देना उचित

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

समझते हैं या विषय पर बोलने की अनुमति देना। जो विषय पर वक्तव्य दिया है मंत्री महोदय ने उस तक सीमित रखें तो उचित होगा। भैरोंसिंह जी से, हो सकता है, माननीय सदस्य रामानन्द जी को या अन्य माननीय सदस्य को कुछ आपत्ति हो—उसमें मुझे एतराज नहीं है। लेकिन भारतीय जनसंघ दल में क्या हो रहा है, किस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है--इस बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया,""

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तरस आता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तरस आपकी आदत पर आता है।

श्री अध्यक्ष : मौका तो है नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : श्री भैरोंसिहजी ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है, मीटिंग में भाषण दिया है, यह कहा है कि इनकी मांग मंजूर होनी चाहिये। राजनैतिक लाभ लेने के लिए भैरोंसिह जी को अकारण घसीटा जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह दोनों दलों के संबंध की बात है। आप इनको कहने दीजिये। आपका भी अवसर आयेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप कान्ट्रेडिक्ट कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं भाषण दिया है कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में दल के नेता ने""""

श्री अध्यक्ष : मुद्दे तक सीमित रहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करता हूं, मैं पड़ौसी हूं, पड़ौसी होने के नाते श्री ज्वाला प्रसाद का इनके यहां आवागमन इस हड़ताल के दौरान, और जबकि कूशल बात हो रही थी, इस हड़ताल को तोड़ने के लिए, किस प्रकार ड्राइवरों को भेज कर गाड़ियां चलवाने की निरर्थक कोशिश की गई--यह सब आंखों से देखने का मौका मिला है। इस तौर पर सारी """

श्री अध्यक्ष : आप भी समाप्त करें, काफी वक्त हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में एक गलतफहमी जो पैदा करने की कोशिश को जा रही है, एक विशेष दल की ओर से सहानुभूति दर्शाने की कोशिश कर उस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे हरएक मजदूर वाकिफ है। मैं समझता हूं, इस प्रकार के भाषण, इस प्रकार की स्पीच काम नहीं देने वाली हैं-यह बात सदन मान कर और समझ कर चले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो तीन पाइन्ट रखे हैं, जो चेअरमैन श्रीमान् ज्वालाप्रसाद शर्मा हैं, उनको रिमूव करने के सम्बन्ध में बहुत बड़ी चार्जशीट मेरे पास है, आपको भी मिली होगी-मैं इस सदन का समय उस मसले पर नहीं लेना चाहता हूं। आगे अवसर पड़ा तो फिर लूंगा। उसके बारे में मंत्री महोदय, क्या नीति है, वह बतायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

Page No.18

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस दिशा में हमारा मार्ग-दर्शन करने की कोशिश की है। मैं लम्बे वाद विवाद में नहीं जाना चाहता, अध्यक्ष महोदय, परन्तु एक चीज निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि राज्य सरकार इस मामले में कांशस है कि चाहे वह राज्य कर्मचारी हों अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के मजदूर हों, उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और कभी वायोलेन्स हो तब ताकत का इस्तेमाल किया जाए, वरना उनकी वाजिब मांगों के खिलाफ राज्य सरकार लाठी या और किसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहती है। इसलिए चाहे दो दिन ज्यादा लगे मगर हम नेगोसिएशन्स के जरिए और बातचीत करके इन मसलों को तय करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस हड़ताल के अन्दर यह पैदा हुई कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैड थे, उनके और कर्मचारियों के बीच में सामान्य सम्बन्ध, शिष्टाचार के सम्बन्ध, जो होने चाहिए थे वह नहीं रह पाए। मुझे ऐसा लगता है कि 28 फरवरी को जो मीटिंग बुलाई गई और जो कमेटी कायम की गई, वह कमेटी उसी समय सफल होती किन्तु इन्हीं रिजर्वेशन्स के कारण कमेटी सफल नहीं हो सकी।

अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की जिम्मेदारियों के बारे में कहा गया है। आपको मालूम है कि 16 तारीख को इस नई सरकार ने शपथ ग्रहण की और 16 तारीख को आफटरनून में पोर्टफोलियोज की घोषणा हुई। मैंने शायद उसके 15-20 मिनट के भीतर श्री ज्वालाप्रसाद से चर्चा की और प्रयत्न किया मैं समझूं कि स्थिति क्या है और क्या नहीं है। उस समय उनका रुख अपने ढंग का था। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह निगम की मीटिंग निश्चित रूप से बुलाए और तुरन्त कार्यवाही करे। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया 16 तारीख को और अरलीएस्ट पासीबुल 18 तारीख को मीटिंग बुला ली गई। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के अन्दर जो राज्य कर्मचारी हैं उनके वोट से तय हुआ है कि श्री ज्वालाप्रसाद के अधिकार, जो उनमें निहित थे वापस ले लिए जाय मैं कहीं बाहर जाने वाला था। कई माननीय सदस्यों ने मीडिएशन किया और जो हुआ वह आज मैं आपसे निवेदन करना उपयुक्त समझता हूं कि हमने लाख रुपए इधर या उधर की बात न सोचकर और समाज का जो अधिक पीड़ित तबका है, उसको सन्तोष हो, इस बात का हमने ध्यान रखा है बजाय इसके कि सरकार ने कल क्या कहा था आज क्या आगे दे रही है, इसका प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनाया।

अध्यक्ष महोदय, यहां निगम के अध्यक्ष श्री ज्वालाप्रसाद के बारे में कुछ कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि हड़ताल लम्बी चली, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। कुछ आपने शिकायतें की, राज्य सरकार को भी कुछ शिकायतें चेयरमेन के खिलाफ मिली हैं, बहुत लम्बी चौड़ी शिकायतें हैं। मगर आफ हैंड मैं उन पर कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्यों ने प्राइमा फेसे कुछ कहा, मैं भी यह नहीं कह सकता। लेकिन मैं उचित समझता हूं कि जो शिकायतें हैं उनकी जांच करवानी

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिए और इसलिए एक हाई पावर कमेटी चाहे एक आदमी की हो चाहे अधिक व्यक्तियों की हो, जांच के लिए नियुक्त करें और जो एलीगेशन्स हों, उनकी जांच करवायेंगे। साथ ही, हड़ताल को ढंग से हैंडिल किया या नहीं, उसके किए कौन जिम्मेदार है, टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह चीज भी होगी, यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि यह सारी चीज प्रसन्नता पूर्वक निपट गई है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लेबर को किन्हीं हालत में विक्टीमाइज होने नहीं दिया जाएगा। मैंने परसनली भी उनसे कहा है और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि लेबर को किसी हालत में विक्टीमाइज नहीं होने दिया जाएगा।

माननीय सदस्यों ने और भी कुछ बातें कही हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। जो पोलिटिकल फैक्टर्स हैं, पोलिटिकल लेविल पर डील किए जाने चाहिए। हड़ताल एक महीने तक चली, कौन हड़ताल को मदद कर रहे थे और कौन हड़ताल को असफल करवाना चाहते थे, यह बहस का विषय है। इस बारे में हमें एमोशनल नहीं होना चाहिए, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधायी कार्य

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या इसे पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश 1972 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1972) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जाए?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री चन्दनमल वैद : मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1971 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1971) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो वाद-विवाद चल रहा है उस संबंध में प्रस्ताव-कर्ता का ओजस्वी भाषण मैंने सुना। मैं सिद्धांततः सर्वप्रथम यह निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि कई कारण वश मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में अपने आपको विवश पाता हूं। हमारे देश के आजाद होने के पश्चात राजस्थान में और केन्द्र में लगातार एक दल का शासन अर्थात् कांग्रेस का शासन रहा है। 22 वर्ष के अन्दर कांग्रेस ने जनता के समक्ष कई वायदे किए किन्तु यह खेद का विषय है कि आज 22 वर्ष के शासन के पश्चात हम देश के अन्दर क्या पाते हैं? महंगवाड़ी, जलालत, भुखमरी रिश्वतखोरी, पक्षपात और बेरोजगारी। उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनायें सरकार ने अपनाई है, उन योजनाओं के द्वारा मैं यह नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है किन्तु उसके साथ 2 बहुत सारे क्षेत्रों में यदि मैं कहूं कि विनाश हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये योजनायें अत्यधिक खर्चीली एवं महत्वाकांक्षी हैं और इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत मुद्रास्फीती निहित है, इन्फलेशन निहित है। जब तक इन योजनाओं को सन्तुलित रूप हम नहीं दे पाते तब तक इन्फलेशन नहीं रुक सकता और जब तक इन्फलेशन नहीं रुक सकता, महंग-वाड़ी पर हम काबू नहीं पा सकते। आज हम क्या देखते हैं? अभी सदन में चर्चा हो रही थी कि कर्मचारियों के अन्दर व्याप्त असन्तोष है। इसका मूल कारण ही महंग-वाड़ी है, मुद्रास्फीती है, इन्फलेशन है। कर्म-चारियों के पास एक शस्त्र है हड़ताल का। सरकार को हड़ताल के द्वारा विवश करके कर्मचारी अपनी मांगें पूरी करा सकते हैं। कर्मचारी विवश हैं, उनके साथ भी मेरी एक हद तक सहानुभूति है। वह क्या करें? उनके वेतनमानों को देखते हुए सुरसा की तरह अगर महंगवाड़ी मुंह फैलाती रहेगी तो एक सामान्य वेतनमान का कर्मचारी क्या पहने, क्या खाए, क्या बच्चों को पढ़ाए और अपने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था क्या करे? खैर, कर्मचारियों की एक हद तक तो सर-कार सुनवाई करके उनकी शिकायतों को भी रफा कर सकती है। किन्तु आज गरीब आदमी के लिए सरकार ने क्या किया? 56 करोड़ की इस भारतवर्ष की जनसंख्या के अन्दर शायद खाने पीने वाले तो मुश्किल से एक करोड़ आदमी होंगे। और बाकी बचे जो 55 करोड़ उन गरीबों का क्या होगा? आज स्थिति तो यह है कि जो गरीब हैं वे बेचारे पिसते जा रहे हैं उसके साथ साथ मेरा क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है, जो कि आदिवासी क्षेत्र है, वहां तो ऐसी स्थिति है कि सैकड़ों को तो क्या हजारों आदिवासी ऐसे है जिनको अपना जीवन निर्वाह करना बहुत दुभर है। आज आदिवासी उनमें कई तो बेचारे ऐसे हैं जिन्हें दोनों टाईम खाना भी पेट भर कर नहीं मिलता। ये क्या समाज-वाद है, अध्यक्ष महोदय, ? समाजवाद में जो लोगों को खुशहाली मिलनी चाहिये वह धारा ही नहीं है। समाजवाद के अन्दर जो विकास होना चाहिये वह विकास कहां है मुझे तो विकास की अपेक्षा विनाश ज्यादा

(श्री लक्ष्मण सिंह)

दिखाई पड़ता है। आज जनता का वास्तविक विकास हो रहा है या नहीं ये तो स्वयं सरकार को गम्भीरता पूर्वक और निष्पक्षता से विचार करना चाहिये।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, यहां तो आपा धापी और हल्लाबोल भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी चल रही है। संक्षेप में तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर कोई पुलिस का सब इन्सपेक्टर पदोन्नति चाहता है तो उसको जेक की कहते हैं। उसे कहते हैं कि सिफारिश चाहिये और उसके साथ साथ उसे हजार दो हजार रुपये देने पड़ेगे। सिर्फ सिफारिश से ही काम नहीं चलता। उसके साथ साथ आज अगर कोई मेडिकल कालेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे 10–15 हजार रुपये रिश्वत देने होंगे। अगर वह 10-15 हजार रुपये रिश्वत के नहीं दे देता तो बाजे बाजे वक्त उसका एडमिशन होना मुश्किल है। आज अध्यक्ष महोदय, योग्यता और मेरिट तो कोई वकत ही नहीं रखते। आज तो यहां पर भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और अधिनायक वाद हो गया है। हम आज दिन ब दिन इस दल दल में ही फंस रहे हैं और यह हाल समाजवाद का रहा तो इसी में पिसते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे भी, पहले इस सदन में कई बार इस भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी के बारे में चर्चाएं हुई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जहां पर भ्रष्टाचार का बोल बाला है। हमारे राजस्थान में एक गंगानगर जिला है। वहां के डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेण्डेन्ट पुलिस की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से करीब 10 हजार रुपये माहवार की आमदनी होती है। ये कैसा समाजवाद है, और ऐसे समाजवाद से देश की कैसे खुशहाली होगी।

श्री वृद्धिचन्द (बाड़मेर) : ये तो आपने थोड़ा बताया है। दस हजार तो कम हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : ये तो कम हैं, इससे भी ज्यादा हो सकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : ये तो साहब आपके मित्र कांग्रेसी ही कह रहे हैं। वो भी दस हजार रुपये कम बता रहे हैं। ये तो अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आटे मे लूण डाले जब तो ठीक होता होगा पर यह तो नमक में ही आटा डालना हुआ। ये हला बोल भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोल बाला हो गया है। अगर होता चला भी रहा है ये तो रुका थोड़ी है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर गौर करे, कुछ विचार करे। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह कैसा समाजवाद हैं और इस समाजवाद की क्या डेफिनेशन है। ये तो मालूम पड़े कि समाजवाद किसको कहते हैं? हमने तो समाजवाद के बारे में यह सुना है कि उसमें स्वदेशी और देश के उन्नत करने की भावना तो जनता में पैदा होती है उसमें साथ साथ जनता में खुशहाली आनी चाहिये। लेकिन आज गरीब तबका ही तो गरीब ही रह रहा है और अमीर अमीर ही है ये कहां तक उचित है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप टैक्स लगाओं अमीरो पर मैं तो कहता हूं आप कुछ भी करें पर जनता को खुशहाल करें ये तो यह हुआ कि जो गरीबी हटाओं का नारा था वह गरीबी हटाओं न रह कर गरीबी बढाओ हो गया।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्रीय सरकार का बजट निकला उसमें यह हुआ कि मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ाया है। अब आप सोचिये कि अध्यक्ष महोदय, मिट्टी का तेल ऐसी चीज है जो अत्यन्त आवश्यक है, एक गरीब आदमी के लिये और अगर उस पर आप टैक्स लगा देते हैं तो मैं तो इस गरीबी हटाओ के नारे को कहूंगा कि 'गरीबी बढाओ' और 'अन्धेरा है और अन्धेरा बढावो'। आज जो गरीब आदमी है वह एक मिट्टी के तेल की चिमनी जलाता है वह छोटी सी चिमनी गरीब आदमी की कुटिया में टिम टिमाती है। वो बेचारा गरीब आदमी रात को दस बजे उठकर उस चिमनी को बुझा देता है क्योंकि आज तो सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया है। तो यह तो आपकी सरकार की समाजवाद की जो व्यवस्था है वह तो भयंकर आपत्तिजनक है, एक शर्मनाक व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में। पर इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव सदन में धन्यवाद का आया है, उसका समर्थन करने में मैं अपने आपको विवश पाता हूं। लेकिन सरकार ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनकी वास्तविकता की प्रसंशा किये बिना भी नहीं रहूंगा, मैं इसे मेरा फर्ज समझता हूं। अभी हमारे देश में बड़ा भारी संकट आया। वह समय बड़ा ही क्रिटीकल था जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, जिससे कि हमारी कोई शत्रुता नहीं है, उसने अपने बंगला देश की रियाया को बहुत ही बुरी तरह से लूटा और वहां जनरल याह्याह खां के आदेशों से अत्याचार किया। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की फौज के इन अत्याचारों के फलस्वरूप एक करोड़ शरणार्थी भारतवर्ष के अन्दर आ गये। ये शरणार्थी हमारे भारत वर्ष के अन्दर 6-7 महीने तक रहे। अगर एक शरणार्थी पर तीन रुपया रोज का खर्चा किया गया हो तो उसके हिसाब से तीन करोड़ रुपये रोज हमने उन पर खर्च किये। और अगर मान लीजिये वह 6-7 महीनों या 7-8 महीनों तक ही रहे और अगर डेढ़ या दो साल तक रहते तो क्या परिस्थितियां होती। इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन जो बुद्धिमता पूर्ण हमारी जनता ने और हमारे देश की प्रधान मंत्री ने काम किया वह प्रसंशनीय है। सभी ने एकधिवय होकर काम किया इसकी सभी देशों में और सभी लोगों में प्रसंशा हुई। पहले भी सन् 65 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया और इसके पहले चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो जिस एकता से और जिस सफल नेतृत्व से हमारे प्रधान मन्त्रियों ने काम किया उसे देखकर विश्व के बड़े बड़े सबल राष्ट्र चकित रह गये। उस उदाहरण को देखकर उनको ऐसा लगा की भारत की जनता संघर्ष के समय एक भुट हो जाती है और उनकी इस संघर्ष के समय एकता व कर्तव्यपरायणता को देख कर विश्व के दूसरे बड़े राष्ट्र अध्यक्ष महोदय, जो इसके विरोधी थे, वे भी भारत वर्ष के लोगों की मूक प्रसंशा किए बिना नहीं रह सकते। इसके साथ हमारे सेना ने भी अपने कर्त्तव्य की पालना जिस तरह से की है उसकी जितनी भी प्रशंसा भूरी भूरी की जाय वह कम है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये यह भी कहा जाय कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जो काम वहां पर हमारी सेना ने किया है वह

(श्री लक्ष्मणसिंह)

बीयोन्ड आल प्रेज है। ये हमारी सेना का कन्डक्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं हीरो वरशिप में विश्वास नहीं करता हूं और न ही मैं विश्वास करता हूँ व्यक्ति विशेष की पूजा में, लेकिन मुझे विवशता से और मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि जो नेतृत्व हमारे देश को भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्द्रा गान्धी ने दिया है उसने इस देश को व विश्व को चकित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, जो शरणार्थी बंगला देश से आये और उनकी व्यवस्था जिस प्रकार से भारत सरकार ने की और उनको वापिस अपने देश भेजा, वह भी मेरे ख्याल से वन आफ दी वण्डर्स आफ दी वर्ल्ड है।

एक क्षण के लिये यह सोच लिया जाय कि अगर रूस जैसा शक्तिशाली राष्ट्र हमारी सहायता नहीं करता तो हमें सम्भवतः दिक्कतों का सामना करना पड़ता उदाहरणार्थ मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में सौ से ऊपर राष्ट्रों ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत आक्रमक है। इस दृष्टि से हम रूस के अत्यधिक आभारी हैं कि उसने अपना वीटो पावर एक्सरसाइज करके इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।

रूस के साथ जो हमारी संधि हुई है उसके लिये कोई कुछ भी कहे कि यह आफेन्सिव की ट्रीटी है या डिफेन्सिव की है या कि अलायन्स की ट्रीटी है और हम नान अलायमेन्ट की नीति से हट गये हैं या उस पर यह ट्रीटी प्रभाव डालती हैं, यह सब कुछ भी हो कोई कुछ भी कहे, हमें इस लम्बे चौड़े पचड़े में नहीं पड़ना है। मैं उस ट्रीटी का उस सन्धि का स्वागत करता हूं और मुझे इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है कि हमारे नेता ने इस बहुमूल्य सन्धि के द्वारा हमारे देश के लिये दूरगामी और लाभदायक परिणाम प्राप्त किये हैं वे इस देश के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।

बंगला देश की उत्पत्ति, एक स्वतन्त्र देश का दुनिया में निर्माण करना, एक मित्र देश को कायम करना, मेरे ख्याल से, यह उपलब्धि एक ऐसी उपलब्धि है, ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है कि शायद जवाहरलालजी की उपलब्धियों से भी दो तिल आगे बढ़ गई।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हमारे वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं या अपंग हो गये है, अंगहीन हो गये हैं, कम से कम उनकी पूरी 2 देखभाल करने और दिवंगत सैनिकों के परिवार वालों को पूरी पूरी देखभाल करने की व्यवस्था राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को करनी चाहिये।

सन् 65 के पाकिस्तान संघर्ष के बाद भी इस तरह की समस्या हमारे यहाँ उपस्थित हुई थी। उस समय भी मुझे यह कहना पड़ा था कि जिस बहादुरी के साथ हमें इस समस्या का निराकरण करना चाहिये था और जिस तत्परता से हमें उनके परिवार वालों की देखभाल करनी चाहिये थी या अंग भंग वालों की सहायता करनी चाहिये थी, वह बराबर हम नहीं कर पाये और इस काम में कुछ दिनों बाद ही ढिलाई आने लग गई थी।

उनको भूमि अलॉटमेंट के बजाय में मन्त्री महोदय को भूमि अलाटमेंट करने की बात को प्राथमिकता दी जाने लग गई। उनको

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पहले भूमि मिली और उनकी भूमि में अंगूर भी उगने लगे। पर अंगूर खाने का तो मुझे शौक नहीं है। मुझे कोई कहे कि अंगूर खट्टे हैं तो खट्टे सही। पर ऐसी व्यवस्था करने में ढील इस बार न आने दें, नहीं तो यह बड़ी दर्दनाक स्थिति होगी। इसलिये पुरजोर शब्दों में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी दिवंगत सैनिकों के परिवार वाले हैं और जो अंगभंग हो गये हैं उनकी जिला लेवल पर कम से कम साल भर में एक बार तो कलक्टर या एस. डी. ओ उनके घर जाकर देखभाल कर लिया करें और अगर कोई उनको कष्ट हो या कि शिकायत हो तो उसे तुरन्त दूर करने की चेष्टा करे। उनकी उचित शिकायतों का तुरन्त निराकरण करे ताकि उनके अन्दर और उनके परिवारों के अन्दर यह भावना बनी रहे कि सरकार का वरद् हस्त उनके पीछे है और यह मेरे ख्याल से अच्छा मोरेल कायम रखने के लिये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

इसके साथ साथ पाकिस्तान से जो हिन्दू लोग विस्थापित बनकर थारपारकर जिले से या सिन्धु, के कुछ इलाकों से राजस्थान के निकटवर्ती इलाकों बाढ़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि में आये हैं उन लोगों को भी यहाँ बसाने में राजस्थान सरकार का बड़ा उत्तरदायित्व है। सरकार उदारतापूर्वक और सहानुभूति पूर्वक उनको भी यहां बसाने की व्यवस्था करे।

भारत पाक संघर्ष के दौरान उन्होंने हमें काफी मूल्यवान् जानकारी दी है इस बारे में सरकार को पूरी पूरी जानकारी होगी। ऐसी स्थिति में अब अगर हम लोगों ने उनको वापिस भेजने का प्रयास किया और यहां बसाने में संकोच किया तो मेरा यह निश्चित अभिमत है कि पाकिस्तान में उनको एक एक करके चुन चुन करके खतम कर दिया जावेगा।

चुनाव के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मैं, मेरे कांग्रेसी दोस्तों को, जो मेरे सामने विराजमान हैं, बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से कोई भी कांग्रेसजन यह अनुमान करके चल नहीं रहा था कि लगभग 150 सीटें उनको प्राप्त हो जावेगी। मुझे भी यह लगता था कि मध्यावधि चुनावों के पश्चात् और भारत पाक संघर्ष में हमारी जीत के पश्चात् कांग्रेस को लगभग 100/110 सीटें मिल जावेंगीं। लेकिन 149 कांग्रेसी और कुछ कांग्रेसी समर्थकों को इतनी सीटें मिलना, मेरे ख्याल से इसका दोष और मूल कारण हम ही लोग हैं। यदि स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के बीच में कुछ आंशिक समझौता भी हो जाता, पूर्णतया समझौता होना भी असम्भव था, यह हमारी आन्तरिक व्यवस्था है, इसके सम्बन्ध में मैं सदन में विषयान्तर होकर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आपकी विजय से यह निकटतम सम्बन्ध रखता है इसलिये दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कई बार आमने सामने बात नहीं होती तो परदे में हो जाती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : परदे में बात की जाती है तो मैं साड़ी ओढकर तो आया

(श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं हूं। फिर मेरी आयु के व्यक्ति के लिये यह विपरीत भी होगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): आपको तो बहुत नुकसान हुआ।

श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने नहीं सुना, भीमसेन जी ने क्या कहा। तो यह तो मत मतान्तर का विषय हो सकता है। आपको अपने विचारों के लिए अधिकार है तो मुझे भी है। तो मैं कह रहा था कि अगर आंशिक समझौता भी हम में हो जाता तो तीस पैंतीस स्थान विरोधी पक्ष को और आ जाते पर यह चर्चा अब करना निरर्थक है कि बीति ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेहि।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज कहीं भी विरोधी पक्ष में यह क्षमता नहीं है कि विधान सभा के निर्वाचन में हजारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हजारों रूपया बांटा जावे और वोट खरीदा जावें। आज शासक पार्टी को छोड़ अन्य किसी पार्टी में यह क्षमता नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़): गलत बात है।

श्री लक्ष्मणसिंह: मैं यह जानता हूं कि आम तौर से 'लो नोट दो वोट' का प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा: इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर बिरला टाटा आपके साथ थे।

श्री लक्ष्मणसिंह: ये तो शासकों के साथ रहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप भी तो पुराने शासक थे।

श्री लक्ष्मणसिंह: मेरे चुनाव क्षेत्र में ही यह हुआ होता तो मैं मान लेता कि जो कुछ हुआ सो हुआ, पर यह सब जगह हुआ। तो इस तरह से अगर मनी पावर को काम में लिया गया तो एक दल और एक नेता ही रह जावेंगे। यह जनतन्त्र समाप्त हो जावेगा। इस मनी पावर को रोकने के लिये कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। और बिरला और टाटा अगर हमारे साथ हैं तो अध्यक्ष महोदय, दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले हैं। वे तो कोटा परमिट वाली सरकार लाईसेन्स वाली सरकार से हाथ मिलाकर नहीं चलें तो एक क्षण जिन्दा नहीं रह सकते। अगर आप यह समझकर चल रहे हों कि कांग्रेस आज अपनी लोकप्रियता के बल पर वोट लेती है तो मुझे यह शेर याद आ गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सुना देता हूं:

"वह दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था,
अब तो इत्र भी मलें तो मुहब्बत की बू नहीं"

आज तो युग आ गया पैसा और पैसा का।

इसके साथ पूरे डूंगरपुर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जहां पर प्रोहिबिशन है, वहां पर दारू आया मटकियों बन्द। दारू पिला पिला कर आदिवासी लोगों से वोट लिये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने तो इससे भी ज्यादा पिलाई होगी।

श्री लक्ष्मणसिंह: वन्स सोइल डज नाट मेक समर। मेरी पार्टी की क्या दशा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है वह तो रामानन्दजी जानते हैं। वे लेगपुल करें तो यह बात अलग है। तो मैं यह भी सीरियसली कहता हूं। मजाक की बात नहीं है। जनतन्त्र को स्वस्थ रखने की बात है। अगर दारू और मनी पावर से इलेक्शन में काम लिया गया तो करोड़ों लोग करप्ट होंगे। भ्रष्टाचार की यह पराकाष्ठा होगी। तो इस सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काऊन्टर फाईल व्यवस्था हुई इसके मुकाबले में जो पहले वाली व्यवस्था थी वही अच्छी थी। मतदाता सूची के अन्दर मतदाता का नाम देखकर मत पत्र मिल जाते थे अब तो मतदाता सूची देखी जाती है और उसके दस्तखत लिये जाते हैं तब उसको मत पत्र मिलता है—काऊन्टर फाइल पर दस्तखत होते हैं और अगर वह अनपढ़ होता है तो उसके अंगूठे की निशानी ली जाती है। मेरे कांग्रेसी दोस्त प्रचार करते हैं कि अबकी बार खास तौर से मत पत्रों के काऊन्टर फाइल पर दस्तखत लिये हैं, अंगूठे की निशानी ली है। गलत मत दे दिया और पकड़े जावोगे तो याद रखना तुम्हारे यहां विकास नहीं होगा विनाश कर दिया जायगा। (विराम)

यह अध्यक्ष महोदय, काऊन्टर फाइल का सिस्टम स्क्रेप होना चाहिये। इसका लाभ क्या है, मैं तो समझता हूं यह गुप्त मतदान प्रणाली के विपरीत है। दस्तखत करवाना और अंगूठे करवाना मेरी समझ के बाहर की बात है। खैर, जो कुछ भी हुआ है। अब तो विधान सभाओं में कांग्रेस दल का प्रचंड बहुमत आ गया है और मैं चाहूंगा श्रीमती इन्दिराजी का नारा केवल मात्र थोथा नारा नहीं रहे वास्तविकता का रूप धारण करे। मैं नहीं समझता किस जादू की लकड़ी से गरीबी हटाने का उनका यह नारा है। खैर, 6 महीने, एक वर्ष, डेढ वर्ष और देख लें फिर मेरे खयाल से जनता की आकांक्षायें होने लगेगी कि गरीबी हटाने का नारा थोथा है, यह वास्तविकता को लिये हुये नहीं है और अब तो वास्तविकता यह है कि थोथा चना और बाजे घना के सिद्धान्त से आश्वासन दिया गया है। अगर यह अश्वासन क्रियान्वयन होता है। अगर गरीब आदमी को एक रुपये में चार आना राहत मिलती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कांग्रेस का वास्तविक नारा है और फिर विरोधी दल को बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। सीलिंग का कानून जब आयेगा उसको देखने के पश्चात ही अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं। सिद्धान्त: मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो लैन्ड सीलिंग, एग्रीकलचर प्रापर्टी जो कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है उसकी भी क्रियान्विति सन्तोषजनक रूप से नहीं की है। अगर इसी तरह अरबन प्रापर्टी सीलिंग की भी सन्तोषजनक रूप से क्रियान्विति नहीं कर पाते हैं तो यह केवल नाम मात्र का आश्वासन है। आप को जब कभी सीलिंग लाना है, नगरीय भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग लाना है और मुझे ऐसे आसार लगते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा सारे भारतवर्ष के लिये एक युनिफाइड ला बनना चाहिये। हमारे राज्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। केन्द्र

(श्री लक्ष्मणसिंह)

और राज्यों के बीच में सामंजस्य होकर, राय मिला कर जो सीलिंग की सीमा निर्धारित हो, उस निर्धारित सीमा को लेकर और इसी वर्ष अगर आपने कहा है विधेयक लाना है, तो मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। वे एक दो दिन का टालमटोल कर रहें है।* अब सीलिंग के कानून के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से यह कहलवा दिया कि एग्रीकल्चरल विधेयक इस सत्र में नहीं आयेगा, अगले सत्र में आयेगा इस तरह की टालमटोल स्थिति के अन्दर चाहे संविधान में 100 संशोधन करें तो क्या, प्रिविपर्सों को हटाये तो क्या, राजा महाराजाओं की सम्पति, धन, जायदाद, जमीन छीनकर भी 50 करोड़ आदमियों में केवल 255 परिवारों की सम्पति को लेकर आप अमीरी नहीं ला सकते हैं तो गरीबी भी नहीं हटा सकते हैं। संविधान में वर्णित 26, 27 और 28 वें अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को समाप्त करके खुशहाली नहीं ला सकते हैं। खुशहाली तो उत्पादन बढ़ा कर ही ला सकते हैं, खुशहाली तो भ्रष्टाचार मिटाकर ही ला सकते हैं, टैक्सों को कम करके खुशहाली ला सकते हैं और भावों का निर्धारण मूल्य अब तक की वस्तुओं पर लाकर कर सकते हैं, अन्यथा गरीबी नहीं हटा सकते हैं। मैं यह देखना चाहूंगा कौनसी जादू की लकड़ी शासनारूढ़ दल के पास है जिससे समाजवादी व्यवस्था के द्वारा गरीबी हटायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जंगलों के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मान .स्तावक महोदय ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसके लिये एक हद तक तो मेरी सहानुभूति है। यह हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है। इससे वर्षा का निकटतम सम्बन्ध है और अगर जंगलों को बरबाद होने से नहीं बचाया जायगा तो कोई ताज्जुब नहीं कि 50 वर्ष के अन्दर बहुत सारा क्षेत्र जो फर्टीलाईजड ऐरिया है, उपजाऊ है, वहां भी डेजर्ट हो जायगा। आप देखेंगे अरावली के पश्चिमी भाग के अन्दर धीरे धीरे बालू रेत बढती चली जा रही है। पहाड़ साफ होता जा रहा है। कम से कम प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों की कटाई जंगलों की तो बिलकुल बन्द कर देनी चाहिये। मेरा अध्यक्ष महोदय, सरकार से यही निवेदन है कि साथ ही साथ जंगली जानवर, शेर, तेन्दुआ, भालू, काला हरिण उनके लिये आज खेद का विषय है क्या बम्बई, क्या कलकत्ता एक शेर की खाल के पांच हजार रुपये लिये जाते हैं, एक तेन्दुएं की खाल के कम से कम एक हजार रुपया लिया जाता है और इन खालों का निर्यात यूरोप के देशों के अन्दर किया जाता है। सारी खालें पश्चिमी देशों के अन्दर जाती हैं। अगर इस सम्बन्ध में इस देश के अन्दर एक ही दल का राज्य हो, संवैधानिक रूप से हम फैडरेशन के रूप में हों, तो राजस्थान की सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि इन दुकानों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। 100-100 खालें शेर और तेन्दुओं की इनके बैक यार्ड में पड़ी हुई है। सड़ रही है और जिनको अमेरिकन ट्रन्क्स में बन्द करके ले जाते हैं। इस बारे में सरकार को सजग होना चाहिये और कोई न कोई ठोस व्यवस्था करनी चाहिये यही मेरा निवेदन है। अगर जंगल जिस तरह से आज कट रहे हैं उसी तरह से कटेंगे तो, मेरे खयाल में, मेरे आदिवासी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

क्षेत्र के अन्दर लोगों को खाना पकाने के लिये भी इन्धन मिलना मुश्किल हो जावेगा। मुर्दों को जलाने के लिये भी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जावेगी। मैंने सुना है कि नाथद्वारा में एक गरीब आदमी मर गया उसको कण्डों से जलाया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : वहां लकड़ी से जलाते नहीं कण्डों से जलाते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप तो जंगल के क्षेत्र से आते हैं, वहां तो लकड़ी से जलाते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह नाथद्वारा खास में ही होता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : नाथद्वारा खास में तो होता होगा, आस पास तो नहीं होता है। मैं क्षमा चाहता हूं मेरी जानकारी में यह नहीं था। यह परम्परा दिन ब दिन फलती फूलती जा रही है इसको बढ़ाना चाहिये या घटाना चाहिये यह शासनारूढ़ दल के निर्णय करने की बात है।

मुझे खेद के साथ यह भी कहना पड़ेगा कि लोक पाल और लोक आयुक्त के सम्बन्ध में न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र है। यह परम आवश्यक है और यह केन्द्र में और राज्य में व्यवस्था होनी चाहिये और यह जितनी जल्दी होगा उतनी ही शासनारुढ़ दल और कांग्रेस के लिये बरियत का विषय होगा। हमारे ऊपर भी यह आयगा कि चाहे कितना ही बड़े से बड़ा आदमी होगा उसका भी सबजेक्ट मेटर ऑफ इन्क्वायरी हो सकता है और उस पर जांच हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, यह भी खेद का विषय है कि आज लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद् ज्युडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन में सामन्जय नहीं है, वैमनस्य है। लोक सभा में सुप्रीम कोर्ट के जजेज के खिलाफ वातावरण है। उनके विषय में माननीय सदस्य मन चाहे जो कुछ कह जाते हैं और अध्यक्ष की ओर से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता। यह एक अधिकनायकवादी व्यवस्था है और यदि हम उस ओर धीरे २ जा रहे हैं कि अफ्रीकन स्टेट्स में वन पार्टी वन लीडर मुझे क्षमा करिये, उस परम्परा पर जा रहे हैं तो यह हमारे इस महान देश के लिये बहुत ही अशोभनीय बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, छापे की भी आजादी का एक विषय है। फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस और सरकार में वैमनस्य नहीं होना चाहिये और यदि जहां यह वैमनस्य बढ़ता जा रहा है तो वहां अधिनायकवाद बढ़ता जा रहा है और एक साम्राज्यवाद उत्पन्न होने की आशंका बढ़ती जा रही है जिसका मैं विरोध किये बिना नहीं रह सकता।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा जा सकता है कि संविधान में संशोधन लाने का यह मतलब नहीं है कि गरीब की जमीन बिना मुआवजा ले जाय। सरकार का इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीब लोगों के सैकड़ों ही नहीं किन्तु हजारों खेतों में गड्ढे खोदे गये, हजारों खेतों में तालाबों का पानी आ गया किन्तु उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जहां पर रेल आयी है तो वहां पर केन्द्र का विषय होने से लोगों को मुआवजा दिया गया। किन्तु राजस्थान सरकार की सड़के बनीं गरीबों के खेतों में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

गढ्ढे खोदे गये, तालाबों के जरिये से लोगों के खेतों में पानी भर गया लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं की और मुआवजा नहीं दिया। वे लोग शरणार्थी बन गये। सैंकड़ों व्यक्तियों को मुआवजा मैंने दिलाया। यह एक जिले का प्रश्न नहीं है। सारे राजस्थान के हजारों लोगों का प्रश्न है। गरीबों को मुआवजा नहीं देना यह अत्याचार की पराकाष्टा है। सरकार को इस विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, भूमि अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान यह मांग की गयी कि इस विषय में इम्पार्शियल इन्क्वायरी होनी चाहिये मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मैंने स्वयम् ने देखा है कि भूमि अलाटमेन्ट कराने में वे ही सफल होते हैं जो महीने में दो चार बार बस में बैठ कर तहसील और जिला हैडक्वार्टस के चक्कर काट आते हैं और जब तक नहीं जायं तब तक भूमि का अलाटमेन्ट नहीं हो सकता। बेचारे गरीब की सुनवाई कौन करे। आदिवासी क्षेत्र में दूसरे लोग, जाति विशेष का नाम मैं नहीं लेना चाहता, भूमि अलाटमेन्ट कराते है। कोई सुनवाई नहीं। पैसे वालों के लिये सब व्यवस्था हो सकती है। गरीब के लिये कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से हो तो मैं समझूंगा कि भूमि अलाटमेन्ट के नाम पर कुछ व्यवस्था गरीब के लिये हो सकती है।

प्रस्तावक महोदय ने छोटी जोतों के लिये अनार्थिक जोतों के सम्बन्ध में, लगान की माफी की बात कही। वह तो हमने बार बार मांग की है। सन् 67 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा सरकार ने घोषणा की कि अनार्थिक जोतों पर लगान की छूट दी जावेगी लेकिन फिर आश्वासन को जैसे थूक को चाटते हैं उसी तरह से सरकार ने किया। यह अशोभनीय व्यवस्था है। मैं इसको फिर से दोहराता हूं कि अनार्थिक जोत के किसान जो तीन एकड़ से कम की भूमि के मालिक हैं उनको लगाने में माफी देनी चाहिये, अवश्य देनी चाहिये। तब तो मैं समझता हूं कि गरीबी हटाने की तरफ एक कदम भी बढ़ते हैं। दब कर कदम उठा कर फिर बैठ गये तो इसका कोई अर्थ नहीं।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे क्षेत्र का है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह कोई दल विशेष का प्रश्न नहीं है जनता का प्रश्न है। माननीय सदस्य विट्ठल भाई जो पीपल खूंट से आये हैं वे आज यहां नहीं हैं। बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला जो उदयपुर जिले का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर आदिवासियों से दो तीन साल तक लगान वसूल नहीं हुआ। लोगों को तकावी और लोन आदि दिये गये, अब ताबड़ तोड़ सब इकट्ठा लगान भी लाओ, तकावी भी लाओ और लोन भी लाओ। नहीं लाओ तो डंडे खाओ। यह सिवाय सरकार के आदेशों के पटवारी करे यह नामुमकिन है। मैं सरकार की इस नीति का घोर विरोध करता हूं और निन्दा करता हूं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार तुरन्त बंद करे। इसके साथ साथ यह और कि लगान या जो भी लोन उस पर दंडनीय ब्याज, यह कभी सुनने में नहीं आ रहा है। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या यहां पर हलाकू और चंगेज खां की नीति अपनायी जा रही है। लगान का प्रिन्सिपल तो लेंगे, दंडनीय लगान को माफ करने के

Page No.30

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आदेश हुए, पंचायत समितियों से भी दरियाफ्त किया गया कि माफ किया गया तो फिर पटवारी जाकर वसूल कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, दुःख के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यदि दंडनीय ब्याज वसूल किया है तो उसको वापिस लौटायें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप गुनहगार हैं।

जंगल के सम्बन्ध में मैंने चर्चा की। उसके साथ साथ ओवर ड्राफ्ट के बारे में भी निवेदन करूंगा। बजट के आंकड़े तो मैंने नहीं देखे हैं। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, 175 करोड़ होंगे। यदि 600 करोड़ का कर्जा हो गया वह दिवालिया सरकार ही हुई। एक आदमी की 20 हजार की आमदनी है और 60 हजार का खर्चा है तो वह दिवालिया ही हुआ। ओवर ड्राफ्ट की भी व्यवस्था बन्द हो गयी, माननीय मनोहरसिंहजी मांडलगढ़ से थे यहां विराजमान थे तो मैंने कहा था कि मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैंने जो भी आश्वासन दिया वह पूरा किया। लेकिन सरकार नहीं करती है। अब मैं कहने के लिये आजाद हूं। पैनी वाइज पाउन्ड फुलिश मत बनिये। हरियाणा, महाराष्ट्र, आदि जगह क्या हो रहा है उसको देखिये, गुजरात में क्या हो रहा है वहां देखिये। प्रोहिबिशन को बन्द करिये।

आप चाहे जितनी दारू पिलायें बल्कि इस होली के अन्दर और इलेक्शन के दौरान दारू की फाग तो आपने खिलवाई है नशाबन्दी जिलों के अन्दर और अब आप कहते हैं कि नशाबन्दी की हठधर्मी के अन्दर हम कायम हैं। तो अब तो माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया भी नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन उनको शायद कुछ हद तक इस प्राहीबीशन की कुछ एलर्जी थी। तो वे अब राज्यपाल बन गये और अब आपको पुनर्विचार करना चाहिए नये तरीके से आपको आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए मेरा यह निवेदन है कि 8-10 करोड़ की आमदनी है, वह क्यों फिजूल छोड़ते हो। इस प्राहीबीशन को खत्म कीजिए नहीं तो सैकड़ों आदिवासी हैं वो सड़ी और रद्दी ठर्रा पीते हैं और इससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा असर होता है।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी आपकी आज्ञा से दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को चाहिए कि इसका अनुचित लाभ परिवार नियोजन के संबंध में नहीं लें। आपको कम से कम आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर बहुत अच्छे डाक्टर और सेवाभावी डाक्टर को भेजना चाहिए। इन ऊटपटांग लोगों को भेजकर आपरेशन करवाना और लोग मर जाते हैं, पस पड़ जाती है और उसका विपरीत परिणाम पड़ता है और आदिवासियों को ही आप इस तरह से आपरेशन करवाकर मजबूर करते हैं तो दूसरों को भी क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि मैं किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं करता लेकिन इस तरह के आदेश निकालना कि जो नसबन्दी का आपरेशन करवायेगा उसको भूमि का अलोटमेंट होगा– यह कहां तक ठीक है आप स्वयं विचार करें। इस तरह के आदेश कभी नहीं निकालने चाहिए। यह महान अशोभनीय व्यवस्था है। अच्छे डाक्टरों को भेजकर लोगों का सहयोग प्राप्त करके अगर आप

Page No.31

(श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यवस्था करते हैं तो आपको एक हद तक सफलता मिलेगी। मैं एक हद तक सहयोग देने के लिए भी तैयार हूं। गरीबों के लिए हाउसिंग प्राब्लम के संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप मकान बनाकर क्यों नहीं उनको देते हैं? हरिजन, आदिवासी को मकान बनाने के लिए आप अनुदान देंगे तो वह तो उस रकम को इस्तेमाल कर लेगा। आप मकान बनाकर उनको रहने का मकान दीजिए तब तो ठोस कदम भी आप उठा सकते हैं और गरीबों का भला कर सकते हैं, यह भी मैं मानने को तैयार हूं अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर के संबंध में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जयपुर में हाईकोर्ट का होना मैं समझता हूं कि परमावश्यक है। मैं जोधपुर की गरिमा और महिमा को बिल्कुल नहीं हटाना चाहता। जोधपुर के अन्दर हाईकोर्ट की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे उस संबंध में मुझे एक शब्द भी नहीं कहना है लेकिन आखिरकार जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आबादी के अनुपात से और समृद्धि के अनुपात से, लिटीगेशन के अनुपात से जयपुर के अन्दर हाईकोर्ट का होना परमावश्यक है। अब तो पुराने दिग्गज श्री मोहनलालजी सुखाड़िया, मथुरादासजी माथुर और श्री दामोदरलालजी व्यास भी नहीं है। इस संबंध में भी अगर सुखाड़िया जी को एलर्जी थी तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए और यह जो जनता का प्रश्न है, न्याय का प्रश्न है, मैं तो कहूंगा राजस्थान में बैंच कोटा, उदयपुर और बीकानेर में भी हो। अगर नहीं हो तो कम से कम बैंच जयपुर में हो और सीट जोधपुर में हो। इतना तो आपको कम से कम करना ही चाहिए।

अहमदाबाद में म्युनिसिपल कारपोरेशन है। यहां पर राजस्थान की राजधानी है और यहां भी म्युनिसिपल कौंसिल का स्टेटस कारपोरेशन का स्टेटस होना चाहिए, मेरी यह मांग है। जयपुर एक अनोखा नगर है, इसको गुलाबी नगर कहते हैं, यह परम सुन्दर है, इसकी डिस्टिंक्टिव पर्सनेलिटी है, इसका एक अलग व्यक्तित्व है। अगर इसके सौन्दर्य के संबंध में आप कोई भी ऊटपटांग योजना लेकर 20-20 मंजिली और 15-15 मंजिली बिल्डिंग बना देंगे, वह चाहे तो बाहर बनाइये लेकिन यह दरवाजे और दीवार वगैरह को पूरी तरह से कायम रखें। यहां चौपड़ की जो व्यवस्था है वह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में और पेरिस में ऐसा ले डाउन नहीं होगा। ब्यूटिफिकेशन आफ जयपुर मास्टर प्लान के द्वारा निर्धारित करके उसी के अनुसार व्यवस्था करेंगे तो मैं आपका बहुत आभार मानूंगा।

यहां पर गये साल अधिक वर्षा के अन्दर बांध वगैरह टूट गये हैं उसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाये।

आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के संबंध जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर आबादी बहुत है और जमीन बहुत कम है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जब तक कोई न कोई आप उद्योग वहां पर कायम नहीं करते तब तक उस क्षेत्र का निराकरण संतोषजनक नहीं होगा। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को यह लिखें कि डूंगरपुर से बांसवाड़ा होकर चाहे तो रतलाम से रेल लाइन मिलाई जावे या फिर डूंगरपुर से बांसवाड़ा और दाहोद को रेल्वे लाइन से मिलाया जावे। यह रेल लिंक वहां पर स्थापित किया जाये। चाहे वह मीटर गेज ही क्यों न हो तो वह इन्डस्ट्रीज के लिए इन्सेन्टिव होगा और हजारों आदिवासियों को नौकरी मिलेगी और मेरे ख्याल में जो संकटापन्न स्थिति है और आर्थिक स्थिति है, उसका भी एक हद तक निराकरण होगा।

विद्युतिकरण के संबंध में अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा और थोड़े ही समय में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विद्युतिकरण के संबंध में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां बिजली आसपुर होकर निकली है तो आसपुर से सागवाड़ा पूंचपुर और वड़ोदा आती है वहां पर बिजली दी जाये। मुंगेर जो आसपुर तहसील का गांव है वहां दी जाये। सागला और मुंगेर के अन्दर भी दी जाये। अगर नहीं दी जाती है तो मंत्री महोदय मेरे सामने ही विराजते हैं आप बतायें कि सागवाड़ा में कितनी जगह बिजली दी गयी है और डूंगरपुर से सागवाड़ा होकर सामलवाड़ा तक बिजली पहुंच गयी भोगीलालजी के गांव में और आसपुर के अन्दर लोग तारों को देखकर तरस रहे हैं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। ......

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये इसलिए नहीं मिली।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप तो कांग्रेसी हैं।

श्री विट्ठल : इसीलिए तो वहां नहीं दी कि वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : दस दफा ऐसा होगा और काम नहीं होता है तो।

छोटी सिंचाई की योजनाओं को भी सरकार को महत्व देना चाहिए। छोटे तालाब बनाने के लिए भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जो डूंगरपुर से रामगढ़ होकर आसपुर तक सड़क सरकार ने बनाने की व्यवस्था की है और उस पर काम चालू है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सागला से धारयावद होकर प्रतापगढ़ की भी पक्की सड़क बनायें। और यह सड़क बनती है तो भी आदिवासी क्षेत्रों को एक हद तक लाभ पहुंचेगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार अभी तक गरीबी नहीं मिटा सकी, जो सरकार रिश्वतखोरी को अभी तक कम नहीं कर सकी, जो सरकार शिक्षित बेरोजगारी को कम नहीं कर सकी, जो सरकार दिन प्रति दिन आपाधापी और अपोर्चुनिज्म में व्यस्त है, ऐसी सरकार की प्रशंसा मैं नहीं कर सकता। अतः इस धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचंद विश्नोई (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। आने वाली पीढ़ियां जब राजस्थान के इस समय के इतिहास को

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पढ़ेंगी और उसके बारे में छानबीन करेगी तो निश्चित ही राजस्थान जो कि हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, सामन्ती परम्पराओं से दबा हुआ था, राजाओं से दबा हुआ था, उसका प्रशासन केवल प्रशासनिक और नाम मात्र का था उससे जन कल्याणकारी,

(12 51 म० प०)

(श्रीमती मदनकौर, सभापति, पीठासीन)

प्रगतिशील प्रशासन कैसे मिला है। तो उसके लिए एक ही डॉकूमेंट है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पिछले 25 सालों से हो रहे हैं उससे अधिक ओथोरेटेटिव डाकूमेंट और कोई मिलेगा। क्योंकि पिछले बीस बाईस सालों में राजस्थान ने, अभी हालांकि काफी पिछड़ा हुआ है, आगे बढ़ना है लेकिन जो पुरानी स्थिति रही है, उससे आज बहुत अधिक तरक्की की है। जिस समय में पढ़ता था स्कूल में उस वक्त जोधपुर और पाली के बीच में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था। जोधपुर और जालोर के बीच में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था। डामर की सड़क जोधपुर शहर तक सीमित थीं। ग्रेवर रोड्स नाममात्र को थीं। 1950 और 52 तक पश्चिमी राजस्थान के बहुत से ऐसे गांव थे, ऐसे ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी जिन्दगी में रेल और मोटरें नहीं देखी थी। आधुनिक चिकित्सा का वहां पर अभाव था। बिजलीघर छोटे छोटे राजस्थान के चन्द कस्बों के अन्दर थे। जहां तक कालेजों का प्रश्न है, जो भूतपूर्व राजाओं की राजधानियां थीं उनमें थे। उनमें विद्यार्थियों की संख्या 200 से 300 तक हुआ करती थी। आज उन सब बातों को हम देखें और बाहर की बातों का मुकाबला करें तो राजस्थान के अन्दर आर्ट और साइन्स के कालेज, मेडिकल कालेज हर तरह के इंजीनियरिंग के कालेज, खेतीबाड़ी के कालेज, पशुपालन के कालेज और दूसरी दीगर टेकनिकल ट्रेनिंग की अन्य संस्थाएं आपको अनाप शनाप मिलेंगी। आज से 20 वर्ष पहले हम जितना अन्न उत्पादन करते थे आज उससे अधिक ऊन्न उत्पादन हम करते हैं। आज से बीस साल पहले गावों का जन-जीवन हजारों वर्षों से जमा जमाया था और उनको अपनी जाति बिरादरी, रीति रिवाज पर ही पंचायत करने का अधिकार था लेकिन वे देश, समाज और राज्य, पंचायती राज, स्वतंत्रता, पढ़ाई लिखाई, आधुनिक चिकित्सा, उन्नत खेतीबाडी की बातें, इनके बारे में सोच ही नहीं सकते थे और ये आम नागरिक की कल्पना के बाहर की चीजें थीं। लेकिन आज राजस्थान को हम देखते हैं तो पिछले बीस सालों में हमने पांच चुनाव करवाए और एक मध्यावधि चुनाव भी हुआ। इस प्रकार छः चुनाव हमने करवाए। जिस वक्त अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, दुनिया के विद्वान् लोग थे, जिनकी जनतंत्र में आस्था थी, वे यह सोचते थे कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी ज्यादातर जनता अशिक्षित है, गरीब है, पिछड़ी हुई है, दुनियां के दूसरे देशों से उनका नाममात्र का भी सम्पर्क नहीं रहा है और जाति, धर्म, भाषा, रंग, अनेक तरह से भेदभाव हैं, इसलिए इस देश के अन्दर जनतंत्रवाद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेगा। भारत के बाद संसार में 80-90 देश स्वतन्त्र हुए और सभी ने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ही यही तय किया शुरू 2 में हम देश में जनतंत्रवादी प्रणाली अपनाएंगे लेकिन नवोदित देशों में भारत के सिवाय और कोई ऐसा देश नहीं है जिसके अन्दर जनतन्त्रवाद अधिक लम्बे अर्से तक कायम रहा हो लेकिन भारत में यह जनतंत्रवाद कायम ही नहीं है अपितु दिनोंदिन मजबूत होता जा रहा है। तो यह सब उपलब्धियां पिछले बीस सालों की है और केवल वोट के नाम पर ही जनतंत्रवाद कायम हो यह बात भी नहीं है। किसी देश की मजबूती आंकी जाती है जब उसका दूसरे देशों से संघर्ष होता है, जब उस पर मुश्किलात और आपत्तियां आती है। जब उसका सामना बड़ी 2 समस्याओं से होता है। आप देखेंगे कि पिछले 25 वर्षों में हमारे देश पर कितने बाहरी आक्रमण हुए। बड़े 2 अकाल पड़े, बड़ी 2 बीमारियां आईं। जाति और धर्म के नाम पर उपद्रव हुए लेकिन इन सब कठिनाइयों को पार किया और उसके लिए राज्य और केन्द्र का प्रशासन और यहां की जनता वास्तव बधाई के पात्र हैं। और अभी जो भारत पाक संघर्ष हुआ और नये देश का जन्म हुआ जिसमें अमेरिका और चीन का रवैया रहा, ऐसे शक्तिशाली देशों के हमारे खिलाफ होते हुए भी हमने निर्णायक युद्ध लड़ा और उसमें हमारी शानदार विजय हुई। यदि हमारे प्रशासनिक ढांचा, हमारी नीति, हमने जो कुछ वैज्ञानिक उन्नति की है, यदि वह हम नहीं कर पाए होते और उसमें यदि कोई खामी होती, यदि कोई कमजोरी होती तो युद्ध के समय हम टूट जाते। हमारा प्रशासन, हमारा जनतंत्रवाद जो है वह मुश्किलात के समय लचक जरूर जाता है किन्तु ऐसा कभी समय नहीं आया जिसमें वह टूट गया हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का भी प्रशासन उसी तरह सब मुश्किलातों को उठाते हुए दिनों दिन मजबूत हुआ है, बढ़ा है।

राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वह पीछे जितनी भी नीतियां सरकार की रही हैं उसका एक तरह से लेखा जोखा होता है और सरकार आगे क्या करना चाहती है उसकी नीति उसमें बताई जाती है, उन बातों की ओर संकेत किया जाता है। तो इसलिए निश्चित ही राज्यपाल और राजस्थान की सरकार हार्दिक बधाई की पात्र हैं इस जनता की प्रतिनिधि सभा की। लेकिन उसमें एक खामी मुझे खटकती है, क्योंकि हमने जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा कि एक बड़ी शानदार चुनावों में विजय प्राप्त की और हमारे जो दल के नेता हैं उनकी घोषित नीति यह है कि भाई देश के अन्दर दूसरी जितनी भी समस्यायें थीं वह हमने किसी न किसी तरह से हल की हैं, हमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है और अब गरीबी के खिलाफ लड़ाई है और इस युद्ध को भी हमें जीतना है। लेकिन इस भाषण के अन्दर जो यह इतनी बड़ी बात कही जाती है उसका आभास कहीं नहीं मिलता है। यह कहूं कि यह एक तरह से काम चलाऊ भाषण है जिसमें यह कहा गया कि पिछले साल इतने कुओं का विद्युतिकरण किया गया और इस साल इतने में करेंगे। पिछले साल इतनी बस्तियों में हमने रोशनी का इन्तजाम किया और अब इतने अधिक में और इन्तजाम करेंगे। पीने के पानी की इतनी जगह सुविधाएं देंगे और इतनी भूमि को वितरित करेंगे। इस

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तरह की छोटी मोटी बातें काम चलाने के तरीके से कही जाती हैं, वही बातें यहां कही गई हैं। मैं समझता हूं कि होना यह चाहिए था कि एक ब्रोड प्लानिंग हमारे सामने आता हमारा जो निश्चित लक्ष्य है समाजवादी समाज की रचना करने का और उसी हिसाब से हमको राज्य सरकार की अपनी नीतियां बनानी हैं और उसमें राजस्थान के तमाम प्लानिंग के अन्दर पिछले वर्षों के अन्दर जो त्रुटियां रही हैं केवल उन्हीं का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा।

पहली बात है सभापति महोदया, राजस्थान के मरुस्थल के विकास की समस्या। आप जानते हो कि राजस्थान का मरुस्थल हमारे देश के दूसरे प्रदेशों से बिल्कुल ही भिन्न है। इस मायने में भिन्न है कि वहां पर घास और तरह की होती है, जन-संख्या कम है, आवागमन के साधन कम हैं। पानी बहुत गहरा है, रोजगार कमाने के तरीके दूसरे हैं। यह सब देश के अन्य भागों से भिन्न है। ये सब समस्यायें हैं लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पच्चीस साल की स्वतन्त्रता के बाद भी हमने मरुस्थल को अलग समस्या नहीं माना है। इसका विकास उसी तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से हम बंगाल, बिहार और यू० पी० और अन्य प्रदेशों का करना चाहते हैं। यू. पी. में अनाप शनाप पानी है। बंगाल में सौ, दो सौ, इन्च के आस पास वर्षा होती है। बिहार के अन्दर भारत की सब से बड़ी नदियां बहती है, वर्षा भी अधिक होती है। तो उनका और इस मरुस्थल की उन्नति का तरीका एक नहीं हो सकता है। पीने के पानी के लिए शायद बिहार, बंगाल और यू. पी. में एक कुआ खोदने में उतना ही पैसा लगेगा या आधा लगेगा जितना हमको एक टांका खोदने में। एक दिन में टांका खुदता है। हमारे मरुस्थल के निवासी शाम तक वहां पर कुआ खोद कर पानी का इन्तजाम कर लेते। राजस्थान में तीन सौ की जनसंख्या शायद दस, बीस, तीस माइल का क्षेत्र ढूढेंगे तो यह मिलेगी लेकिन यू. पी. की हर धाणी, गांव की जनसंख्या इससे कम नहीं है और एक से दूसरे गांव की दूरी आधे मील से दूर नहीं है। अगर हम 50 मील सड़क बनायेंगे तो 250 की जनसंख्या को कवर कर पायेंगे। तो यह विशेष समस्या है मरुस्थल की और इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसकी जो उपलब्धि है उसके लिए उसके साधन को विकसित करने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है और जो विकास का तरीका अपनाया है वह दूसरे प्रदेशों के तरीका अपनाया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत ही शानदार इलाका दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है और वहां के लोग हर दूसरे साल एक महान दुःख का सामना करते हैं और वे सरकार के ऊपर भी भार बने हुए हैं। जब भी मैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में सोचता हूं तो उसकी खूबियां मेरे सामने आ जाती हैं। मैं निश्चितरूप से यह कह सकता हूं कि आज जो पशुधन पश्चिमी राजस्थान में है वह भारत देश में कहीं भी नहीं है। वहां की राठी गाय प्रसिद्ध है। हरयाणा गाय प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है सायबाय गाय, पोंगल की, सुराचंद डाणी की, मालाना की भेड़ प्रसिद्ध है। ऊंटों की मोनोपोली है। हमारे हिन्दुस्तान का आधा भैंसों का धन हमारे यहां पर है। बड़े बड़े शहरों बम्बई, अहमदाबाद को हम मांस, साग सब्जी देते हैं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आपको मालूम होना चाहिए कि संसार में प्रति व्यक्ति सम्पन्न जो देश है वह पशुपालक देश है। वहां पर एक एक व्यक्ति की आमदनी में फर्क नहीं है और···

श्री केदारनाथ: नागोरी बैल को आप भूल गये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां नागोरी बैल भी वहां पर होते हैं। वे भी बड़े प्रसिद्ध हैं।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य (मावली): आदमी की नस्ल भी बढ़िया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं यह बात कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ आदमियों की नस्ल भी हमारे इस मरुस्थल क्षेत्र में है। वहां का आदमी कद में, स्वास्थ्य में और हिम्मत में अन्य आदमियों से आगे है। वह तारीफ के लायक है और इन मुसीबतों का सामना करता हुआ भी वह अपना काम चलाता है।

सभापति महोदया, चुनाव के दौरान मैं अपने एक चुनाव क्षेत्र में गया था। एक साधारण काश्तकार को मैंने देखा है। उसके पास 100 बिछाने के बिस्तर और 100 ही मांचे थे और शायद 100 आदमियों को वह खाना भी खिला सकता था। इतने मेहमानों को क्या आप अपने यहां पर ठहरा सकते हैं। यह होटल कारपोरेशन जो खासा कोठी कहलाता है वह भी इतने आदमियों का एक साथ बन्दोबस्त नहीं कर सकता है। सौ आदमियों को अकोमोडेशन अशोका होटल भी नहीं कर सकती है। तो पशुधन की खासियत यह होती है। संसार के जितने भी विकसित देश हैं वे ट्रान्जीस्टर को सस्ता कर सकते हैं, टेप रिकार्ड को सस्ता कर सकते है, घड़ी को सस्ता कर सकते हैं, लेकिन चमड़ा सस्ता नहीं कर सकते हैं, ऊन को सस्ता नहीं कर सकते हैं, मक्खन, हड्डी को सस्ता नहीं कर सकते हैं और पशुओं से जो दूसरी चीजें पैदा होती है उसको वे सस्ता नहीं कर सकते है। तो हमारे में कुदरत की एक चीज है जिसको हमारा यह आधुनिक विज्ञान सब्सीट्यूट नहीं कर सकता है। भारतवर्ष से जैसा मार्केट हमारे पास में है और हमारे पास में जो इतना धन है और उसके बाद भी भूखे मरें तो मैं समझता हूं कि यह हमारे प्लानिंग का अभाव है। लोगों की क्वालिटिज का जो प्रश्न है, मैंने पावर का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जितने खेती के ट्रेक्टर है वे अधिकतर मरुस्थल क्षेत्र में है। राजस्थान का जो दो फसली इलाका है, उस में इतने इतने ट्रेक्टर नहीं होंगे। जितनी मशीनें लगी हैं सिंचाई की वह वहां पर है। विज्ञान और टेक्नोलोजी को पिछड़े क्षेत्र के लोगों ने जितना समझा है मैं समझता हूं कि आम काश्तकारों और आम लोगों ने उसको इतना नहीं समझा है। यही नही राजनैतिक दृष्टि से चेतना भी यहां के लोगों में है और मैं यह कह सकता हूं कि जनतन्त्र में इस क्षेत्र के गरीब लोग आगे आये हैं बनिस्पत दूसरे क्षेत्रों के लोगों से शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को छोड़ कर। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि झोंपड़ी में जन्मे, पैदा हुए लोग यदि कहीं पर आगे आये हैं तो वे मरुस्थल प्रदेश से आये हैं, दूसरे प्रदेशों से नहीं आये हैं। इसलिये मरुस्थल के विकास की ओर हम को पूरा ध्यान देना चाहिये और यदि कोई यह कहे कि

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मरुस्थल का विकास हैं, यह खर्चीला है, कई लोग यह सुझाव दे जाते हैं अज्ञानवश ! यह जानकारी उनकी पूरी नहीं है । इस इलाके के विकास की ओर हमको खास कर के ध्यान देना चाहिये जहां पर भारत की ही नहीं संसार की बढिया घास होती है । संसार के सब से अच्छे पेड़ पौधे होते हैं । कोई ऐसा प्रदेश नही है जहां पर कि पशु सब के सब पेड़ पौधे खाता हो । वहां पर कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसको पशु नहीं खाता हो । यू. पी. के वृक्ष हरे हैं लेकिन उस पूरे को पशु नहीं खा सकता । काश्मीर की घाटी हरी भरी है लेकिन वहां की गायों का कद भेड़ के बराबर का है और रंग रूप में दिखाई ऐसी देती हैं जैसे कि बीमार हो । हमारा पशु खराब नहीं है । अकाल के समय में रामकिशन जी को उधर ले गया था । मैंने वहां के पशुओं को उनको दिखाया । सफेद रंग की गायें जैसे सफेद मखमल हो । मैंने उनसे कहा देखो तो हरे मरुस्थल की यह खासियत है । सुखाड़ियाजी को भी मैंने यह प्रदेश दिखाया है। मैंने उनको एक ही क्षेत्र में दो हजार ट्रैक्टर दिखाये । जिस इलाके के अन्दर पानी नहीं है वहां क्या पैदा होता है ? मैंने कहा, यहां पर हिम्मत वाले आदमी पैदा होते हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मरुस्थल का विकास होना चाहिये और इसके विकास की ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये यह हम कर सकते हैं यदि हम पशुधन का विकास करें, पशु से जो पैदाइश है उसकी बिक्री का इन्तजाम करें । बम्बई के अन्दर हमारी गायें, भैंसें जाती हैं और उनसे फायदा होता है । वहां पर रहने के लिये 100 रु० महीने का किराया देना होता है एक 2 कोठरी का स्थान नहीं मिलता है । परन्तु फिर भी वहां पर भैंस से फायदा होता है क्योंकि उसका दूध, दही बिक जाता है । हमारे पिछड़ेपन का कारण यह है कि हमारा दूध ग्यारह–बारह बजे तक बिखर जाता है एक पैसा उससे पैदा नहीं होता है । आजके इस युग में यहां के दूध को हम कलकत्ता पहुंचा सकते हैं । अमेरिका का दूध यहां पर आ सकता है । शाम तक कुआ खुदवा सकते हैं, हम पन्द्रह दिन में घास पैदा कर सकते हैं तो हमारे यहां के कुछ ठिकानों को भी विकसित क्यों नहीं कर सकते हैं ? इस प्रकार हम दस बीस करोड़ रुपया लगा कर इस मरुस्थल का विकास कर सकते हैं ।

जब मरुस्थल की बात सोचते हैं तो सब लोग यह भी सोचते हैं कि राजस्थान नहर आयेगी तो मरुस्थल का विकास हो जायेगा । पशुधन ऐसा है जो कि मरुस्थल में रहने वाला है । नहरी ठिकाने में वह नहीं रहता है । उनकी खाद को उपयोग में लिया जा सकता है । वहां उनकी खाद बेकार पड़ी रहती है । आप उनको अकाल में घर बैठे पैसा देते हैं । उनको घर बैठे पैसा देने के बजाय आप उनको सबसीडी दें । 50 रु० 100 रु० में उनको ट्रक दे दें । खाद उनके काम में आयेगी । हड्डियां हैं, चमड़ा है, इन सब का उपयोग होगा । मैं आपको निवेदन करूंगा, एक क्लेस्टर डेवलपमेंट होता है । उस प्रकार उनका डेवलपमेंट किया जाये । जहां ढाई सौ रुपये एकड़ में सिंचाई है । 8 रुपये एकड़ में गंगानगर में सिंचाई है । 50 हजार रु० की मशीन है । उसे वहां कौन काम में ला सकता है । आप काम में लें । वहां घास है । वहां पर आप फोडर बैंक बना सकते हैं । क्लस्टर डेवलपमेंट में आप यह कर सकते हैं । वहां दूध इकट्ठा करने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

को जगह है। खाद इकट्ठा करने की जगह है। वहां पर पशु घूमते रहते हैं। जहां घास है पानी है। वहां सड़कों से भी उसी प्रकार सम्बन्ध रहना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: फोडर बैंक बन सकते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: बहुत काम हो सकता है। पहला प्रश्न तो यह है कि हमारे पशुधन का विकास होना चाहिए। उससे असली लाभ पशुपालकों को कैसे मिले, इसका प्रयत्न करना चाहिए। पशुपालकों के बारे में पशुपालन विभाग करोड़ों रुपया खर्च करता रहता है। कुछ काम विकास के नाम पर करते हैं। जैसे कृत्रिम गर्भाधान का है, नस्ल का है। कहीं कहीं विकास के नाम पर यह हो रहा है। मैं एक रेवारी का उदाहरण देता हूं। रेवारी ही देश के सच्चे पशुपालक हैं। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदया, राज्य के जो असली पशुपालक हैं, उनके पास तक वह कहां तक पहुंचे हैं। क्या नस्ल सुधार में उनका सहयोग लिया गया है? आप ने उन का सहयोग नहीं लिया है। पढ़े लिखे जो लोग हैं, वह उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़े से कार्यक्रम चलाये गये हैं। पशुपालन की बात सोचते हैं। इसके लिए हमारे यहां अमेरिका और आस्ट्रेलिया से ट्रेण्ड होकर लोग हमारे यहां आते हैं। जहां तक आस्ट्रेलिया का सवाल है, वहां पर जैसे मनुष्य एयर कूलर में रहता है, उसी प्रकार से वह लोग पशुओं को रखते हैं। खड़े होकर उनको चारा खिलाया जाता है। हमारे यहां यह नहीं है। हमारे यहां पर घूमने फिरने वाले हैं। यह इस धरती की खासियत है। इसके अन्दर बहुत आराम से पशु पाला जा सकता है। खर्चा नहीं है। आपको इस प्रकार की योजनाएं बनानी होंगी। मैं चाहूंगा कि पशुपालन विभाग विदेशी सहायता के बल पर पशु धन का उद्धार नहीं कर सकेगा। किसी दूसरे देश की परिस्थियां हमारे देश पर लागू करें यह सम्भव नहीं है।

दूसरा प्रश्न है हमारा अकाल सहायता का। यदि मैं यह कहूं कि अकाल के बारे में सरकार की नीति बड़ी दोषपूर्ण रही है तो अत्युक्ति नहीं होगी। जैसे कहा जाता है कि प्यास लगने पर कुवें खोदना। उन लोगों पर आप को खर्चा करना लाजिमी है, इसलिये आप खर्चा करते हैं। आप के इस तरीके से उनके नैतिक स्तर में गिरावट आती है। आये वर्ष अकाल पड़ते हैं। पहले से अकाल का मुकाबला करने के लिए कोई योजना नहीं होती है। ऐसे कार्य-क्रम हाथ में लिये जा सकते हैं। अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 10 अभाव ग्रस्त जिलों के लिए दो दो करोड़ रुपये के प्रावधान की बात कही है। लेकिन अकाल न पड़े या पड़े तो उसके मुकाबले के लिए पहले से कोई योजना नहीं है। अभी जो किये जाते हैं, वह केवल इसी प्रकार के कि कहीं पर कोई गड्ढा भर दिया या किसी को कैसा कर दिया। इसके लिए मैं चाहूंगा, राज्य सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। अकाल क्यों पड़ता है और यह समस्या इतनी खर्चीली न हो। इतनी महंगी न हो। जो काम करवाये जाते हैं वह सड़कों के लिए काम करवाये जाते हैं। सड़कों के लिए काम होता है। जो ट्यूबवैल हैं, उनसे

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसी प्रकार के काम हाथ में लिए जाने चाहिएं। जैसे तालाब हैं। तालाबों के बारे में हमारा प्लानिंग बहुत ही डिफेक्टिव है। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से यह कह दिया कि तालाबों का पेयजल गन्दा होता है ? हम पेयजल ट्यूबवेल से देंगे। तालाब की खुदाई पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। पीने के लिए नल का पानी देंगे। नल का पानी मवेशी को कैसे मिल सकेगा। 20 हजार मवेशी को नल का पानी कैसे मिल सकेगा ? बड़े बड़े ठिकाने हैं, चारागाह हैं। उनको विकसित करना चाहिये। उनको विकसित करें ताकि अकाल आये तो हम उसका मुकाबला कर सकें। इसी तरह से ट्यूबवैल का प्रश्न आता है। सैकड़ों खुदवाये हैं। एक तरफ तो हमारी जनता पानी के लिए तरसती है। दूसरी तरफ ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं। राज्यपाल महोदय ने भाषण में कहा है कि कुछ कीमत पर हम देदेंगे। यह असम्भव होगा। 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीलिंग होने जा रही है। तो बढ़े हुये पानी को लेकर वह क्या करेगा। तो मैं यह सोचता हूं कि इस प्रकार की यह योजना कामयाब नहीं हो सकती है। यानी जैसे कि किसी के पास 2 बीघा जमीन है किसी के पास 4 या 5 बीघा जमीन है। जो बैल नहीं रख सकता है। कुवां खुदवा नहीं सकता है। सरकार जिन भूमिहीनों को जमीन देती है, उसमें हम उनको पानी दें। इसमें सब्सीडी के तौर पर हमें घाटा आता है। तो उनको बैठे बैठे खिलाने के बजाय यह सही उपयोग होगा। ट्यूबवैल के बारे में यह कहना चाहूंगा कि उस योजना में जैसे एक ट्यूबवैल यहां है और दूसरा यहां से 50 मील पर है। ट्यूबवैल हमेशा समूह में होने चाहिएं। योजनाबद्ध होने चाहिएं। उसके लिए उसके सारे साधन मैकेनिक आदि वहां पर होने चाहिए ताकि वह व्यवस्थितरूप से कार्य हो सके। जो लोग साधनहीन हैं उनको हम पानी दें।

एक सवाल और है, सिंचाई के बारे में। सिंचाई के बारे में हमारा लालच बना रहता है। उदयपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर में वहां अगर बांध बनते हैं तो वहां लाभ है। लेकिन मरुस्थली में जहां पानी 400 फुट गहरा है, जहां 75% गावों का पानी कड़वा है, इसलिए वहां इसी योजना से सफल हो सकते हैं। दूसरी जगह भूमिगत पानी होता था। लाखों बीघे सीवेज खेती, बारानी खेती होती थी, लेकिन इस छोटे लाभ में फलां एम. एल. ए. ने देखा कि यह बांध बनना चाहिये उसने कहा तो वह बना दिया। मैं आपको कह रहा हूं, हम बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में बिरणी बांध रणजो क्षेत्र में बना है। आप रिकार्ड देख लीजिये, दस दस हजार बीघा के अन्दर मेरे क्षेत्र में गेहूं और चना होता था, सत्तर गांव थे जो नाले की वजह से खेती कर सकते थे, उन गांवों में पानी पीने के लिए कुओं से मिल जाता था। अब जो बांध बनाया है उससे सात सौ बीघा में सिंचाई होनी है, सात सौ बीघा को पानी इस साल नहीं मिला है, कम की सिंचाई हुई है। सत्तर गांवों का पानी सूख गया और बीघा तीस तीस लाख लगा कर बांध बनाया गया। कितना बड़ा अन्याय हुआ है। यहीं नहीं, अरावली के पास जितने क्षेत्र आये हैं, वहां सस्ती वाहवाही लूटने के लिए बांध बने हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो नीचे का क्षेत्र है उसके साथ में अन्याय कर

Page No.40

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहें हैं। वह क्षेत्र गैरआबाद हो रहे हैं बांध बनाये जायं-मैं इस पक्ष में हूं, लेकिन जितने बांध बनाये हैं उनसे कितने क्षेत्र की सिंचाई होती है इसका लेखा जोखा तैयार किया जाय। कौनसी नदी का पानी सेवजी खेती करता है, किस जगह के कुए को हरा करता है, कौनसा पानी है जो गांठ का गांठ रणगछ में चला जाता है, यह देखें। केवल बांध बना दिये, आप बांध बना दीजिये, बड़ा अच्छा है, जब ऐसी सूरत हो कि रणगछ में पानी आय तो बांध में पानी खोल दीजिये। उससे खेतों को पानी मिलेगा और खेती बढ़ेगी। मैंने असेम्बली में इस प्रश्न को उठाया था उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से बयान ले रहे थे, उससे जो मनोवृत्ति लगी ····

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार को पेश कर दी गई हैं। चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट पेश करके गवर्नमेंन्ट को भेज दी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : धन्यवाद। उन्होंने क्या सिफारिश की है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिफारिश गोलमाल है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनका मन गोलमाल दिखा था।

श्री वृद्धिचन्द जैन : गोलमाल नहीं की है, यह की है कि दस वर्ष तक कोई बांध उस क्षेत्र में नहीं होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह चीज है, तो मैं समझता हूं, यह महत्वपूर्ण चीज है। जब कभी पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में बांध बनायें तो जांच कराई जानी चाहिए, सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि किस नदी का, कौनसे नाले का पानी किस काम में आता है। किसी नदी और नाले से बाढ़ आती है तो बाढ़ को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। पानी रणगछ में न जाय, अगर जाता है तो उसको रोक कर उसका फायदा उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं तो करना चाहिए।

तीसरा सवाल आता है पंचायत राज का। जनतंत्र के माध्यम से हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें इस तरह की संस्थाओं को खड़ा करना पड़ेगा, चाहे प्रशासनिक संस्थायें हों, चाहे वित्तीय संस्थायें हों चाहे सामाजिक संस्थायें हो-वही समाजवाद को कार्यरूप में नीचे से नीचे स्तर तक परिणित कर सकती हैं। केवल कानून बना देने से समाजवाद नहीं आ सकता है, महज आर्डर निकाल देने से, भाषणों से समाजवाद कभी नहीं आ सकता है। समाजवाद यदि जनतांत्रिक तरीके से लाना है तो हर इकाई के जिम्मे कुछ काम रखना पड़ेगा। पंचायत राज की स्थापना आज से पन्द्रह सोलह वर्ष पहले हुई थी तो एक उद्देश्य को लेकर हुई थी, उसके बाद तीन चार साल तक बड़े जोर से काम चला था और पंच, सरपंच, पंचायत समिति के विकास अधिकारियों और विकास समिति के अधिकारियों में काफी क्षमता लगती थी। उसके बाद पिछले दस सालों से राज्य सरकार और इसके विभाग ने पूछा तक नहीं। एक बात जरूर पूछी है, तुम्हारे खिलाफ यह आडिट रिपोर्ट है, वह अनियमितता की शिकायत आई है इसलिए तुमको नोटिस दिया जाता है कि तुमको सस्पेन्ड क्यों नहीं

Page No.41

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

किया जाय। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से सदन के सब माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनका रोजगार है वह खत्म हो रहा है। आज बिजली आने से सुथार का काम समाप्त हो गया, लुहार का काम खत्म हो गया, चमड़ा कमाने वाले का काम समाप्त हो गया, जूते बनाने वाले का काम समाप्त हो गया। छोटे मोटे जो काम होते थे, उनको करने का काम मशीनरी लेती जा रही है और वे लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। कौनसे तरीके की नई मशीन आई हैं, कौनसे नये औजार आये हैं, कौनसे यंत्र आये हैं-जो लोग पहले काम करते थे वह इनके उत्तराधिकारी बने, यह उनके ही हाथों में जायं-इसके लिए क्या तरीका है? कुछ वर्ष पहले तांगे चलते थे, उसके बाद आटो-रिक्शे आ गये तो उनके मालिक वही बने जिनके पास पांच दस हजार की पूंजी थी और तांगे वाले खत्म हो गये। गाड़ी से माल ढोया करते थे, किराये पर चलाते थे लेकिन बसों के चलने से उनका काम समाप्त हो गया। इस प्रकार मशीन आ गई तो सुथार का काम समाप्त हो गया। तो किस तरीके से गांव का गरीब आदमी जाग्रत हो, किस तरह से उसको मालूम हो जाय कि इस तरह से संगठित हो जाय तो जो नई चीज आई है उसका उत्तराधिकारी वह है। संसार के वैज्ञानिक, टेक्नोलोजी के जानने वाले लोगों ने जो यह चीजें दी है, यह धन वालों के लिए ही नहीं दी है, यह विश्व के मानव की सम्पत्ति हैं। लेकिन धन के नाम पर लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं और दूसरों को बेरोजगार कर देते हैं। यह अधिकार उन्हे नहीं है लेकिन इस तरह, सभापति महोदया, हो रहा है। इसलिए जब तक गांवों में पंचायती राज मजबूत नहीं हो जिससे मालूम हो सके नई चीजें कौनसी आई हैं, देश में क्या हो रहा हैं, विदेशों में क्या हो रहा है, खेती की क्या क्या चीजें आई हैं, बिजली से क्या क्या कर सकते है, पैसा नहीं है तो कहां से ले सकते हैं, उसके लिए कौनसे फार्म है इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए कौनसा तरीका है? इसके लिए, पंच, सरपंच और पंचायत समिति के प्रधानों की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे उन्हें मालूम हो सके यह एक तरीका है, यह नई चीजें आई हैं, इस तरह से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यह क्या है कि नया जमाना आ गया, उत्पादन के नये तरीके आ गये, नई खाद आ गई, नये बीज आ गये, नये उद्योग धन्धे पनपेंगे, लेकिन जब तक पंचायत राज को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उनमें जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक जनतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाने की कल्पना मात्र रह जायगी। पीछे से वार करके अगर जनतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, उस पर चोट करना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सरकार को निरंकुश आदेश से सब कुछ करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा दुःख की बात यह है कि बहुत जिम्मेदार लोग यह बात कह देते हैं कि पंचायत राज टूट चुका है, समाप्त हो चुका है कोई काम का नहीं, और दूसरी तरफ तीन चार करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं' पिछले सालों में चालीस करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन कोई काम नहीं हुआ। होना यह चाहिए कि पंचायत राज के नये चुनाव हो रहे हैं तो नये कार्यक्रम को जोड़ना चाहिए, नयी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पंचों को तैयार करना चाहिए

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

और इस तरह से इस काम को करना चाहिए।

इसी तरह से सहकारिता की स्थिति है। मैं पूछता हूं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से कि जो एक बीघा का धणी है, पांच बीघा का धणी है, चाहे लुहार हो, चाहे सुथार हो, चाहे हाथ से काम करने वाले और व्यक्ति हों क्योंकि आज मशीन आ गई है, वह मशीन कीमती है, औजार उनके साथ होते हैं तो उन लोगों को मशीन आदि के लिए आप किसके माध्यम से मदद दे सकते हैं। आज पांच बीघा का धणी कुआ खुदवाये तो दस हजार रुपये चाहिए, पांच हजार पम्पिंग सेट के लिए चाहिए और नाली बनाने के लिए और खर्च लगेगा। बैल जहां रखते हैं, मैं कहता हूं, वह इकानामिक नहीं है। आज नये नये यंत्र आ गये हैं, कमाई के लिए, निराई के लिए तरह तरह की चीजें आ गई हैं। लेकिन छोटे आदमी, काश्तकार हैं, पचास साठ पर्सेंट काश्तकार मजदूर हैं उनको लाभ जनतंत्र के माध्यम से किस तरीके से पहुंच सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में, बड़े 2 क्षेत्र में बड़ी पूंजी का सवाल है, वह सरकार करेगी। मध्यम दर्जे के उद्योगधन्धे पूंजीपति करेंगे। अब जो छोटे छोटे काम है वह करवाने हैं तो हमें सहकारिता का आश्रय लेना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुःख होता है, जब दिल्ली के मन्त्री कह देते हैं, सहकारिता तो असफल हो चुकी है। हो सकता है कि शाम तक मेरा हाथ सड़ जाय, हाथ जल जाय जो ठीक हो सकता है तो क्या उसको काट दूं? नहीं, अगर इसमें खराबी है तो ठीक करनी पड़ेगी। नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। सहकारिता को पैरों पर खड़ा नहीं किया और अन्डिजायरेबुल लोगों के हाथ में चला गया तो जिम्मेदारी हमारी है। करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, सहकारिता को ठीक करना पड़ेगा। सहकारिता अगर नहीं पनपती है तो लोगों की स्वतंत्रता समाप्त होगी। समाजवाद जो लोकतंत्र के माध्यम से हम लाना चाहते हैं वह नारा मात्र रह जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि राज्यपाल महोदय ने इस सुधार की ओर इशारा नहीं किया। इसके लिए जोरदार कार्यक्रम बनाना चाहिए और युद्ध स्तर पर इस मूवमेंट को चलाना चाहिए, उस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

5 मिनट।

श्रीमती सभानेत्री : बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री पूनमचंद विश्नोई : हम तो कभी कभी बोलते हैं।

आखिर में शिक्षा का सवाल है। शिक्षा पर हम 45-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। शिक्षा के बारे में गांव वाले कहते हैं : भणियां पर गुणीयां नहीं। पढ़ तो जाते हैं लेकिन नैतिक स्तर उनका बढ़ता नहीं है क्योंकि गिरावट के कारण होते हैं। हमारे विश्वविद्यालय हैं। हर क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने के पीछे एक इरादा रहता है। उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो विशेषतायें हैं, उनका अध्ययन करें, वहां की उपलब्धियां व भौतिक साधन हैं, उन सब का अध्ययन करें। वहां की संस्कृति, वहां का साहित्य,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वहां की चित्रकला, सब चीजों का अध्ययन करें और उसको आधुनिक रूप दें और इस तरह के लोग तैयार करें जो अपनी पुरानी बात को साथ रखकर संसार के उन्नत देशों के साथ विज्ञान के सहारे बराबर चल सकें। अनुसंधान के विषय जो हमारे विश्वविद्यालयों में हैं, उनको देखा जाए तो इस तरह के घिसे पिटे हैं कि उनका संबंध हमारे क्षेत्र से नहीं है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में वही विषय मिलेंगे जो जोधपुर विश्वविद्यालय में हैं। जोधपुर क्षेत्र या उदयपुर क्षेत्र में रोजगार की समस्या है, वहां की कुरीतियां हैं, वहां की जमीन में क्षमता है, पशुधन है, उद्योग धंधे हैं इन सब की क्षमता है, इस बारे में विश्वविद्यालयों ने क्या किया ? मैं कहता हूं इस बारे में कुछ भी नहीं किया जो घिसे पिटे विषय थे, उन्हीं विषयों को हमने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रवृति को विश्वविद्यालयों को छोड़ना पड़ेगा और हर विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें क्षेत्रीयता की छाप होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश की यह विशेषता है। जहां तक प्यूअर साईंसिज या लिटरेचर का प्रश्न है, ठीक है सब जगह एक है, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे अमरीका हो, चाहे भारत, एक ही बात है लेकिन इकानामिक्स, सोश्योलोजी, हमारा उद्योगीकरण, भूगोल, उनका हम अध्ययन करें कि आधुनिक तरीके से हम कैसे आगे बढ़ें। शिक्षा उनको देनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा।

इन्जीनियरिंग के बड़े बड़े कालेजिज हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो पानी पंजाब में 8) प्रति एकड़ में और दूसरी तरफ एक बाल्टी 4–8 आने में देनी पड़ती है तो सिचाई के कौन से तरीके अपनायें, हमारे इन्जीनियरिंग कालेजिज में सिखाना चाहिए कि कौनसे लाभ के तरीके होंगे, नहरों से लाने पर या छिड़काव से करें या बहाव से फसल की पिलाई करें, फसल कौनसी करें– गेहूं करें या दूसरी चीजें को करें। इस बारे में हमारे इन्जनियरिंग कालेज या कृषि कालेज कुछ भी नहीं कर सके। आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत समय से गृह निर्माण हो रहा है। हमारे यहां पर बिल्डिग मेटीरियल है जिससे अच्छे मकान बनाए जा सकते हैं लेकिन आज तक सिवा मिट्टी के बने स्वच्छ अच्छे डिजाइन वाले मकान इन्जीनियरों द्वारा तैयार किए हुए मकान नहीं मिलेंगे। आर. सी. सी. के 15 मंजिल, 200 फोट के ऊंचे बांध बनाए जाते हैं उसका जवाब है लेकिन जो क्षेत्र की समस्या है, हमें जिनसे मुकाबला करना है और गांवों को नवनिर्मित करना है, छाने के लिए क्या चीज सस्ती पड़ेगी, किवाड़ किसका होगा, इस पर उन्होंने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया।

इसके बाद कई बार कहा जाता है कि हमारे पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसमें पाठ्यक्रम का दोष बताया जाता है लेकिन पाठ्यक्रम का दोष होते हुए भी पाठ्यक्रम इतना दोषी नहीं है जितना कि हमारी मनोवृत्ति दोषी है। गंगानगर इलाके में जिनके घर में 500 बीघा जमीन है, जिनके घर पर ट्रेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं, दो दो कृषि कालेज हैं, वह भी आकर कई बार कहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं। क्यों ? इसलिए कि खेती तो घर पर भी हो सकती है। याने ये हमारी परम्परायें हैं गुलामी की। कहावत है कि मण सोना मासा हुकम। इसलिए इस

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मनोवृत्ति को छोड़ना होगा। वह तभी छूट सकती है जब सही ढंग से जनतंत्रवाद को स्वीकार करें। समानता के सिद्धान्त को हम स्वीकार करें। आप और हम बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लड़के और लड़कियों का संबंध कोल्हो से कराना चाहते हैं? लेकिन हम दोष बच्चों को देते हैं। कुछ माइने में पाठ्यक्रम दोषी हैं क्योंकि पाठ्यक्रम का आधार पाश्चात्य है। बहुत से आयोग विश्वविद्यालयों के बारे में, सेकेन्डरी एजूकेशन के बारे में, प्राइमरी एजूकेशन के बारे में बनाए गए लेकिन उनका आधार भारतीय संस्कृति नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि आज पढ़े लिखे व्यक्ति बड़े होने पर भी भाई क्या हैं, मां बाप क्या है, सगे संबंधी क्या हैं, नाती क्या हैं, परिवार में बुवा विधवा हो गई तो क्या कर्त्तव्य है, इस पर पाठ्यक्रम मौन है। हमें नैतिकता का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे पास हिन्दू धर्म हो चाहे इसलाम, क्रिसिचनटी में सुन्दर से सुन्दर कहानियां हैं लेकिन अफसोस की बात है कि इन कहानियों को स्थान नहीं मिलता है। हमारे भक्ति साहित्य कबीर का हो या कवि का हो जो मानवटी को सिखाता है जो जन कल्याणकारी भी है, आधुनिक है, उसको इतना स्थान नहीं मिलता है जितना कि एक दूसरी छोटी मोटी किसी की लिखी हुई कहानी को देते हैं। भारतीय संस्कृति है, यह एक बड़ी देन है इसको नहीं भूलना चाहिए। कोई भी देश या समाज संस्कृति को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकता। जितने पश्चिमी देश हैं, कम्युनिस्ट देश हैं, उन्होंने संस्कृति को बल दिया है, बंगला देश संस्कृति के आधार पर बना है। इसलिए संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति क्या है? रहन, सहन, एक दूसरे से संबंध, इसका नाम संस्कृति है। पुराने भारतीय लोग अनपढ़ थे लेकिन सुबह से शाम तक उन लोगों के साहित्य के उत्कृष्ट नमूने के गीत, गाने, भजन मुंह में रहते थे। पानी लाने जायेंगे तो भी वह गायेंगे तो भी वह गायेंगे। आज की लड़कियां 2-4 फिल्मी गाने याद करेंगी। हमारी जो संस्कृति है एक दो हजार साल तक विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी मिटी नहीं हैं। सब मिट गए बाकी हम रह गए। हमारे लोगों के अन्दर, जितने दीन दुखी हैं, अनपढ़ होते हुए भी, सोचने की क्षमता है। आपका जनतंत्रवाद है, पढ़े लिखे लोगों के बलबूते पर कायम नहीं है। सब लोग पढ़े लिखे आज की पढ़ाई की परिपाटी से होते तो जनतंत्रवाद अवश्य ही खतम होता लेकिन पिछड़े से पिछड़े, अपनी पंचायतें करते, अपने कर्त्तव्यों को समझते हैं, उनमें सच्चाई और बुराई के सोचने की शक्ति हैं और उसी दृष्टिकोण से इस देश को आगे बढ़ाना होगा। हमें तो गुमराह किया होगा जातिवाद का पाठ पढ़ाया होगा। जातिवाद के ऊपर उठ सकता है तो हमारा साधारण नागरिक ही उठ सकता है। और इसके लिये यह आवश्यक है कि हम हमारे नागरिकों को अच्छी शिक्षा दें। आज हमारे यहां जो शिक्षा दी जाती है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। मैं सच्चाई को छुपाना नहीं चाहता। सभापति महोदया, आज हमारे यहां जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उस मौजूदा पाठ्यक्रम में सुधार करना जरूरी है। हमें भारतीय संस्कृति से शिक्षा लेनी चाहिये। मैं आपसे इसलिए निवेदन करूंगा कि इस पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

Page No.45

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आज जो भी हमारे पाठ्यक्रम हैं, उनमें हमारी जो आज तक भारतीय संस्कृति रही है, उसको भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाय। वैसा करने से हमारे नागरिकों को अच्छी शिक्षा मिलेगी उसके साथ साथ उनका चरित्र व आचरण में भी सुधार होगा।

अब थोड़ा मैं सभापति महोदया, औद्योगिक विकास के लिये भी निवेदन करना चाहता हूं। आज दूसरे देशों को देखते हुए हमारे यहां जो भी विकास हुआ है वह नगण्य है। इसके लिये मैं भी थोड़ा सा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसका समुचित विकास करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता, नहीं एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया, वह है पेय जल के बारे में। आज आम तौर पर सभी जगह यह शिकायत है वह पेय जल की डिफीकल्टी के बारे में। गांवों में कई जगह पेय जल की बहुत ही भारी समस्या है। राज्य सरकार ने कई योजनायें बनाई हैं और गांवों के अन्दर पानी नलों द्वारा पहुंचाया जाता है पर इससे कई खराबियां पैदा हो जाती हैं। ये सही है कि पेय जल की समस्या भयानक है पर जो पानी दस दस मील दूर से आता है उसके लिये और कोई दूसरे उपाय अगर ढूंढ कर निकाले जाय तो अधिक अच्छा रहेगा। बस इन्हीं शब्दों में राज्यपाल के अभिभाषण का जो प्रस्ताव यहां पेश हुआ है उसका हार्दिक समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शान्तिलाल कोठारी।

अनुपस्थित।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चितौड़गढ़) : सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद विवाद इस सदन में चल रहा है उसके लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ समस्याओं के बारे में मैं सरकार का तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस पांचवें विधान सभा के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता किस नीति में विश्वास करती है। मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर महाराणा साहब पधारे थे। और वहां पर जगह जगह पोस्टर लगे हुवे थे, उसमें यह लिखा हुवा था कि "राणाजी को केणों वोट दिया ने देणों" पर जनता ने समझ लिया कि इनकी बातों में कुछ नहीं रखा है और सिर्फ एक भूल भुलैया है। महाराणा साहब ने मेरे क्षेत्र में पद यात्रा की थी और उनके साधनों को देखते हुए हमारे साधन कुछ भी नहीं थे पर जनता ने हममें बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया अब वो टक टकी लगा कर देख रहे है कि हम समाजवाद कैसे लाते हैं। इसलिये हमने जो वायदे जनता से किये हैं उन्हें हमें पूरा करना है। इसके लिये हमें किस प्रकार से समाजवाद लाना है, और चुनावों के समय हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था उन वायदों को हमें पूरा करना है। अगर हमने उन वायदों को पूरा कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जो इस पांचवें विधान सभा के चुनाव में हम 145 आये हैं वो हमारी आने वाले चुनावों 145 से ज्यादा संख्या होगी।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

एक माननीय सदस्य : तो हम दो सौ हो जायेंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी : दो सौ का प्रावधान नहीं है नहीं तो हो जाते।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो सौ ही जायेंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी : इसके साथ साथ मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो भूमि आवन्टन के बारे में घोषणायें की गयी हैं वस्तु स्थिति ऐसी है कि भूमि का आवन्टन तो जरूर हुआ है पर उसमें बहुतसी खामियां रह गयी हैं। सबसे पहले मुख्य बात है कि आज हमारे प्रान्त में लाल फीताशाही का जोर है। दूसरी बात जो है वह यह है कि जिन लोगों को भूमि आवन्टन हुई है उनके पास पहले ही भूमि हैं। मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि इसके बारे में जांच होनी चाहिये। क्योंकि जो वास्तव में भूमिहीन है उन्हें तो भूमि मिली ही नहीं। दूसरा डिफेक्ट इसके अलावा है वह यह है कि जो पटवारी लोग हैं और जो रेवेन्यू के आफिसरान हैं वो किसानों को भूमि आवन्टन करते समय उनसे रिश्वत ले लेते हैं। मेरे पास भी इसका प्रमाण है कि कई बार एक किसान को 4 बीघा जमीन एलोट की जाती है, कागज में अंकित की जाती हैं 5 बीघा और उसे पांच बीघा जमीन के बजाय चार बीघा जमीन का ही पट्टा उसे मिलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो हम आज समाजवाद की बातें करते हैं वे सिर्फ बाते ही रह जायेंगी समाजवाद का नारा सदन तक ही गूंज कर रह जायेगा। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं वह यह है कि भूमि जो आवन्टित की जाती है वह कम है क्योंकि जो 2-3 बीघा भूमि आवन्टित की जाती है उससे उस काश्तकार के परिवार वालों का पेट नहीं भरता। पहले तो जब उनके पास जमीन नहीं तो वे मजदूरी करते थे पर अब एक परिवार को उस अपरियाप्त भूमि पर निर्भर रहने के लिए जो भूमि आवन्टित की जाती है वह कम है। इसका नतीजा यह होता है कि वह किसान आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर उस जमीन को बेच देता है। इस प्रकार वह बेचारा वापिस भूमिहीन हो जाता है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि भूमि के आवन्टन में वृद्धि की जाय और एक परिवार को नहरी क्षेत्र में 5 बीघा और दूसरे स्थान पर दस बीघा जमीनें देनी चाहिये। ताकि एक परिवार का काम आराम से चल सके और जो हमारे भूमिहीन को भूमि देने की जो नीति हैं वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। इसके साथ साथ निवेदन करना चाहती हैं कि आखिर अगर सभी लोग खेती करने लग जायेंगे तो इतनी जमीन भी देने को नहीं मिलेगी। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उन्हें छोटे छोटे कुटिर उद्योगों और व्योपार की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये। तथा आर्थिक तथा तकनिकी सहायता प्रदान करनी चाहिये।

इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन करना चाहती हूं वह है कि हमारी फसलें तथा उनके पशुधन का बीमा होना चाहिये, हमारे काश्तकारों की जो फसलें खड़ी होती है उनका इन्स्योरेन्स होना चाहिये। हमारे

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

देश में तो ऐसा सिस्टम नहीं है पर विदेशों में ऐसी योजनायें है कि उनकी फसलों का इन्श्योरेन्स कर लिया जाता है ताकि अगर कभी फसल नष्ट हो जाय या उसे कोई नुकसान हो जाये तो उसकी रक्षा हो सके । तो मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि हमारे यहां भी ऐसी बीमा योजना शुरू होनी चाहिये। जिससे किसानों का लाभ होगा और अगर फिलहाल इस योजना को लागू नहीं किया जाये तो इसके लिये एक कमेटी इस प्रकार की बनायी जाय जो इसकी जांच करे। और जो भी सुझाव किसानों के फायदे के लिये हो वे दे। अगर हम कुछ समय बाद भी ऐसी योजना लागू कर देते हैं तो आज हम किसानों के लाभ के लिये जो काम करना चाहते हैं। जो गरीबी हटाओ का नारा है वह नारा ही न रह कर किसानों को लाभ दे सकेगा। इसके अलावा हमारे प्रान्त की जलवायु ऐसी है जहां पर कि हम रसदार फल और सेतूत वगैरह जैसे पेड़ लगा सकते है। हमारे प्रान्त की जलवायु जापान की जलवायु है उससे मिलती जुलती है वहां पर सेतूत से रेशम उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है और फलदार वृक्षों की खेती बहुत होती है जो की काफी लाभदायक रहती है। अगर हमारे यहां भी फलदार वृक्षों की खेती की जाय तो हमारे यहां जो किसान है उनकी आर्थिक हालत में सुधार आ सकता है। आज हमारे कई गरीब काश्तकार है जिनके पास जमीने कम है उन्हे हम कुटिर उद्योगों के साथ साथ ऐसे फलदार वृक्षों को खेती के लिये प्रोत्साहित करके लाभ पहुंचा सकते है। इसके अलावा हमारे यहां एक बड़ी समस्या और है वह अर्ध बेकारी की। हमारे ग्रामीण किसान साल में चार महीने तक बेकार बैठा रहता है क्योंकि खेती उस वक्त तक होती नहीं है। उस वक्त अगर कुटिर उद्योगों का काम हमारे यहां के किसान के पास उस वक्त तक चलता रहे तो यह जो अर्ध बेकारी हमारे यहां साल में चार महीने चलती है वह बन्द हो जाये। और बेकारी का समाधान हो सकेगा। बात जो मैं निवेदन करना चाहती हूं वह है कि जो जंगलों का ठेका दिया जाता है उससे हमारे जंगलों के ठेकेदार बुरी तरह काट रहे हैं वह बन्द किया जाना चाहिये। फल के बगीचे लगाने से हमारे यहां की जलवायु से नमी होगी और उससे वर्षा भी होगी। एक तो फलदार पेड़ों से किसानों को आय होगी दूसरे जंगलों के नहीं कटने से वर्षा भी होगी। फलों में हमारे यहां पर नीबू, सेतूत, नारंगी वगैरह पैदा अधिक मात्रा में हो सकेगी। अगर हम इस तरफ प्रयास करें तो किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। ऐसा हमारे यहां चितौड़ जिले में आरनोदा के स्थान पर किया गया था वहां नारंगी और सहतूत वगैरह के पेड़ लगाये गये थे। हालांकि इस समय वह खतम होते जा रहे हैं। कारण यह है कि किसान को इन रोगों के सही निदान का पता नहीं हो पाता।

यदि इस प्रकार के केन्द्र उपयुक्त स्थानों पर खोले जावें जहां पर किसान आसानी से पहुंच सके और मालूम कर सके कि किस किस प्रकार की कैसी कैसी बीमारियां होती हैं और उनका कैसे निराकरण हो सकता है तो यह कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति भी प्रगति कर सकती है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

एक बात और, आये दिन अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि फलां जगह इतने व्यक्ति सर्दी से ठिठुर कर मर गये। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या विगत 25 वर्षों के अपने शासन काल में हम इतना भी नहीं कर पाये कि देश के इन लाखों करोड़ों गरीब लोगों को आराम से रहने और अपना तन ढकने के साधन मिल जाते ?

जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि सरकार कुछ नगरों में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाह रही है, तो मैं साथ ही यह पूछना चाहती हूं कि नगरों में ही क्यों, गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है ?

गांवों में भी आवासीय भूखण्ड दिये जाने चाहिये और वहां भी उन पर मकान बनाकर उनको दिये जाने चाहिये। तभी हम सच्चे माने में गरीब देश के गरीब लोगों की आवासीय समस्या का हल कर पावेंगे।

गरीबी हटाने के लिये आज सरकार उपाय खोज रही है। मेरे विचार से गरीबी हटाने के लिये सड़कों की व्यवस्था गांव गांव तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सड़कें ऐसा साधन है जिसके द्वारा गांवों में खुशहाली आ सकती है। यू. एस. ए. का ही उदाहरण लीजिये। वहां सड़कों का जाल बिछा है और इसलिये फसलों का स्पेशलाईजेशन है। वहां हर चीज उसी स्थान पर पैदा होती है जहां की भूमि और जलवायु अनुकूल होती है और यही वहां की समृद्धि का रहस्य है।

इस दृष्टि से हमारे प्रदेश की दशा शोचनीय है मेरे क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में मैं इस चुनाव के दौरान गांव गांव घूमी हूं। मुझे इस दौरान यह पता लगा कि वहां कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो वर्षाकाल में टापू बन जाते हैं। बाहरी संसार से उनका सारा सम्पर्क टूट जाता है। यदि उन दिनों बीमार भी कोई पड़ जावे और उसको पास के किसी अस्पताल में ले जाना पड़े तो खाट पर ही डालकर लोगों को ले जाना पड़ता है। तो अगर इन परिस्थितियों को भी हम नहीं बदल पाये तो गरीबी हटाओ का नारा केवल मात्र इस सदन में ही गूंज कर रह जावेगा।

इस अर्थ में प्राथमिकता आप उन लोगों को और उन क्षेत्रों को दो जो वास्तव में काफी पिछड़े हुए हैं और जहां इन विगत 25 वर्षों में भी इस स्वतन्त्रता का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। जो पहाड़ी क्षेत्र रहे हैं, दलदली क्षेत्र रहे हैं या घने जंगलों में रहे हैं।

इसके साथ ही मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। यह सराहनीय कार्य किया गया है। आज बैंकों की शाखाएं गांव गांव में खुलने की बात जब मैं सुनती हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पर इसमें एक खामी की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सरकार ने जिस तरह से इनका राष्ट्रीयकरण किया है उसी तरह से इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को भी समाप्त करना चाहिये। किसान को आज लोन लेते समय काफी पैसा रिश्वत के रूप में बैंकों के पदाधिकारियों को देना पड़ता है, तभी लोन उसको मिल पाता है। तो इस स्थिति

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

में मेरा निवेदन है कि इस रिश्वतखोरी को रोकने के लिये और इन पर निगरानी बनाये रखने के लिये एक कमेटी होनी चाहिये जहां किसान और गरीब मजदूर की सुनवाई तुरन्त हो सके और उनसे रिश्वत मांगने का कोई साहस नहीं कर सके। इन कमेटियों में किसान, गरीब मजदूर में से प्रतिनिधि रखे जाने चाहियें। ऐसा होगा तभी सही माने में राष्ट्रीयकरण का लाभ गरीब देश के गरीब लोगों को मिल सकेगा और तभी गरीबी कुछ सीमा तक धीरे धीरे दूर करने के हमारे प्रयास आगे बढ़ सकेंगे।

इसके अतिरिक्त जंगलों के बारे में भी कुछ संक्षेप में मैं निवेदन करूंगी। वैसे तो इस विषय पर मेरे कई माननीय विधायकों ने निवेदन किया है और काफी प्रकाश डाला है। जंगलों में जो पहले फारेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उनका पूरा उपयोग स्वतन्त्रता के साथ बिना किसी रोक टोक के आदिवासी गरीब किसान मजदूर और गांव का आदमी करता रहता था और इस बारे में किसी कठिनाई का सामना उनको नहीं करना पड़ता था। परन्तु आज क्या होता है कि जंगलों के ठेके दे दिये जाते हैं और इस कारण वे कोई चीज वहां से ला नहीं सकते। इससे इन गरीब आदिवासियों की गांव के गरीब लोगों की हालत खराब हो गई है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि प्राइवेट ठेकेदारों को ठेके नहीं देकर इन लोगों की ही कोआपरेटिव सोसाइटियों का निर्माण कराया जाय और उनको ही ठेके दिये जावें। तब जाकर पुनः इन लोगों को वही लाभ मिलने लगेगा।

दूसरा मेरा विषय आता है शिक्षा का सरकार ने काफी कालेज, स्कूल माध्यमिक शालाएं और प्राथमिक शालाएं खोली हैं और खोलती जा रही हैं। परन्तु जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है आज उसके दोषों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। आज की शिक्षा प्रणाली पूर्णतया दोषपूर्ण है। शिक्षा शास्त्री एक स्वर से आये दिन यही बात दोहराते चले जा रहे हैं। सभी चाहते हैं कि परिवर्तन इसमें आना चाहिये, पर क्या परिवर्तन आना चाहिये किस तरह से आना चाहिये इस पर बहुत कम लोग साहसपूर्वक कुछ कह पाये हैं। मेरा भी यह विषय रहा है सोशियोलोजी का स्टूडेण्ट्स को अनरेस्ट के बारे में पढ़ते चिन्तन करते करते सैद्धान्तिकरूप से मैं बेचैन हो उठी। मेरे दिमाग में एक बात आई कि यदि स्टूडेण्ट अनरेस्ट की समस्या का समाधान करना है तो इसके लिये सदन में जाकर आवाज उठाई जावे।

सही माने में देखा जावे तो सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली आमूलचूल दोषपूर्ण है। इसे नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से बदला जाना चाहिये। प्राथमिक शालाओं को ले लीजिये आज तो चाहे कालेजों को ले लीजिये। सभी में कोई न कोई दोष दिखाई पड़ेगा जिसे हमें दूर करना होगा, और साहसपूर्वक यह काम करना होगा। साहस का हम में सभी स्तर पर अभाव है। इस बारे में मेरी जहां तक सूझ बूझ है और जो तथ्य इस बारे में मैं इकट्ठे कर पाई हूं उन पर से कह सकती हूं कि हमें सबसे पहले प्राथमिक शालाओं को व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार पर चलाना चाहिये।

प्राथमिक शालायें दो प्रकार की हमें अपने देश में देखने को मिलती हैं। एक तो

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

पब्लिक स्कूल और दूसरी ग्रामीण प्राथमिक शालाएं। हम समाजवाद की बात आज जरूर करते हैं पर जब इनका अन्तर देखते हैं तो आकाश पाताल सरीखा अन्तर नजर आता है। फिर समाजवाद कहां से आवेगा वह तो हमारे लिये इस दशा में आकाश कुसुमवत ही रहेगा।

प्राथमिक शालाओं की आज की पढ़ाई मोनोटोनस होती है, उकताने वाली होती है। खाली तोता रटन्त कराया जाता है। इस पद्धति को बदल कर खेलों खेलों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहियें और इसमें उनकी रुचि को जागृत किया जाना चाहिये। पट्टी पहाड़े जोर जोर से रटाये जाने से बच्चों का क्या लाभ होगा। सिम्पल टू कम्प्लेसिंग की तरफ जाएं तो अधिक उपयुक्त होगा। मोन्टिसरी पद्धति इस दृष्टि से अनुकरणीय हो सकती है।

पुस्तकालयों का भी इन प्राथमिक शालाओं में अभाव है। जगहों का अभाव रहता है देवस्थान देवालय आदि में बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मेरा सुझाव है कि प्राथमिक शालाओं के खोलते समय उपयुक्त स्थान उनके लिये दिया जावे, साथ ही पुस्तकालय हो जिसमें काफी अच्छी पुस्तकों का संग्रह हो जो बाल साहित्य की श्रेणी में आता हो, जिससे बच्चे अपने ज्ञान क्षितिज को तस्वीरों और बाल उपयोगी पुस्तकों के माध्यम से बढ़ा सकें।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगी कि प्राथमिक शालाओं का पाठ्यक्रम भी इतना भारी और नाना विषय वाला रख दिया जाता है कि बड़ी कठनाई से बच्चे केवल उनकी सतह ही छू पाते होंगे। आन्तरिकरूप से उनको पकड़ नहीं पाते। तो यह वैसा ही काम हुआ कि सो मैनी कुक्स स्पोइल दी ब्रूस। इतने विषय की किताबें उन बच्चों को सात आठ साल में ही देदी जाती हैं कि वे शारीरिक-रूप से उन पुस्तकों का बोझ नहीं उठा पाते तो मानसिकरूप से उनका वजन उठाने की तो बात ही दूर है।

फिर इससे एक और हानि होती है। इतने सारे विषय रख देने से बच्चों की भाषा को ठीक करने की दिशा में कुछ प्रगति नहीं हो पाती। जब मैं कालेज में पढ़ाया करती थी तो बी.ए. और एम.ए. के विद्यार्थियों की यह हालत थी कि वे शुद्ध भाषा न हिन्दी लिख सकते थे न अंग्रेजी। यह कमजोरी कहां से आई? प्राथमिक शालाओं से यह खामी रही। वहां पर बच्चों की भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ प्राथमिक शालाओं के अन्दर अध्यापकों की भूमिका वास्तव में नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण के लिये बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु वहां के अध्यापकों की दशा क्या है, उस पर सोचिये आज ग्रामीण पाठशालायें हैं वे किसके अधीन हैं पंचायतों के इसलिये अध्यापकों को पंच, सरपंच, प्रधान आदि की चम्पी करनी पड़ती है और चम्पी करने के अन्दर उनको बच्चों के विकास के लिये पूरा समय नहीं मिल पाता है। बच्चों के विकास के लिये समय नहीं हो और चम्पी की जाय यह बड़े दुख का विषय है। अगर चम्पी नहीं की जाय तो उनका ट्रान्सफर कहीं अन्यत्र कर दिया जायगा। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि पंचायतों के अधीन जो ग्रामीण पाठशालायें हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिये।

श्री शंकरलाल (पाली) : यही मैंने कहा था।

Page No.51

श्रीमती निर्मला कुमारी : वेतन के बारे में जो प्राथमिक पाठशालाओं में पढाने वाले हैं वे भी एम. ए. हैं, जो माध्यमिक शालाओं में पढ़ाने वाले हैं वे भी एम. ए. हैं और जो कालेजों में पढ़ाने वाले हैं वे भी एम. ए. हैं। क्वालिफिकेशन उनकी सबकी बराबर है लेकिन वेतन में उतार चढाव है। इसका परिणाम क्या होता है एक तो प्राथमिक शालाओं में जो पढाने वाला अध्यापक है वह सोचता है मैं आगे जाऊं और वहां जाकर अधिक वेतन प्राप्त करूं इससे वह प्राथमिक शालायें उपेक्षित रह जाती हैं। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन यही है अगर अध्यापकों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से वेतन दिया जाता है तो बहुत ठीक रहेगा। यह नहीं कि जो प्राथमिक शालाओं में पढाते हैं उनके वेतन अलग, जो माध्यमिक शालाओं में पढाते हैं उनके वेतन अलग और जो कालेजों में पढाते हैं उनके वेतन अलग। उनके गुणों के हिसाब से वेतन दिया जाना चाहिये। इसके अलावा भी प्राथमिक पाठशालाओं में एक कमी और दिखाई देती है। गांवों में टीचर्स के रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। एक अध्यापक दो, तीन, चार मील से साइकिल पर चलकर स्कूल को आता है और फिर शाम को उतनी दूर लौटकर जाता है। इससे उसकी बहुत सारी एनर्जी तो बेकार चली जाती है, गांवों में कम से कम अध्यापकों के रहने के लिये आवास की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये तभी हम शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकते हैं। केवल उसका ध्यान आने जाने में ही लगा रहता है इस लिये मेरा निवेदन है इस कमी को दूर करने की ओर भी ध्यान दिया जाय। अब मैं उच्च माध्यमिक पाठशालाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जहां पर बच्चे किशोर अवस्था में पदार्पण करते हैं। उनमें युवा शक्ति होती है। यदि उस शक्ति का मार्गन्तरीकरण नहीं किया गया तो उनकी शक्ति दूसरे कार्यों में लगेगी, विध्वंसात्मक कार्यों में लगेगी। इसकी तुलना नदी के बहते हुये पानी से दे सकते है। अगर नदी के पानी को मौलिकरूप से बहने दिया जाय तो उस पानी से जन व धन की हानि होगी लेकिन उस नदी के पानी की ठीक व्यवस्था कर दी जाय तो उसी पानी से बान्ध बन जायेंगे, जिससे खेती में अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, उसी पानी से बिजली भी उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में नहीं लगाया गया तो वे भी बरबादी की ओर अग्रसर हो सकते हैं आप माध्यमिक स्तर पर लीजिये उनमें बहुत सारी अनुशासनहीनता नजर आती है। उसका सबसे पहला कारण यह है कि जो विषय उन्हें पढ़ाये जाते हैं वे सैद्धान्तिक ज्यादा होते हैं और व्यावहारिक बहुत कम हैं। सैद्धान्तिक बातें पढ़ते पढ़ते बच्चे ऊब जाते हैं इसलिये मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो विषय पढाया जाय वह व्यवहारिक होना चाहिये।

उदाहरण के रूप में मैं अपने विषय को ही लेती हूं। सोसियोलोजी एक महत्वपूर्ण विषय है, उसको बहुत अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है, समाज के अन्दर जाकर उसको काफी हद तक व्यावहारिक बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमने लिख लिख कर भी भेजा कि प्रेक्टिकल किया जाना चाहिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि निश्चित स्वार्थ उसमें निहित हैं। थ्योरी पढ़ते पढ़ते बच्चे ऊब जाते हैं।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर एन. सी. सी. रखी गई है जिसे नेशनल केडिट कोर कहा जाता है। उसमें राष्ट्र का पैसा खर्च होता है लेकिन उसमें अनुपस्थिति की कोई कठोर व्यवस्था नहीं रखी गई और न ही कोई रचनात्मक कार्य रखा है। मेरा निवेदन है एन. सी. सी. ट्रेनिंग देने के बजाय मिलिट्री साइन्स के सब्जेक्ट के रूप में नया सबजेक्ट इन्ट्रोड्यूज कर दें तो हमारे देश में अच्छे नौजवान होकर देश की सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार का सुझाव मेरा मान लिया जाय तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ माध्यमिक शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने से अध्यापक का पर्सनल टच नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि बच्चों की संख्या बढ़ाई जाय तो शालाओं की संख्या भी साथ ही साथ बढ़ाई जानी चाहिये। अब मैं दूसरे स्तर पर आती हूं जो बहुत इम्पारटेंट है......

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने विचार बहुत संक्षेप में रखें, माननीय सदस्य बहुत बोलने वाले हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी : मैं दो-चार मिनिट और बोलूंगी। इस विषय पर बोलने के लिये तो मैं काफी दिनों से उतावली हो रही थी अगर पांच मिनिट का समय मुझे और दे दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री : और कई अवसर मिलेंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी : पर आज जब मूड बना हुआ है। विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रकार का असन्तोष दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है आज शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक रूप से और संख्यात्मक रूप से कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज कई जगह हम कालेज खोलकर खुश हो जाते हैं लेकिन वास्तव में यह बात नहीं होनी चाहिये, परन्तु उसके साथ बच्चे किस प्रकार विकास कर रहे हैं यह नहीं देखते। आज की सबसे बड़ी समस्या विश्वविद्यालयों में और कालेजों में शिक्षित बेरोजगारी की है यह समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि जो कुछ हमारी शिक्षा है वह पूर्णतया अनियोजित है। रूस का उदाहरण लीजिये, वहां पर हर प्रकार के इनफरमेशन ब्यूरो होते हैं- कितने डॉक्टर चाहिये, कितने इन्जीनियर चाहियें, कितने अध्यापक चाहियें, कितने प्रशासनिक वर्ग चाहियें, कितने वकील चाहियें परन्तु उस प्रकार हमारे यहां कोई इनफरमेशन ब्यूरो नहीं है। केन्द्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी इस प्रकार के इनफरमेशन ब्यूरो स्थापित होने चाहियें जो यह बतायें कि इतने डॉक्टर चाहियें, इतने वकील चाहियें, इतने इन्जीनियर चाहियें और इतने प्रशासनिक वर्ग चाहिये उसी हिसाब से पढ़ाया जाय और उसी हिसाब से विद्यार्थियों को निकालेंगे तो उचित होगा ताकि बेकारी की समस्या का समाधान कर सकें। आज जो युवा वर्ग में अशान्ति फैली हुई है, उसको दूर कर सकें। विद्यार्थियों में आज असन्तोष को बनाया किसने यह सब हम लोगों का ही उत्तरदायित्व है। बच्चे बहुत भोले होते हैं। मैंने बच्चों को 10 साल से फेस टू फेस डील किया है, वे अनुशासनहीन नहीं होते हैं परन्तु अनुशासनहीन हमने उनको बनाया है, अनिश्चितता के गर्त

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

में उनको धकेल दिया है इसलिए मेरा निवेदन है सबसे पहले उनको अनिश्चितता से छुटकारा मिलना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हम इनफरमेशन ब्यूरो स्थापित करें। इसके साथ जो विषय पढ़ाये जाते हैं वे सैद्धान्तिक ज्यादा होते हैं। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर आप ताज्जुब में होंगे— मैं आपको बताऊं जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में फस्ट ईयर में कम्पलसरी सब्जेक्ट्स रख दिये गये हैं और उन कम्पलसरी सब्जेक्ट्स में न तो विद्यार्थी के लिये एक साल में पास होना जरूरी है और न ही उनके नम्बर डिविजन के लिये जुड़ते हैं। ये तीन कम्पलसरी सब्जेक्ट्स हैं: हिन्दी, अंग्रेजी और जनरल एजुकेशन। ऐसी या H.I.cc. ऐसी स्थिति में विद्यार्थी क्या करते हैं, वह सोचते हैं कि पास होना तो जरूरी नहीं है और इनके नम्बर डिविजन में नहीं जुड़ेंगे, इसलिये वे इधर उधर घूमते रहेंगे। यह प्रवृत्ति हम उनमें पैदा कर रहे हैं, हम उनमें यह गैरजिम्मेदारी पैदा कर रहे हैं, हम उनमें बेफिक्री पैदा कर रहे हैं। ऐसे विषय पढ़ने से क्या फायदा जिनके नम्बर डिविजन में नहीं जुड़ते हैं। ऐसे विषयों को रखना नहीं चाहिये कि जिनमें पास होना जरूरी नहीं है। हिन्दी भी इस लपेट में आ गयी है। विद्यार्थी भाषा नहीं समझ सकता है। सारे विषय सैद्धान्तिकरूप से पढ़ाये जाते हैं। इसलिये इस प्रकार के विषय जिनमें पास होना जरूरी नहीं है और न डिविजन में नंबर जुड़ते हैं उनको कदापि नहीं रखा जाना चाहिये। इतना जरूर है कि बी० ए० की डिग्री जब तक नहीं मिलती है जब तक कि उन विषयों में पास नहीं हो जाते। 6 अटेम्प्ट में। इस प्रकार युनिवर्सिटी में व्यवस्था है उसको दूर किया जाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री: शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग की मांगें रखी जावें जब आप यह बातें रख सकेंगी।

श्रीमती निर्मला कुमारी: पांच मिनिट में समाप्त कर रही हूं।

श्रीमती सभानेत्री: एक मिनिट में समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कृपया मूड खराब न करें।

श्रीमती निर्मला कुमारी: इसी प्रकार से पुस्तकों के विषय में भी है। सिफारिशों के आधार पर पुस्तकों का चयन होता है इससे विद्यार्थी नहीं सोच पाते है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। इस तरह से जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है वह निरर्थक है।

ऐसे परिवारों से विद्यार्थी आते हैं जहां कि शैक्षणिक परम्पराएं नहीं हैं। भविष्य में उनको क्या करना है यह उनको पता नहीं। मेरा यह उद्देश्य हुआ करता था कि कॉलेज खुलते ही मैं फस्र्टइयर के विद्यार्थियों से पूछा करती थी कि आगे जाकर क्या करने वाले हैं तो उनका जवाब होता था कि पता नहीं। प्रत्येक युनिवर्सिटी और कॉलेज में इस प्रकार का इन्फोर्मेशन ब्यूरो होना चाहिये कि जहां विद्यार्थी इन्फोर्मेशन ले सकें कि क्या क्या लाइन्स खुली हुई हैं और किस किस लाइन्स में वे जा सकते हैं।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि शार्ट ट्रेनिंग सेन्टर्स भी यहां नहीं हैं। पश्चिमी देशों में सब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने कालेज में नहीं आते हैं। उनको वहां पर शार्ट ट्रेनिंग दी जाती है और वे लोग अपने जीविकोपार्जन के साधन ढूंढ़ लेते हैं। हमारे यहां पर कोई ऐसा सेन्टर नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि तमाम भीड़ कालेज और विश्व विद्यालय में आती है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उनमें वे सब होते हैं जो पढ़ने में रुचि रखते हैं और नहीं रखते हैं। इससे जो रुचि लेकर पढ़ते हैं और जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको भी उस प्रकार का वातावरण नही मिल पाता है जो कि उनके लिये होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

संक्षिप्तरूप में बाल अपराध के सम्बन्ध में निवेदन करूंगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाल अपराध के विषय में लिखा क्या है। बाल अपराध इस प्रकार की घटनायें हैं जिनके लिए शर्म आनी चाहिये। वह जरूर है कि बाल अपराध को दूर करने के लिये हमने स्कूल खोले हैं, कुछ केन्द्र खोले हैं जहां पर इस प्रकार के बच्चों को सुधारा जा सकता है। प्रिकाशन इज बेटर देन क्योर। बाल अपराध होते हैं क्यों? सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। गरीबी और बेकारी। गरीबी के कारण अपराधी बने हैं या क्यों कर? नशा ही वह मूल कारण है जो बच्चों को अपराध के कार्य में लगाता है। इसलिए नशा निषेध होना चाहिये।

नशा दूर होना चाहिये जब ही बाल अपराध को दूर कर सकते हैं।

तीसरा सुझाव भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के सम्बन्ध में है। भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए कानून बना। वह पुस्तक के पृष्ठ बन कर ही रह गया है। व्यवहार में नहीं आया है उनको व्यवहार में लेना चाहिये। बाल न्यायालय भी कायम किये जायें। बाल अपराध के लिए सामान्य न्यायालय कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ बाल न्यायालय भी होने चाहियें और तब ही हम अपराध प्रवृत्ति से बच्चों को दूर हटा सकेंगे।

बंदियों के विषय में राज्यपाल महोदय के भाषण में बात कही गई। बंदी समाज के कारण ही बनाये जाते हैं। अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं या बनाये जाते हैं? अपराधी समाज में न हों इसका प्रयत्न करना चाहिये चूंकि समय कम है इसलिए इसके सम्बन्ध में बाद में मैं निवेदन करूंगी। अमुक अपराधी है। इस अपराधी के कलंक को खत्म करने के लिए अपराधी जब जेल से छूटता है तो उसके लिए कोई साधन नहीं है इसके लिए आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन्स होने चाहिये जिनमें उनको यह बताना चाहिये कि किस प्रकार से समाज के उपयोगी वह आगे बन सकता है। समाज की जो पब्लिक ओपिनियन है उसके प्रति, वह भी दूर करना चाहिये और उसको काम भी देना चाहिये, जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। यदि समाज की इन कमियों को दूर करें तो समाजवाद स्वतः आ जावेगा। कोई शक्ति नहीं कि वह समाजवाद को रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने संविधान की धारा 176 की औपचारिकता को निभाने का असफल प्रयत्न किया है मैंने सन् 67 से लेकर अब तक के भाषणों को पढ़ा है और यह जानने का प्रयत्न

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किया है कि इस बार सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से क्या लुभावने नारे दिये गये हैं। विशेषतौर से मध्यावधि चुनाव के पश्चात जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है उसको कार्यान्वित करने के लिए इसमें कोई संकेत मिलता है ? मुझे दुख है इस बात का कि कोई संकेत नहीं है और हर्ष है इस बात का कि कांग्रेस की ओर से इसके पहले भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री महोदय ने भाषण दिया उसमें उन्होंने मेरी भावना को व्यक्त किया है। सारे भाषण को पढ़ने के बाद निष्कर्ष मैंने यह निकाला कि गरीबी हटाओ के नारे को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम तो छोड़िये कोई इसमें संकेत भी नहीं मिलता। दुख इस बात का है कि राज्यपाल महोदय ने थोथा भाषण दिया, भूतपूर्व मंत्री महोदय जो कांग्रेस की ओर से बोले थे उन्होंने इसको "काम चलाऊ" की संज्ञा दी। मैं कहूंगा कि "बोतल नई है शराब पुरानी है"। ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल"। राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ कर इतनी निराशा हुई। राजस्थान के विकास के महान कार्यक्रम को लेकर चलने वाले हैं संविधान की 176वीं धारा में इसका संकेत नहीं है कि राज्यपाल को चाहिये कि वह सदन को बताये कि क्या वास्तविक कार्यक्रम है, क्या नीतियां हैं, किस प्रकार की योजनाएं हैं, जिसके लिए बुलाया गया है। इंग्लैंड से परम्परा चली आई है। साम्राज्यवादी परम्परा थी। सम्राट के पास जाते थे वहां के लोग और सम्राट से कहते थे कि हम इस प्रकार की रियायतें चाहते हैं और संसद को बुलाया करते थे। हमारे यहां जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वह ब्रिटिश प्रणाली के अनुकूल है। लेकिन दुख है कि नकल करने के पश्चात भी गुण है उनको नहीं अपना सके हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण से जिस प्रकार की निराशा हुई उसके लिए यही कहा जा सकता है कि यह केवल औपचारिकता निभाने के लिए भाषण है और यह मार्ग दर्शन नहीं कर सकता है। यहां पर सब तरह के माननीय सदस्य, विद्वान माननीय सदस्य, बैठे हुए हैं वे इस पर निष्कर्ष निकालें।

अब सबसे पहले मैं चुनाव के प्रश्न को लेना चाहूंगा। चुनाव के प्रश्न के ऊपर बधाई दूंगा आज जो चुन कर आए हैं इस सदन के अन्दर सब सदस्यगणों को और विशेषतौर से सत्तारूढ़ कांग्रेस को, नये महाराजा और महारानियों को। मैं नये महाराजा और महारानियों के शब्दों का इस लिए उपयोग करता हूं कि यह बात छिपी हुई नहीं है कि शानो-शौकत के अन्दर, दिखावे के अन्दर जिस प्रकार से आज के हमारे मन्त्रिमण्डल के लोग अथवा सत्तारूढ़ दल के द्वारा चुने हुए सदस्य अथवा उनके द्वारा जिस प्रकार से अलग अलग पदों पर रहने वाले लोग फिजूलखर्ची करते हैं, दिखावा करते हैं, वह पुराने महाराजा और महारानियों से कम नहीं है। जनता ने उनको चुना है इसका स्वागत है और इसका भी स्वागत है कि वे चुनकर आज बहुत प्रचण्ड बहुमत में आए हैं। यद्यपि हमारा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सन 52 से लेकर अब तक कांग्रेस का शासन रहा है। शासन के अन्दर उनको जनता के अभाव अभियोगों को मिटाने का, गरीबी को मिटाने का; प्रगति करने का, विकास करने का पूरा अवसर था फिर भी यह नहीं हुआ कोई कारण नहीं कि 24-25 साल के अर्से में कांग्रेस शासन राजस्थान को पीछे की ओर ले गये और यहां गरीबी को बढ़ाया है, दरि-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

द्रता को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी आज बहुमत से आए हैं उनका स्वागत करता हूं और उसके साथ ही उन माननीय सदस्यों का भी स्वागत करता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबन्धन किया और कांग्रेस के साथ विवाह किया। मैं तो उसको गन्धर्व विवाह ही कहूंगा। नीतियों में मेल नहीं, आपस में तालमेल नहीं, फिर भी चुनाव जीतने के लिए गठबन्धन किया। जहां एक ओर मैं राजा और महाराजाओं का स्वागत करता हूं वहां दूसरी ओर राव राजाओं का भी स्वागत करता हूं। एक ओर जहां कांग्रेसी, नये ठाकुर और नये जागीरदारों का स्वागत करता हूं वहां दूसरी ओर इन कम्युनिस्ट छुट भाइयों का भी स्वागत करता हूं।

आज हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और युद्ध करके हमने सारे विश्व के अन्दर अपने मुख को उज्ज्वल किया और भारत का मस्तक ऊंचा किया-इस प्रकार सफलता हमने उस युद्ध में प्राप्त की। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने जवानों को, सैनिकों को, सेना के आफिसर्स को और उसके साथ ही साथ प्रशासन को भी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान का शासन और विशेषतौर से राजस्थान के मंत्रिमण्डल के लोग जो उस समय थे और जिनके पास सत्ता थी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मुझे इसकी प्रसन्नता है कि राजस्थान के शासन और सेना के बीच में तालमेल ठीक रहा। उन्होंने यह कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि संचार व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अन्य प्रकार की सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था ठीक रही परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और मैं यह कहने के लिए बाध्य होता हूं कि राज्यपाल महोदय को जिन व्यक्तियों ने इस भाषण के बारे में तथ्य दिये उन्होंने सही तथ्य नहीं बताए। स्थिति यह है कि यह हमें दुःख है और 65 में भी दुःख रहा कि जिस समय हमारे जवान इच्छोगिल नहर पर जाकर लाहौर के किले पर कब्जा करने वाले थे उस समय राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के लोगों ने केन्द्र को सही स्थिति नहीं बताई और इसके कारण से जैसलमेर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया और उसी के कारण से हमें ताशकंद में उस महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को खोना पड़ा। आज वह कालिख राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के चेहरे पर लगी है और मैं इस बार कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया, कि सत्य कड़वा होता है और सत्य कहे बिना रहा भी नहीं जाता और वह भी खासतौर से विधान सभा के अन्दर। जिस समय नये छोर पर हमारी सेना जाने वाली थी और हम जोधपुर के अन्दर बैठे देख रहे थे और वहां के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रेलवे के थे उन्होंने कहा कि हमारी सेना नया छोर से जाकर शाम तक हैदराबाद पहुंच जायेगी और खाना वहीं होगा व हम स्पेशल ट्रेन लेकर जावेंगे लेकिन दुःख है कि राजस्थान की सरकार नया छोर की ओर बढ़ते हुए चरणों के अन्दर हमारे सैनिकों को पानी तक नहीं पहुंचा और इसके कारण से सैनिकों को वापिस लौटना पड़ा। छाछरों के ऊपर युद्ध हुआ और पानी के अभाव के कारण हमारी सेना नहीं बढ़ सकी और नया छोर कब्जे में नहीं आ सका इसका दोषी मन्त्रिमण्डल है और कांग्रेस के सदस्य हैं जिन्होंने व्यवस्था को नहीं सुधारा। वायुसेना की ओर से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पानी पहुंचाया गया लेकिन हमारे राजस्थान के प्रशासन के द्वारा सैनिकों को पानी तक नहीं पहुंचाया गया इससे बढ़कर और दुःख क्या हो सकता है।..........

श्री खेतसिंह : आप जनरल मानकशा हैं क्या ? आपको ऐसी इत्तला कहां से मिली

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज अमेरिका और रूस में होड़ लगी है कि चन्द्रमा के ऊपर पहले कौन कब्जा करे लेकिन हमारे सैनिक इसलिये बढ़ने से रुक गये कि सरकार पानी तक नहीं पहुंचा सकी। इसलिए जहां भारत पाक संघर्ष का सुनहरा इतिहास लिखा जायेगा जो कि भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि दुनियां के लिए उज्ज्वल बनकर रहेगा और चमकते सितारे की तरह रहेगा वहां दूसरी तरफ काले अक्षरों में लिखा जायेगा कि राजस्थान की सरकार सैनिकों को पानी तक नहीं पहुंचा सकी और इसलिए नया छोर के ऊपर कब्जा होने से रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : सभापति महोदय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं क्षमा चाहता हूं, सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें जो सफलता मिली उसका श्रेय सैनिकों को है जिनकी कोख सूनी हो गयी, उसका श्रेय उन बहनों को है जिनके माथे का सिन्दूर लुट गया, लेकिन दुख इस बात का है कि सत्तारूढ़ दल के लोग उस श्रेय को ले लें यह सही नहीं है। जिन जवानों ने लड़कर जमीन ली, त्याग कर के और खून का तर्पण करके जीत हांसिल की उसका राजनैतिक व्यभिचार करने लिए हमारी प्रधानमंत्री ने एकदम चुनावों की घोषणा की। जो पहले कर चुकी थीं कि हम चुनाव नहीं करायेंगे और देश एक रहेगा, सारा भारत एक रहेगा - उसका विश्वासघात किया और राजनैतिक शोषण करने के लिए, राजनैतिक व्यभिचार इसको मैं पालिटिकल प्रास्टीट्यूशन कहूंगा उसको लेकर कि बंगलादेश हमने बनाया इसलिये हमको वोट दो। हमने टैंकों की लड़ाई लड़ी और हमने जीत हांसिल की इसको मैं स्वीकार करूंगा। जहां तक भारतीय जनसंघ का प्रश्न है मैं स्वीकार करूंगा कि टैंकों की लड़ाई में जीत सके लेकिन कांग्रेस और जनसंघ के बीच में और कांग्रेस और विरोधी पक्ष के बीच में जो ट्रैक्टर्स की लड़ाई उसमें विरोधी पक्ष हार गया। हमारे पास कुछ नहीं था और कांग्रेस का एक एक विधायक सौ सौ ट्रैक्टर्स लेकर आता था: जीपों और ट्रैक्टरों की लड़ाई में हम हार गये चांदी के खनखनाते सिक्के चाहे वे साहू जैन से आते हों, चाहे बिड़ला से आते हों और चाहे बांगड़ से आते हों - जो समाजवाद का ढोंग पीटते हों दुनिया में कहते हों कि हम समाजवाद ला रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं और कम्युनिस्ट भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप पता लगायें कि क्या पाली मिल के मैनेजमेन्ट ने कांग्रेस विधायक का समर्थन नहीं किया? क्या दूसरे जो बड़े बड़े राजस्थान में मिल हैं जिनको आप शोषण करने वाला कहते हैं जिनको कहते हो कि ये मजदूरों का खून पीकर बढ़ते जा रहे हैं क्या उन्होंने खुले आम कांग्रेस पर चांदी के सिक्के नहीं बरसाये? सन् 67 में चुनाव हुए थे उस समय के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के विरुद्ध जो चुनाव याचिका हुई है उस समय में मैंने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हाईकोर्ट में प्रश्न पूछा था कि उदयपुर जिला कांग्रेस के रेकार्ड में लिखा था कि 25 हजार वीविंग मिल जे.के. से 50 हजार भोपाल इलेक्ट्रिक कं० से 50 हजार रुपये लिये यह काला धन किस ने लिया ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से पता नहीं वे है या नहीं वे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं····

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन सर । सभापति महोदया, जैसा अभी सुनने में आया है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के लिए कहा कि उन्होंने राजनैतिक व्यभिचार किया तो इस व्यभिचार शब्द को इस प्रासीडिंग्स में से निकाल दिया जाये। आप इस शब्द की व्याख्या कीजिए कि इसकी क्या परिभाषा है । कह देना आसान है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारतीय संस्कृति के शब्द हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने यह कहा है कि यह राजनैतिक व्यभिचार है ।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्रीमती नगेन्द्रबाला : राजनैतिक व्यभिचार की परिभाषा कीजिए ।

श्री मनोहरलाल (कामां): शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं कर रहे हैं, राजनैतिक व्यभिचार की बात कही है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : राजनैतिक व्यभिचार क्या होता है, पहले यह तो बताइए?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह राजनैतिक व्यभिचार है, मैंने इन शब्दों का उपयोग किया है । यदि इस कारण से किसी माननीय सदस्या को ठेस लगी हो मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं कहूं । लेकिन मेरे शब्द हैं राजनैतिक व्यभिचार, पोलिटिकल प्रोस्टीट्यूशन, मैं यह कहना चाहता था । बंगला देश का जो इश्यु था वह चाहे भारतीय जनसंघ हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो सभी ने मिल कर लड़ा है । उस समय सब एक हुए थे, अलग अलग तरीके से नहीं थे । जिस समय का यह वाकया है, हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने युद्ध के पहले कहा था कि पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, हम एक साल तक चुनाव नहीं करवायेंगे । जनसंघ के माननीय नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी अस्पताल में थे उनको बुलाया गया । उनको बुला कर प्रधान मंत्री ने उनसे कहा कि मैं बाहर जा रही हूं, यह आपकी जिम्मेदारी है इस देश में किसी प्रकार की कमजोरी पैदा नहीं हो । आप हमारे साथ रहें । इस पर माननीय अटलबिहारी वाजपेयीजी ने कहा कि हमारे देश की एक नेता है युद्ध के समय में और हम उस एक नेता के साथ में चलेंगे । दुर्भाग्य है कि हमने हमारे वचन को निभाया लेकिन माननीय प्रधान मंत्री ने अपने वचन को भंग किया···

श्रीमती नगेन्द्रबाला : कोई वचन भंग नहीं किया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर):सारे विरोधी दलों को पूछकर चुनाव की घोषणा की गई थी यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह गलत है, मिथ्या है, झूठ है। मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। विरोधी दल…

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : संकट के बाद समय पर-चुनाव कराना देश के लिए गौरव की बात थी।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अश्रव्य

श्री सभापति : आप अपने नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक दूसरे की टांग खींचने में विश्वास रखते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भगराज (रानीवाड़ा): मैडम चेयरमैन, मैडम चेयरमैन, मैडम चेयरमैन….

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

Madam Chairman, I rise on a point of order. The Hon'ble member has come for the first time, therefore he does not know the rules. He should therefore be given…

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही यह बात कह दी थी कि आप जनसंघ के नेता हैं, इसके साथ साथ पहली बार विधान सभा में भाषण दे रहे हैं इसलिए कम से कम बाधा पहुंचाई जावे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदया, मैं आभारी हूं आपके इस आदेश के लिए लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि मैं विधान सभा में पहली बार बोल रहा हूं लेकिन विधान सभा के नियमों से भली प्रकार परिचित हूं। किसी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा और यदि अप्रत्यक्षरूप में किसी तरह की बात कह जाऊं तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए भी तैयार रहूंगा। यह मेरा पुनीत कर्त्तव्य है कि जितनी इस सदन की गरिमा है, सभापति महोदया और आसन की गरिमा है, सारे राजस्थान की गरिमा है, उसको उज्ज्वल और धवल रखूं, यह आप विश्वास रखिए। जहां मैं अपनी स्पष्टवादिता को बनाये रखूंगा, चाहे वह इधर के माननीय सदस्यों को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। जहां आपने अच्छी 2 बधाइयां और बधाई संदेश सुने हैं वहां कुछ स्पष्ट-वादिता सुनने को भी तैयार रहें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि चुनावों के बारे में और काले धन के बारे में और काले धन के बारे में विशेषतौर से कहना चाहूंगा कि आंकड़ें प्रकाशित हुए हैं। जिस समय सन् 67 के चुनाव हुए और उसके पहले सन् 52 के चुनाव हुए, सन् 57 के चुनाव हुए और उसके बाद सन् 62 के चुनाव हुए, उन सबके जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उनमें बताया गया है कि सबसे अधिक जितना काला धन, जितने बड़े 2 इण्डस्ट्रियलिस्ट, बड़े 2 पूंजीपति हैं, उन सबने जितना धन कांग्रेस को दिया, 195 प्रतिशत काला धन कांग्रेस को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दिया उसके मुकाबले में दस पांच प्रतिशत ही अन्य दलों को दिया गया है। यह स्पष्ट-रूप से जनता के सामने है। ऐसे सामने हैं जैसे दीवार पर लिखी हुई तस्वीर हो। मैं इस बात को भूल नहीं सकता और आज भी मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि हम टैंकों की लड़ाई में जीते। यह सही है कि हम टैंकों की लड़ाई में जीते लेकिन ट्रैक्टरों की लड़ाई में हार गये। हम जीपों की लड़ाई में हार गए और खनखनाते हुए सिक्कों की लड़ाई में हार गए···

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, एक जानकारी चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप शान्त रहें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैं तो सिर्फ पी०एल० 480 के धन के बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पी०एल० 480 के बारे में आप मुझ से क्या जानकारी चाहते हैं, यह तो कांग्रेस की सरकार ने ही देश को दिया है। अमेरिका के साथ समझौता किसने किया था ? यह समझौता केन्द्रीय सरकार ने ही किया था। क्या उस समय केन्द्र में जनसंघ की सरकार थी, क्या उस समय स्वतन्त्र पार्टी की सरकार थी, क्या उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी जिसने अमेरिका के साथ में समझौता किया था ? यह नापाक समझौता किया था। आज वह मुझ से पूछना चाहते हैं कि उसमें क्या है ? उसका पैसा आपके खजाने में है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

आपने चान्दी के सिक्कों के आधार पर मतदाता को भ्रष्ट किया है। देश की जनता मतदाता महान होता है, किसान जो अन्न पैदा करके देता है वह अन्नदाता होता है और भगवान वह महान है जो इन्सान को पैदा करता है। इस महान मतदाता को भ्रष्ट करने का जिस प्रकार का नापाक इरादा किया गया, इतिहासकार आने वाले भविष्य में कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। यह हो सकता है कि आज आप बहुमत में हैं, आज यह हो सकता है कि प्रजातन्त्र आज आपके हाथ में है, यह हो सकता है कि आकाशवाणी आपके हाथ में है, इसलिए अपनी जीत की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन जनता की वाणी को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के इतिहास में जितनी महान क्रांतियां हुई हैं वे इस बात की साक्षी हैं। मुझे इस बात का दुख है और मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल चान्दी के सिक्कों की लड़ाई ही नहीं हारे हम हिंसा की और हत्याओं की लड़ाई भी हारे हैं।

सभापति महोदया, अब मैं कहना चाहता हूं उस दुखद प्रसंग को जिसको कहते हुए मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, मेरा हृदय आंसुओं से भर रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है, कोई शैली नहीं है, जिससे मैं इस घटना का वर्णन करूं। हम महान जनतंत्र की लोरियां गाते हैं, महान जनतंत्र की गाथाएं सुनाते हैं और दुनियां में जाकर कहते फिरते

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हैं और हमारे राज्यपाल महोदय ने भी कहा और उस समय के जो अध्यक्ष चुने गए उन्होंने भी कहा कि दुनिया में सबसे बड़े जनतंत्र देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मेरे हृदय में इस बात की ठेस है, मेरे हृदय में इस बात का विषाद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सब बातों की चर्चा की लेकिन उन्होंने राजोरिया हत्याकाण्ड का जिक्र तक नहीं किया। यह हो सकता है, मैं समझता हूं कि वे इसको एक्सीडेन्ट कहें। सरकार यह कहे कि यह कोई हत्याकांड नहीं था, यह एक्सीडेन्ट के कारण हत्या हुई। लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि धौलपुर के अन्दर रात्रि के समय जो हत्या हुई वहां आधी फर्लांग के ऊपर रेल्वे का फाटक था। उस फाटक पर भारतीय जनसंघ के युवा कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के नेता, पुराने और तपे हुए कार्यकर्ता श्री ओमप्रकाश राजोरिया जिस समय आ रहे थे उस समय आर. ए. सी. के असिस्टेंट कमाण्डेन्ट श्री लखसिंह ने गोली मारी। यह हो सकता है कि हत्या के कारण इसमें दो मत हों। मैं यह भी नहीं कहता कि मेरा आरोप सही ही हो लेकिन यह तथ्य है कि हत्या हुई और सरकार भी इसको स्वीकार करती है। हमारे राज्यपाल महोदय ने जहां इतना बड़ा भाषण लिखा, 28 पृष्ठों का भाषण लिखा, लम्बी चौड़ी चर्चाएं कीं, लेकिन इस हत्या पर उनके पास में दो आंसू बहाने के लिए भी शब्द नहीं थे। दो शब्द भी उन्होंने इस पर नहीं कहे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। यदि यह कह दिया जाता तो हमें उससे ही संतोष हो जाता कि वास्तव में सरकार का इरादा नेक है, पाक है, पवित्र है। लेकिन आज मैं इस बात को कहने के लिए बाध्य हूं, श्रीमान सभापति महोदया, वास्तव में राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर इसका अभाव इस बात की पुष्टि करता है, मेरे सन्देह को पुष्ट करता है और धौलपुर के कार्यकर्ताओं के आरोप को प्रमाणित करता है कि यह मृत्यु नहीं, यह एक्सीडेन्ट नहीं, यह हत्या थी। जिस हत्या को सुनियोजित ढंग से किया गया, यह मैं ही नहीं कहता, अध्यक्ष महोदया, इसके बारे में मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि यह मेरा ही नहीं, जिस समय सेन वर्मा जी हमारी पवित्र संसदीय प्रणाली, चुनाव प्रणाली के सबसे बड़े भारतवर्ष के अधिकारी, जो इलेक्शन कमिश्नर के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता गए और जाकर उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, बिना किसी प्रकार के डर के चुनाव कराने का आपका कर्त्तव्य है। यह कर्त्तव्य आपको किसी प्रधान मंत्री या मंत्री ने नहीं सौंपा है बल्कि संविधान की धारा 329 या 328 ने आपको सौंपा है। उसके तहत आप नियुक्त किए गए हैं, आप उस कर्त्तव्य को निभाइए, अपनी गरिमा को निभाइए और इस पवित्र चुनाव के कार्य को धूल-धूषित मत होने दीजिए। उन्होंने टेलिफोन किया, राजस्थान के अन्दर चुनाव के इन्चार्ज सक्सेना साहब को और उनसे जवाब तलब किया। सक्सेना साहब ने उनको जवाब दिया इट वाज ऐन एक्सीडेन्ट डाकू जा रहे थे, डाकू जाने वाले थे और गलती से गोली मार दी गई। यह मेरा आरोप नहीं है सभापति महोदया, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह भारतीय जनसंघ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के नेता का आरोप नहीं है, राजस्थान के नेताओं का आरोप नहीं है, अखिल भारतीय स्तर पर इस चुनाव प्रणाली के बडे अफसर श्री सेन वर्मा का यह आरोप है । It is wrong. It is too atrocious. This could not happen in moonlight. This must be enquired at the highest level. Otherwise free and fair elections cannot take place. उन्होंने कहा यह बात गलत है । इस प्रकार की घटना गोलीकाण्ड धोखे से पूर्णचन्द्र की चांदनी में नहीं हो सकता है । इसलिये इसकी जांच उच्चस्तरीय रूप से करायी जानी चाहिये ताकि चुनाव सही हो सके । यह श्री सेन वर्मा का स्टेटमेंट है जो दीवार पर लगा हुआ है । माननीय सदस्यगण इस स्टेटमेंट को यह कहकर नहीं टाल सकते कि यह श्री सेन वर्मा और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बीच में गठबन्धन हैं । अगर कोई इसको झूंठा बताता है तो उसके लिये मेरे पास सहानुभूति के अलावा कोई शब्द नहीं हैं अन्यथा सभापति महोदय मैं आपके जरिये से कहना चाहूंगा कि यह हत्या राजोरिया की की गई है और कल किसी और की हो सकती है । आइये आप और हम दोनों मिल कर यह मांग करें कि सी. बी. आइ. के द्वारा इसकी जांच कराई जाये । जयपुर के छात्र दिलीप की हत्या की गई और उसकी जांच सी. बी. आइ. के द्वारा करायी गयी तो इसकी जांच भी आप क्यों नहीं करा सकते हैं ? मैं यह नहीं चाहता और न यह कह रहा हूं कि आप किसी को फांसी दे दें, या मेरे कहने मात्र से किसी को जेल में डाल दें । मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस की निष्पक्ष जांच करायी जाये । डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा की जाने वाली जांच का कोई मतलब नहीं है । जो एक्ट बना हुआ है उसमें स्पष्ट है कि इसकी कोई मान्यता नहीं हो सकती है । सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को पता है कि किस प्रकार से बेरी आयोग की रिपोर्ट को इस सरकार द्वारा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था उसको खतम करदिया गया था और इस प्रकार इन्क्वायरी कमीशन एक्ट को हमेशा के लिये धूल धूसरित कर दिया गया है । एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जांच की बात मैं स्वीकार करने के लिये तब तक तैयार नहीं जब तक सरकार यह आश्वासन नहीं देती कि उसकी जांच का जो रिजल्ट आयेगा उसको सरकार मान्य करेगी फिर चाहे वह पक्ष में आवे या न आवे । सांगरिया, मादरा, चूरू में हत्याकाण्ड हुआ, केकड़ी के अन्दर गुण्डागिर्दी हुई, हिण्डोन में आतंकपूर्ण कार्यवाही की गई, जयपुर में जो कि गुलाबी नगर कहा जाता है, उस जयपुर जैसे सुन्दर शहर के अन्दर सावन भादों में बहने वाली नदियों के समान मानव रक्त की नदियां बहाई गई । उस पर बेरी आयोग की रिपोर्ट की क्या दशा है । मैं यह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं । उसको चार छोटे अफसरों की जांच में रख दिया । आप इसको जांच करें । यह खुले आम न्यायाधीशों का तिरस्कार है कि आप उनमें विश्वास नहीं रखते हैं । आप द्वारा उनका यह तिरस्कार सही नहीं कहा जा सकता है । मैं माननीय सभापति महोदया, यह कहना चाहता हूं कि इस आयोग की रिपोर्ट के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधिपति को किसी जांच के लिये कहते हैं वे इंकार करते हैं । वे कहते हैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

These are only shock absorvers. The Commissions are only shock absorvers.

सभापति महोदया, ये मेरे शब्द नहीं हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के ये शब्द हैं जिनका कि तिरस्कार किया गया है, जिनके साथ में इस सरकार के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया है। माननीय सभापति महोदया यदि हमें न्याय पद्धति में विश्वास रखना है तो इन्क्वायरी कमीशन एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट करना होगा और यदि उसमें अमेंडमेंट नहीं करते हैं तो यह इन्क्वायरी कोई मायने नहीं रखती है डिस्ट्रिक्ट के जज के द्वारा होने वाली जांच । यह आरोप जो मैंने कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा ही आरोप नहीं है, भारतवर्ष के अन्दर वामपक्षी विचार धारा को लेकर निकलने वाला यह प्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिका है 'दिनमान', 12 मार्च 72। जिसका हैडिंग आपने देखा होगा 'चरचे और चरखे में—धोखा या राजनीतिक हत्या'।

भरतपुर जिले में धौलपुर के पास राजस्थान सशस्त्र पुलिस के एक दल ने एक राजनैतिक कार्यकर्ता को गोली मार दी। यह राजनैतिक कार्यकर्ता अपने चार साथियों के साथ एक जीप पर चुनाव प्रचार के लिये जा रहा था। राजस्थान के इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस का कहना है कि पुलिस ने डाकुओं के धोखे में गोली चला दी। पुलिस को सुराग मिला था कि इस स्थान से डाकुओं का एक गिरोह गुजरने वाला है। वह उनके घात में थी। जब यह जीप गुजरी तो पुलिस ने समझा डाकुओं को लेजाया जा रहा है और उसने गोली चला दी। डाकू के धोखे में राजनैतिक कार्यकर्त्ता मारा गया और उसका दूसरा साथी सख्त घायल हो गया। क्या पुलिस के लिये गोली मार देना इतना आसान है? यदि मान लिया जाये कि वह डाकुओं की ही जीप होती तो भी क्या पुलिस को अधिकार है कि वह तुरन्त गोली चलाकर उन्हें मार दे? क्या उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह उन्हें चेतावनी दे, हथियार छोड़ने को कहे और इस पर भी यदि दूसरा पक्ष न माने गोली चलाये तो वह आत्मरक्षा में गोली चलाये? सीधे मार देने का अधिकार पुलिस को किस ने दिया? जीप के पहियों पर गोली चला कर रोका जा सकता था, उसके तुरन्त बाद ही डाकू और गैरडाकू का फैसला हो जाता इस प्रकार खुले आम आदमी को मार डालना इस बात का सूचक है कि पुलिस के सामने आज आदमी की जिन्दगी की क्या कीमत रह गयी है। जिस भोलेपन से पुलिस धोखा हुआ कह कर छुट्टी पाना चाहती है वह उसके लिये बहुत बड़ा कलंक है। जनता पुलिस की इस मासूमियत को स्वीकार नहीं करेगी। और यदि वह इसे पीछे राजनीतिक हत्या का उद्देश्य देखती है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। इस तरह की हरकतें चुनाव प्रचार के दिनों में जिस गलत दौर की शुरूआत कर सकती है उसका अनुमान पुलिस और सरकारी तंत्र को होना चाहिये अन्यथा लोकतंत्र के इतिहास में यह एक अशुभ चरण होगा। इस धोखे पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और इसे घोर अपराध मान कर सम्बन्धित व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिये। पुलिस के इस भोले कथन पर जनता को यकीन नहीं है और व्यवस्था

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में ढिलाई बरत कर जनता के शक को मजबूत ही करेंगी। यदि पुलिस डाकुओं के धोखे में एक आम आदमी को मार सकती है तो कल एक आम आदमी भी डाकू के धोखे में पुलिस को या दूसरे आम आदमी को मार सकता है। यह कोई अच्छा सिलसिला नहीं होगा। एक स्वस्थ्य लोकतन्त्र में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला शुरू करने का बहाना किसी को नहीं दिया जाना चाहिये।

तो सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि सरदार प्रतापसिंह कैरो की हत्या करने वाले हत्यारे इस प्रकार का डिफेन्स लेते कि डाकू लोग जा रहे थे, इसलिये हत्या कर दी तो क्या माननीय सदस्य उनका यह कथन मान सकते थे ? यदि हमारे यहां पर इस प्रकार से राजनैतिक हत्याओं की परम्परा जारी रही और उस क्षेत्र से आये हुए माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे भी कृपया सी० बी० आइ० के द्वारा जांच कराने की बात का विरोध नहीं करें। इसके पश्चात दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। न्याय और अन्याय के बीच निर्णय हो जायेगा कि वास्तव में यह हत्या राजनैतिक थी या और कुछ ? मैं यह भी कहना चाहूंगा....

श्री प्रद्युम्नसिंह: सभापति महोदय, मेरा यह पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य जब तक यह पढ़ते रहें और मेरा नाम नहीं लिया मैंने उनके भाषण में व्यवधान नहीं किया लेकिन जब सी०बी०आइ० द्वारा जांच कराने की मांग का विरोध न करने के लिये मेरा नाम लिया गया तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जब अपना भाषण पूरा कर लें उसके बाद 5 मिनिट का समय मुझे परसनल क्लेरीफिकेशन के लिये दिया जाये तो आपकी सभापति महोदया, बड़ी कृपा होगी।

श्रीमती सभानेत्री : इस हत्याकांड के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य कल इस सदन के अन्दर आने वाला है....

श्री प्रद्युम्नसिंह: लेकिन माननीय सदस्य ने मेरे विषय में कहा है इसलिये मेरे लिये परसनल क्लेरीफिकेशन करना जरूरी हो गया है क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग्स समाचार पत्रों में भी जायेगी इसलिये कृपा करके 5 मिनिट का समय मुझे जरूर दिया जाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्रीः सदन की अनुमति होगी तो आपको समय जरूर मिल जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदया, इनको अनुमति मिले, अपना स्पष्टीकरण दें, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता है और मैं फिर इस परिच्छेद को समाप्त करने के पहले आपसे अपील करूंगा, बल्कि राजस्थान सरकार से अपील करूंगा कि हम जो मांग कर रहे हैं वह सी० बी० आइ० से जांच कराने के लिये है। चूंकि हत्या कर दी गई है, इसलिये बिना जांच के मुकदमा चलाये, आप किसी को फांसी दे दें, यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह नहीं कह रहा हूं कि किसी को जेल में डाल दें। केवलमात्र यह मांग कर रहा हूं कि माननीय सदस्य जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं जब तक इस प्रकार की जांच हो तब तक उनको सस्पेन्ड रखा जाये। सी० बी० आइ० के द्वारा जांच होने पर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह मालूम पड़ जायेगा कि यह राजनैतिक हत्याकांड है या डाकू कांड है। यह भी पता चल जायेगा कि भारतीय जनसंघ के दो बड़े भगवा झण्डे लगाकर जो जीप चन्द्रमा की चांदनी में चल रही थी उसमें डाकू थे या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ता? राजस्थान की जनता भी यह समझ जायेगी कि डाकू इतने प्रगतिशील हो गये हैं कि वे ऊंटों की बजाय जीपों में सैर करने लगे हैं। अगर जांच में यह नहीं पाया जाता है तो जिसने आरोप लगाये हैं वे क्षमा मांगने के प्रार्थी हैं, उन्हें सदन से क्षमा मांगनी होगी। यह साबित हो जायेगा कि यह एक राजनैतिक हत्या थी या एक सुनियोजित षड़यन्त्र था। मध्यावधि चुनावों के अन्दर आतंक फैलाने के लिये, वोटर्स को इन्टीमीडेट करने के लिये, किशनगढ़ के महाराजा की हत्या की गई थी और इस चुनाव के अन्दर कि यहां से जनसंघ का उम्मीदवार जीत जायेगा इसलिए वहां का जो जनसंघ का उम्मीदवार था उनको हराने के लिये यह एक षड़यन्त्र रचा गया और चन्द्रमा की पूर्ण चांदनी में चार फीट की दूरी से रेलवे क्रासिंग पर जीप रोक कर आमने सामने गोली चलाई गई। मैं यह नहीं कहता हूं कि श्री प्रद्युम्नसिंह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये परन्तु यदि साबित हो तो इस षड़यन्त्र के अन्दर जो उपमन्त्री के पद पर रह चुके हैं और उस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको जनता के कटघरे में खड़ा किया जाये। उनको लाकर जनता के सामने कटघरे में खड़ा किया जाये। उनसे जवाब तलब किया जाये। पवित्र संविधान की शपथ लेकर यह किया जाये। जो जनता से यह वादा किया गया था कि हमारा देश अडल्ट फ्रेंचाइज होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आन ए प्वाइण्ट आफ इन्फार्मेशन......

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो मताधिकार किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए प्वाइण्ट आफ इन्फार्मेशन......

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सभापति महोदया, ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए प्वाइण्ट आफ इन्फार्मेशन ......

श्रीमती सभानेत्री : प्वाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है। आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी चाहूंगा कि जनसंघ दो सीट भरतपुर से जीता है। कोटा से हारा है।

श्री हरिदेव जोशी : आज तक जीता भी है वहां से।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वहां जीतने वाला जनसंघ था। लेकिन हत्या की गई है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आप के प्रति सहनुभूति थी तो कांग्रेस के और व्यक्ति हार जाने चाहिये थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदया, ...

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : धौलपुर में आप जीतने वाले नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय जनसंघ के नेता महोदय, आप अब तक दो ही मुद्दे उठा पाये हैं। आप कृपया कण्ट्रोवर्सी के प्वाइण्ट कम से कम उठायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मै आभारी हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका साथी सांगानेर में धाराशायी हो गया है। धौलपुर में जीतने जा रहे हो।

श्री गुमानमल लोढा : यदि आप गाय की पूंछ लेकर नहीं चलते तो आपका क्या हाल होता ?

एक माननीय सदस्य : दीपक बुझा दिया।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : दीपक बुझ गया है। तारा बुझ गया है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदया, दीपक जले हैं हम जीते हैं। मैं अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में जो खून बहता है, उससे ये दिया जलाते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ये कम्युनिस्ट सन् 42 में देश भक्तों की पीठ में छुरा भोंकते थे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य, समाप्त कर लेने दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : शान्ति से काम लें। आवेश में न आवें।

एक माननीय सदस्य : दोष देते हैं, हमारी सरकार पर !

(अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सन् 42 में जेल काटी है हमने, तब आप कहां थे ? अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे.. ......

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : तलवे तो आप अंग्रेजों के चाट रहे थे। मैंने तो सन् 42 में विद्यार्थी होने के नाते महात्मा गांधी की जय के नारे लगाये हैं मैं गिरफ्तार हुआ था। तलवे आप ने चाटे होंगे। भारतीय जनसंघ तो सन् 52 में पैदा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, नेता महोदय ने हमारे नन्हें नन्हें बच्चों के चरित्र को बिगाड़ दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : आप एक एक बात का जवाब ले लीजिये। मैं जवाब दूंगा।

(शोरगुल-अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री गुमानमल लोढा : आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदया, मुझे इस बात का दुःख है ·····

(शोरगुल–अश्रव्य)

मुझे दुःख है, पवित्र सदन की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास श्री हाण्डा कर रहे हैं। लेकिन हिन्दू मुसलमान का सवाल उठाया गया है। मैं हिन्दू और मुसलमान को एक ही दृष्टि से देखता हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक आंख थी वह भी हमने फोड़ दी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनसंघ यह कभी बात नहीं सोचता है। मुसलमानों ने हमें समर्थन दिया है। वह हमें अपने साथ मुसलमानों के मुहल्लों में ले गये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई बपौती नहीं है। वह हमारे साथ गये हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनो हमारे लिये एक हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जोधपुर में आपने दुकानें लुटवादी हैं। गरीबों की हत्या करवा दी है। (शेम, शेम की ध्वनी) उन मुसलमानों को क्या पता था कि सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सदस्य को पता नहीं है····

(शोरगुल–अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : सारी जानकारी हांडा साहब को है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारी दुनियां हिटलर को जानती है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गद्दार पार्टी है। उसी पार्टी के आप हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तुम क्या हो। अमेरिका के गुलाम ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह देश को कुछ नहीं समझते हैं। देश की सम्पत्ति को कुछ नहीं समझते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिटलर को माफ कर सकते हैं तो आपको माफ कर सकते हैं। मैं जानता हूं, गोएबेल क्या करता था। यह देश के रक्षक हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य श्री लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदया मुझे इस बात का दुःख है, मुझे संकेत मिला था, जब हिन्दु मुसलमान का प्रश्न उठाया, इससे भावना भड़केगी। इसलिए मैं बहुत संयत शब्दों में कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट दल उसे माने या नहीं मानें, हो सकता है वह जेनुइन कारणों से न मानें, हो सकता है राजनतिक कारणों से न मानें, लेकिन मैं उन्हे विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां तक जोधपुर का प्रश्न है, जोधपुर शांत है और शान्त रहेगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उसके लिए हिन्दू मुसलमान, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों के सिर फूटे, दोनों की दुकानें जली और लूटी गई। लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जो मुसलमान मोहल्ले में गया, वहां जाकर खड़ा हुआ। मैं अपने साथ में अतिरिक्त जिलाधीश को लेकर गया, अपने साथ में एस.पी. को लेकर गया और उनको कहा, आप दुकानें खोलिये, मैं यहां खड़ा हूं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अगर आपका पसीना बहेगा तो मेरा खून बहेगा और यदि आपके सिर पर हाथ किसी का गिरेगा तो पहले उसका हाथ गिरेगा। (व्यवधान) लेकिन यह दुर्भाग्य-पूर्ण है कि मुस्लिम वोटरों को यह कांग्रेसी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, उनको अपनी जागीर की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए यह सुनने को तैयार नहीं हैं। मै इतना ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिन्दु मुसलमान में कोई अन्तर नहीं करते हैं। अनबर देहलवी दिल्ली में खड़ा हुआ, तो हमने नहीं सोचा कि मुसलमान है। प्रेमनाथ डोगरा की जगह एक मुसलमान खड़ा हुआ तो हमने नहीं सोचा कि वह मुसलमान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ऐसी देश के दूसरे हिस्सों में घटनाएं नहीं हुई? दूसरे हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, कम्युनिस्ट सदस्यों के द्वारा मारपीट हुई है। कलकत्ते के अन्दर खून खराबी होती है, देश के दूसरे हिस्सों में, प्रान्तों में होती है। लेकिन इसको साम्प्रदायिक रंग दिया गया है। सभापति महोदया, मुझे क्षमा करें मुझे खेद होगा, मुझे दुख होगा अगर इस चिनगारी को लेकर आग लगाने का प्रयास किया गया। वैसे इस चिनगारी को लेकर आग लगाने का प्रयास किया गया तो आग लगाने वाले व्यक्ति के हाथ पहले जलेंगे। और इसके शायद इतने भयंकर परिणाम होंगे कि सम्भालना मुश्किल होगा। इसलिए इस चिनगारी को बुझाने का प्रयत्न करें। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की भावनायें भड़काने की कोशिश नहीं करें। यदि किसी ने गलती की है तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसको उसके लिए सजा दी जायगी जोधपुर के मामले को इस प्रकार उठाना, मुझे दुःख है, न युक्ति-संगत है न तर्कसंगत है और न न्याय-संगत है, और न इस सदन की गरिमा के अनुकूल है। इस सदन की गरिमा को रखें। सदन की महान् गरिमा होती है, उसको सोचें। राजनैतिक आपस के द्वेष हैं तो हम चौराहे पर उनको ठीक कर सकते हैं, हम गलियों में जाकर ठीक कर सकते हैं, हम स्टडी सर्किल्स के अन्दर साथ बैठ कर सोच सकते हैं। लेकिन शान्ति रखें। हिंसा पर उतर आयें तो हम यह नहीं चाहते हैं कि हिंसा हो, लेकिन हिंसा पर उतर आने वाले को उत्तर देने के लिए हम तत्पर रहेंगे ...

श्रीमती सभानेत्री : आपने काफी समय ले लिया है। दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिए यह सम्भव नहीं होगा कि दो मिनिट में समाप्त कर दूं।

श्रीमती सभानेत्री : आपने पैंतीस मिनिट चाहे थे, आपको पैंतालीस मिनिट दे दिये गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा, यह इन्ट्रप्शन के कारण समय लगा है। मैं शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा, वैसे उस समय के अध्यक्ष से बातचीत हो गई थी उसके अनुसार जितना कम समय हो सकता है वह लूंगा। अभी मैंने एक पाइन्ट कवर किया है ...

श्रीमती सभानेत्री : जल्दी समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइन्ट बोल दें, डिटेल में मत जायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब दूसरी बात लेकर चलना चाहता हूं ...

एक माननीय सदस्य : सुन लिये।

Page No.69

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुन ली तो आने का कष्ट क्यों किया, आप घर में जाकर बैठ जायं। आप दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आपमें सुनने की और सहन शक्ति नहीं है। आप विरोधी पक्ष को सुनिये राज्य आप करेंगे, शासन आप करेंगे, आप सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : विषय पर बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दूसरा प्रश्न है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहना चाहूंगा......

श्री प्रद्युम्नसिंह : बेरोजगारी का...

श्री गुमान सिंह : (श्री प्रद्युम्नसिंह को जाते हुए देख कर) बोलिये बोलिये। आप चल क्यों दिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके बलोने से तंग आ गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : Please go out Please walk out.

श्रीमती सभानेत्री : समय बरबाद न करें, मुद्दे की बात करें, और बोलने वाले भी हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था, बेरोजगारी के प्रश्न पर कह रहा था तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं सबसे पहले जयपुर स्टेशन पर आया तो कुली से रिक्शे पर सामान रखवाया। जब रेजगी के लिए कहा तो कुली और रिक्शा-चालक दोनों संघर्ष पर आ गये, दोनों के पास रेजगी नहीं थी। इस संघर्ष में आधे घण्टे का समय निकल गया लेकिन रेजगी नहीं मिल सकी। उस समय कुली से कहा, यह क्या जयपुर का हाल चाल है, रेजगी तक मिलत है या नहीं? तो कुली ने कहा, जो सरकार रेजगी की समस्या हल नहीं कर सकी, वह बेरोजगारी की समस्या क्या हल करेगी। यह कुली के शब्द हैं, जो उसने आत्मा के दर्द से कहे। तो हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या है। आपको पता है, राजस्थान के अन्दर इस समय 353 डाक्टर वह हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, जिनके मां बाप ने सोच कर सपने बनाये हैं और कहीं से पैसा लाकर अध्ययन कराया है। उनको आज नौकरी नहीं मिलती है। अब यह नम्बर, मार्च अप्रेल में परीक्षा होगी, उस के बाद 553 बन जायगा। यह डाक्टरों की समस्या है। यह सरकार बेरोजगारी की परिभाषा बनाने में असमर्थ है। यह कहती है, कई पूरे बेरोजगार है, कई अर्द्ध बेरोजगार हैं, कई सीजन्ड बेरोजगार है। इस चतुर्थ योजना के बाद में आंकड़े आये। उसके बाद में आंकडे आने बन्द हो गये। लेकिन मुझे जो समाचार मिले हैं और जो मैं संकलित कर पाया हूं, उसके अनुसार राजस्थान में अठारह लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। मैं बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं, कोई समय था जब युवक पढ़ने के पश्चात् क्लर्क बन कर जीवन यापन कर सते थे। उस समय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा:

"यदि आधुनिक शिक्षा किसी
विधि प्राप्त भी हम कर सकें।
तो लाभ क्या बस क्लर्क बन
कर पेट अपना भर सकें,
सुनते रहेंगे सर झुकाकर
अफसरों की गालियां,
तो दे सकेगी रात को
दो रोटियां घरवालियां।"

Page No.70

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैं कवि नहीं हूं लेकिन विद्यार्थी था तब तुकबन्दी करता था। तो आज की स्थिति का दिग्दर्शन, यदि मैथिली शरण गुप्त होते तो इस प्रकार करते :

"आजाद भारत में यदि,
शिक्षा प्राप्त भी हम कर सकें।
तो लाभ क्या बेकार होकर,
आत्म हत्या कर सकें॥
फिरते रहेंगे नौकरी को,
दफ्तरों के काज में।
तो मिल सकेगी ठोकरें,
इस कांग्रेसी राज में॥"

यह हालत है। लोग बेकार घूमते हैं, डाक्टर बेकार घूमते हैं, मरीज मरते हैं। मरीजों के लिए डाक्टर नहीं, डाक्टरों के लिए मरीज नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में अभिभाषण में राज्यपाल महोदय कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति बेरोजगारी की है उस को दूर नहीं किया गया तो आज जो अहिंसक तरीके से कार्य चल रहा है उसमें किसी क्षण भी मोड़ दूसरा आ सकता है।

इसके साथ ही अन्य प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, वह प्रश्न है भ्रष्टाचार का। इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। पूरे भाषण को पढ़ने के पश्चात् लगा, भ्रष्टाचार राजस्थान से समाप्त हो गया है...

3.09 म. प.

(श्री फूलचन्द जैन सभापति, पदासीन)

हो सकता है, मैंने सोचा, यह शब्द क्यों नहीं आया, राज्यपाल महोदय ने भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया। इस पर चिन्तन किया, मनन किया तो याद आया, मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा छः महीने पहले की थी, वह यह थी कि छः महीने में भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा या मैं समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि दोनों बैठे हुए हैं, सह अस्तित्व, को—एग्जिस्टेन्स, भ्रष्टाचार भी चलता है और मुख्य मंत्री भी चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार और कांग्रेस प्रशासन, दोनों पर्यायवाची बन गये हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसके उपरान्त भी राज्यपाल महोदय ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा-यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को लोकपाल की व्यवस्था करना चाहिए, लोक आयुक्त की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर नहीं तो सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी काहे के लिए बनी ? गरीबों का पैसा उस पर खर्च क्यों किया ? सरकार ने पब्लिक एक्स चेकर का पैसा खर्च क्यों किया ? उसने सिफारिश की थी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। जो मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले ले सके। राजस्थान सरकार क्यों इससे कतराती है ? इसका मुख्य मंत्री जवाब नहीं दे सकते, इसी कारण वह उपस्थित भी नहीं है। मैं जानना चाहूंगा, लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की गई उसको रद्दी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की टोकरी में क्यों डाला गया ? क्यों लोकपाल की नियुक्ति नहीं की ? मैं मांग करूंगा, लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र की जाय ।

इसके अलावा राजस्थान में गरीबी को मिटाने की बात कही गई, राजस्थान के बारे में बताया कि इतनी प्रगति हुई है । यह प्रगति कैसी हुई है ? मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी बेरोजगारी को मिटाने की, गरीबी को मिटाने की । श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा था, तेल शोधक कारखाना लगेगा, वह सवाई माधोपुर में लगेगा । राजनैतिक कारणों से वह योजना खिसकती गई । कहा कि धौलपुर में लगेगा । वह राजस्थान की सीमा पार कर गया । मैं पूछना चाहता हूं, इस बात का उत्तर दें राजस्थान की गरीब जनता, बेरोजगार जनता, जिसको राजस्थान में तेल शोधक कारखाना लगने से हजारों की तादाद में रोजगार मिलता, वह राजस्थान में क्यों नहीं लगाया ? क्या कारण था ? क्या यह हमारे शासन की अकर्मण्यता नहीं है, दूरदर्शिता की कमी नहीं है, क्या ढीलापन नहीं है, क्या संघर्ष का मादा कम नहीं है ? तेल शोध कारखाना राजस्थान में न लगे, दूसरे स्थान पर लगवाने की प्रक्रिया हो, इसके लिए राजस्थान सरकार दोषी है।

इसी प्रकार से राजस्थान में जो रोजगार मिलता है, उसकी स्थिति यह है कि यदि रेलवे विभाग की भर्ती होती है वह राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर होती है आगरा मे फरीदाबाद में । फर्टीलाइजर कारपोरेशन का बिहार में होता है । सन्स आफ दी सोइल, इस धर्ती के लाड्ले, यहां रहने वाले, उनको रोजगार नहीं मिलता । आप कानून में परिवर्तन लायें कि जितने सन्स आफ दी सोइल हैं, राजस्थान के लाड़ले, जो राजस्थान में पैदा हुए उनको यहां पर रोजगार दिया जाएगा, चाहें रेलवे विभाग हो, चाहे केन्द्र का हो, फर्टीलाइजर कारपोरेशन हो सिंदरी फर्टीलाइजर्स हो, उसका रिक्रूटमेंट राजस्थान की धर्ती पर हो । आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस०, आइ० आर० एस० में जहां काफी समय से दूसरे प्रांतों के लोगों को अधिक व्हेटेज मिला है, वहां राजस्थान के लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए, कोटा फिक्स होना चाहिए और राजस्थान की धर्ती पर पैदा हुए लोगों को प्रतिमा दिखाने का अवसर मिलने में उनको उचित अवसर दिया जाए । जहां राजस्थान का प्रश्न है, कांग्रेसी साथी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बेरोजगारी मिटे, गरीबी मिटे इसके लिए आप और हम साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को तो कम से कम ले सकते हैं । यदि अन्य स्थानों पर साथ नहीं आ सकते तो कम से कम बेरोजगारी को भगाने के लिए और राजस्थान की सुनहरी व्यवस्था में तो एक जुट होकर इस प्रश्न को सफल बनायें ।

घोषणायें की गई हैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, सुनहरी नक्शा खींचा गया है। लेकिन राजस्थान कहां है ? उदाहरण के लिए बिजली में राजस्थान की योजना में 32241 गांव हैं, उनमें से अब तक जो बिजली लगाई गई है वह केवल 3067 गांवों में । 11 प्रतिशत होता है टार्जेटस का । यदि तुलना करें तो उत्तरप्रदेश में 18 प्रतिशत, 20 हजार गांवों में, तामिलनाडु में 76 प्रतिशत 11 हजार

(श्रीगुमानमल लोढ़ा)

गांव, पंजाब में 52 प्रतिशत, हरियाणा में 6659 गांव थे, सब के सब आज बिजली के दीपक से सुंदर हो रहे हैं....

(शासन पक्ष के कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

माफ करें। दीपक आपके मन्दिर में भी लगता है, आपके क्रियाक्रम में भी लगता है। जब दीपक शब्द का प्रयोग करता हूं तो जनसंघ समझ न घबरावें। इसी प्रकार से यदि मैं आपको नलकूपों के आंकड़े बताऊं तो राजस्थान में लगने वाले थे 3,50,000, केवल 35 हजार लगे हैं, तुलना में आंध्रप्रदेश में 1:86 लाख, बिहार में 65 हजार, गुजरात में 70 हजार, हरियाणा में 86 हजार, मध्य प्रदेश में 58 हजार, महाराष्ट्र में 2:11 लाख, मैसोर में 1:31 लाख, पंजाब में 90 हजार, तामिलनाडू में 5:30 लाख, उत्तर प्रदेश में 1:28 लाख नलकूप लगे हैं।

आपको जानकर दुःख होगा कि युद्ध के समय में और अकाल के समय भी पानी की स्थिति भयानक होती है। सभापति महोदया....

क्षमा करें, सभापति महोदय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप दादी को साड़ी समझते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे एक शेर याद आता है क्योंकि आपको हर चीज उल्टी नजर आती है :

हसरत में हर चीज उल्टी नजर आती है
लैला नजर आता है मजनू नजर आता है

मैं पानी की समस्या के बारे में कह रहा था। विकराल समस्या है। अकाल और युद्ध के समय। राजस्थान में पानी महंगा और खून सस्ता। जोधपुर नगर में सुनहरी कल्पना थी। भूल गये। जोधपुर रेल्वे स्टेशन के बाहर की सड़कों पर लोग रहते हैं और खून इसलिये बेचते हैं कि उन को धन्धा नहीं मिलता है और खून बेचने के बाद डाक्टर कहता है कि 6 महीने तक खून नहीं बेचना लेकिन अपने पेट को काट कर बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। चले जाते हैं अजमेर, पाली एक दो महीने में खून को फिर बेचते हैं। यह स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान में खून सस्ता मिलता है मानव का। इसके लिए क्या कहा जाए ? लेकिन पानी के दर्शन नहीं होते। गांवों में जाइये। एक एक बाल्टी के लिए कभी आपको 5 रुपये कभी 10) देने पड़ते हैं और 50 प्रतिशत ही नहीं 80 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं होता है। विज्ञान इतना प्रगति कर गया है, अंतरिक्ष में मानव जा चुका है, ऐसे समय में राजस्थान में पानी नहीं मिले। इजराइल जैसा देश जिसका निर्माण बाद में हुआ, अरब पिछड़ा हुआ है वहां रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया। श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने जोधपुर में भाषण दिया था कि बहनों और भाइयों, मैं राजस्थान नहर को ले कर आ रहा हूं और फिर नौका विहार करना। 15 साल पहले की बात है। कहा था कि दो साल में राजस्थान को नखिस्तान बनाया जाएगा। सभापति महोदया क्षमा कीजिए

श्री सभापति : ऐसा मालूम होता है कि आप थक गए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान नहर को केन्द्रीय परियोजना बनाया जाए।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के साथी, समाजवादी साथी, कम्युनिस्ट साथी, स्वतन्त्र पार्टी के साथी और निर्दलीय साथी सब मिल कर आवाज उठायें, राजस्थान में एक समस्या है जिसमें हम सफल हो सकते हैं और आवाज उठा सकते हैं, राजस्थान नहर को युद्धस्तर पर लाकर केन्द्रीय बजट से इसका कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। राजस्थान नहर को यदि पूरा नहीं किया गया, जिस धीमी गति से स्लो प्रोग्रेस हुई है उसके हिसाब से आपके और हमारे जीवन में तो वह पूरा होने वाला नहीं है और आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि जिस समय साइंटिफिक डेवलपमेन्ट चरम सीमा पर था तो राजस्थान इतना पीछे था कि राजस्थान नहर का निर्माण तक नहीं कर सके।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके साथ मैं दूसरी बात जो कहने वाला था वह हमारे छोटे व्यापारियों के बारे में थी। इस पर हमारे यहां अभी जो सैंट्रल डाइरेक्ट टैक्सेशन कमेटी बनी थी उसने कहा है कि सेल्स टैक्स का जो ढांचा है वह गलत है इसको रिप्लेस करके एक्साइज ड्यूटी में कम्पेन्सेट करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और उस रिपोर्ट के अनुसार बिक्री कर को समाप्त कर सब-स्टीट्यूट एक्साइज ड्यूटी बनाया जए।

एक बात पोंग बांध के विस्थापितों के बारे में कही गई है। पोंग बांध के विस्थापित हिमाचल प्रदेश और पंजाब से आए उस समय नवीं मीटिंग थी राजस्थान कैनाल की, 1965 में हुई थी ......

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : हम लोगों को भी बोलना है।

श्री सभापति : समय मिलेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पोंग बांध के विस्थापितों के बारे में विशेषरूप से चर्चा की गई है। विस्थापितों को बसाया अवश्य है लेकिन उनके साथ जो ट्रीटी हुई थी, अंडरस्टेंडिंग थी, जो तय हुआ था, आज राज्य सरकार उनसे दुगुनी रेट पर कीमत वसूल करना चाहती है। उसको समाप्त करना चाहिए और जो समझौता हुआ था हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बीच में उसको स्वीकार करना चाहिए। अब आपका ध्यान में जोधपुर नगर की ओर...

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : संक्षेप में करें। जितना ही समय आप लेंगे उतना ही आपकी पार्टी का समय कम हो जाएगा।

श्री गुमानमल लोढा : मेरी बातें सत्य हैं इसलिए कड़वी लगती है।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : ट्रीटी तो दूसरे देश से होती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ट्रैक्टर फैक्टरी के लिए कहा गया। घोषणा तो इस बातकी की गयी है कि ट्रैक्टरी फ़ैक्टरी राजस्थान सर-कार जोधपुर में खोली जावेगी परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अब यह हुआ है कि हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्ला खां ने उसे वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाने की घोषणा कर दी है। हम से तो यह धर्म निरपेक्षता

(श्री गुमानमल लोढा)

का पाठ पढ़ाते हैं और खुद जो जोधपुर से चुनाव न लड़कर वहां की जनता से डर कर तिजारा भाग गये। आज उन्होंने अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के लिये इन्होंने जोधपुर की तीन लाख की जनसंख्या के लोगों को चुनौती दी। मैं यह नहीं कहता कि वह तिजारा ही क्यों गये मैं तो यह कहता हूं कि तिजारा के अलावा चाहे तो अलवर जायें, हनुमानगढ़ जाये और चाहे जहां कहीं भी जायें हमें इसकी आपत्ति नहीं हैं। लेकिन जो लोग जनता में अपने आपको धर्म निरपेक्षता का ढिंढोरा पीटते हैं वो खुद ही जाकर तिजारा से जाकर चुनाव लड़े। जो जनसंघ को धार्मिक पार्टी कह कर जनता में कोसते हैं, वो जाकर अलवर के तिजारा से चुनाव जीत कर आये, जहां कि मेवों की संख्या ज्यादा है जो कि मुसलमान हैं। सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अगर मर्द होते तो जोधपुर से ही चुनाव लड़ते। इस तरह अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी नहीं बदलते। ऐसा करना.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : धर्म के नाम पर तो आप जनसंघ वाले वोट लेते हैं। और आपके दल के नेता पहले वाले हमेशा कोन्स्टीट्यूएन्सी बदलते थे उन्होंने भी बदली है.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम तो धर्म के नाम पर कोन्स्टीट्यूएन्सी नहीं बदलते हैं और न ही धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं.......

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : मुख्य मन्त्री सिर्फ जोधपुर के ही थोड़े ही हैं, उन्हें तो सारा राजस्थान को सम्भालना पड़ता है। वो तो सारे राजस्थान के ही हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप सही बात को-उल्टी क्यों लेते हैं, आपको क्यों तकलीफ हुई।

श्री भंवरसिंह : अजी मुख्य मन्त्रीजी ने तो कान्स्टीट्यूएन्सी ही बदली है लेकिन आपके जनसंघ वाले तो दल के नेता ही बदलते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नेता तो आपके यहां भी बदलते रहे हैं लेकिन आपको सही बात से दुःख क्यों होता है कि ....

श्री भंवरसिंह : सभापति महोदय, यहां पर मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी भाषण अभी तक श्री गुमानमल लोढ़ा ने दिया है, उसमें कुछ आरोप ऐसे लगाये हैं जो कि एक जज के खिलाफ में लगाये और उनमें मामला अभी तक सब जुडिश हैं इसलिये सदन की कार्यवाही से इस भाषण को निकाल देना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि—

श्री सभापति : आपके भाषण में जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा गया है उस इन्क्वायरी के बारे में जब इन्क्वायरी चल रही है तो यह कहना उचित नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, यह बात इनकी बिलकुल गलत है क्योंकि कांग्रेस सरकार तो एक हाईकोर्ट जज की हुई इन्क्वायरी को पूरी तरह से लागू नहीं करें और उसे भी बदल दें, तो क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो इन्क्वायरी होगी उसे स्वीकार करें ही। हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह तो वह हो गया कि "हम आह भी करते

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तो हो जाते बदनाम और वह कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती।" यह कहां का न्याय है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, कुछ थोड़ा सा समय और दे दें। मैं अभी समाप्त कर दूंगा। अब मेन मेन पोइन्ट्स अर्ज कर देना चाहता हूं। जोधपुर की मुख्य मुख्य समस्याओं के बारे में। पहली बात तो यह है, सभापति महोदय, जोधपुर में हमेशा से पानी की समस्या रही है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय....

श्री सभापति : समय बहुत कम है और भी लोग हिस्सा लेना चाहते हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं क्षमा चाहता हूं मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जोधपुर में पेय जल की बहुत बड़ी समस्या है उसे जल्दी ही हल किया जाना चाहिए। दूसरे मेडिकल कॉलेज जोधपुर से बहुत दूर है वहां पर लोगों को आने जाने की तकलीफ रहती है डाक्टर लोगों को वहां से हास्पिटल आने में ज्यादा समय लगता है और अगर एक मरीज वहां आ जाए तो इन्वेस्टीगेशन के लिए, उस मरीज को एग्जामिन करने के लिए, डाक्टर भी वहां पर एवेलेबल नहीं होते। मान लीजिये अगर कोई मरीज सुबह चार बजे अस्पताल में आये। और सुबह दस बजे से पहले मेडीकल कालेज से डाक्टर नहीं आते तब तक उसे कोई सम्भालने वाला नहीं और यह तो आप जानते ही है कि यमराज किसी का इन्तजार नहीं करता और अगर वह मर जाये तो इसके लिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जनता को राहत मिल सके उसके लिये मेडीकल कालेज व हास्पीटल की एक जगह व्यवस्था कराई जाये। इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह है न्याय के बारे में। आज जोधपुर में हाईकोर्ट व अन्य कोर्ट हैं वहां पर लोगों के बैठने उठने की जगह नहीं है। जनता वहां खड़ी रहती है। धूप में, बरसात में, बड़ी परेशानी रहती है इसके लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर शेड बनाये जायें ताकि जनता वहां बैठ उठ सके। आप दूसरी जगह जहां भी जैसे स्टेशन पर आपको फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड क्लास के पैसेन्जर्स के लिए वैटिंग रूम और मुसाफिरखाने देखेंगे परन्तु यहां तो स्थिति यह है कि जनता के लिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं। यह तो तुरन्त किया जाना चाहिये। अगर रोडवेज के बस स्टैण्ड पर आपको टिन शेड मिल सकते हैं जनता के बैठने उठने के लिए तो यहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरे आज जो न्याय मिलता है वह सस्ता न्याय नहीं मिलता। समय ज्यादा लग जाता है। इसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए।

अब मैं कुछ किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, राज्यपाल के भाषण में चूंकि आवन्टन के बारे में काफी कहा गया है। पर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अब तक भूमि का पूर्ण आवन्टन भूमिहीनों में नहीं किया गया है आज भी 80 लाख बीघा भूमि पड़ी है जो कि आवन्टित

•(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं की हुई है और कइयों को जिन्हें भूमि मिली है उनके कई के केसेज भी चल रहे हैं। इसमें किसानों को पूरा फायदा नहीं मिलता...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम कह रहे हैं कि जोधपुर से हाईकोर्ट की बैंच जयपुर आनी चाहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कैसे हों...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में होनी चाहिये...

एक माननीय सदस्य : जयपुर में होकर रहेगी हाईकोर्ट की बैंच।

(एक साथ कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य शान्त रहें। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार किसानों को भूमि आवन्टन की बात करती है उन्हें धोखा देती है। चुनावों में नारा देकर, किसानों को इन्द्रा गांधी आई है नयी रोशनी लाई है, तथा कांग्रेस सीलिंग लगाकर सबको जमीन देगी, धर्म के नाम पर वोट मांगते हो, कभी हरिजनों से, कभी अनुसूचित जन जाति से उन्हें आप धोखा देकर वोट लेते हैं। काम उनके लिये कुछ करते नहीं। भूमि आवन्टन के लिये हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। अकेले चूरू जिले के 15 हजार होंगे। हरिजनों और किसानों की आज 20 साल के अपने शासन में आपने हमारे भारतवर्ष के किसानों की कोई हालत नहीं सुधारी हमारे किसानों की आज भी वही पहचान है।

"ऊंची धोती अधखुले पांव,
कंधे पर गज भर का टुकड़ा।
सर पर पगड़ी कर में लकड़ी,
तन का कपड़ा चिथड़ा चिथड़ा॥

जो जग को अन्न प्रदान करे,
जग उसको ही ठुकराता है।
उसकी हड्डी को नोंच नोंच,
जग वैभव बनाता है॥

जग की झूंठन के थाल भरे,
बेकार भले ही यों जाते।
रोटी के खातिर रिमरिम कर,
उसके बच्चे मर जाते॥"

तो सभापति महोदय, आज भी हमारे किसान की यही हालत है। जो सरकार किसानों की भलाई की दुहाई देती है और किसानों को उसी हालत में जो पहले थी उसी में रखती है। तो सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है वह सरासर गलत है और मुझे खेद है कि मैं उन्हें जो धन्यवाद देने का प्रस्ताव इस सदन में आया है उसके समर्थन करने में मैं अपने आपको असमर्थ पाता हूं। मुझे इस बात की जरूर प्रसंशा है कुछ कांग्रेस के सदस्य ही ऐसे हैं आप में से जिन्होंने पहले या बीच में कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की है चाहे वह किसानों के बारे में हो, चाहे जातिवाद के बारे में, चाहे और किसी के बारे में बाद में भले ही वो उसका समर्थन करने लगे हैं और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कह दिया हो कि मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, अगर वो ऐसा नहीं करे तो उनका पत्ता कट सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि धन्यवाद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जावे। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य: पत्ता तो आपके जनसंघी सदस्यों का कट गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मुझे भी समय दिया जाय कुछ पूछना चाहता हूं इनसे मेरे बारे में इन्होंने कहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री: सभापति महोदय, बार बार बीच में इन्टरप्शन होने से और जब एक दूसरे की बात का सवाल का जबाब भाषण के बीच में ही बोलने से, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। यह बीच में व्यवधान पैदा करना उचित बात नहीं है।

श्री सभापति: सदन में जो कुछ भी कहा जाय, किसी के बारे में अगर कोई कुछ व्यक्तिगत बात कहता है तो उसे अपना स्पष्टीकरण देने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप भी बोल लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा: सभापति महोदय, ये परम्पराओं के विरुद्ध है।

श्री सभापति: जब व्यक्तिविशेष के बारे में कुछ भी कहा जाय, अभी या कुछ भी समय पहले, तो सदन के माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण देने का हक है। यह परम्पराओं के विरुद्ध नहीं है। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह: सभापति महोदय, और माननीय सदस्यों ने, आज इस सदन में और बाहर भी राजोरिया हत्याकाण्ड के संबंध में बराबर कुछ न कुछ मेरे बारे में कहा गया है। मेरा इस बारे में जो निवेदन है वह इस बारे में नहीं की पुलिस ने जो ऐक्शन लिया है उसका मैं समर्थन करता हूं या समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन चूंकि मुझे इस मामले में बराबर इन्वौल्व किया जा रहा है, किया गया है, चाहे इस सदन में हो, चाहे सदन के बाहर, इसलिये मेरे लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कम से कम जो भ्रम इसमें मेरे इन्वोल्व होने का फैलाया जा रहा है, उनके दिमाग में से उस भ्रम को दूर कर सकूं। तारीख 27–2 की रात को यह दुर्घटना घटी रेलवे क्रासिंग पर। पुलिस की गोली राजोरियाजी के लगी। पुलिस ने एडमिट किया। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जुडीसियल एन्क्वायरी का आर्डर हुआ। मुआवजा देने की बात की भी घोषणा की गई मुख्य मन्त्रीजी द्वारा।

मैं आपका ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रात्रि को 3 बजे के करीब गोली लगी। धौलपुर के अस्पताल में अच्छे उपचार की व्यवस्था नहीं थी इसलिये उनको ग्वालियर के अस्पताल में ले जाया गया और वहां दो तीन घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई।

सभापति महोदय, इसके बाद उनकी लाश को लेकर ग्वालियर के बाजारों में जुलूस निकाला गया। कांग्रेस को बुरा भला कहा गया। कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाये गये। यह तो विदित ही है कि वहां पर भी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

ग्राम चुनाव हो रहे थे। वहां भी राजमाता कम्युनिस्ट पार्टी के एक उम्मीदवार श्री रामचन्द्र सर्वेंट के मुकाबले में थी और वहां भी इस तरह जनसंघ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। पर वह सीट भी जनसंघ हार गया।

दो तीन घन्टे तक वह जुलूस निकाला गया। वहां से मुरैना गये और मुरैना के बाजारों में भी उस लास का जुलूस निकाला गया। वहां भी कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी की गई। 'कांग्रेस का नाश हो' के नारे लगाये गये। जो कुछ कांग्रेस के विरुद्ध वह कह सकते थे वह कहा गया।

इसके बाद लाश को लेकर पांच बजे करीब धौलपुर में वे लोग आये। वहां भी जुलूस निकाला। नारे लगाये गये। मैं वहां कप्तान के नाम से जाना जाता हूं तो 'कप्तान का नाश हो' यह नारे भी लगाये गये। नत्थीसिंह एक ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके नाम से भी नारे लगाये गये कि नत्थीसिंह का नाश हो। इसके अलावा धौलपुर में कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया। न जाने किन कारणों से यह मुझे पता नहीं।

जहां तक मेरी जानकारी है घर वालों ने कहा कि रात होती जा रही है रात से पहले दाहसंस्कार होना चाहिये। पर जनसंघ के लोगों ने नहीं करने दिया यह भी। परिवार वालों ने वहा पर उनकी भी नहीं मानी।

•

एक माननीय सदस्य : भारतीय संस्कृति के ये ठेकेदार।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जुलूस बनाकर अध्यक्ष महोदय, ये राजाखेड़ा पहुंचे। राजाखेड़ा के रास्ते में जो सड़क के किनारे किनारे गांव पड़ते थे उनमें भी घुमाया। आठ बजे करीब राजाखेड़ा वे लोग पहुंचे। राजाखेड़ा एक अच्छा कस्बा है, म्युनिसिपल टाउन है, बी० डी० ओ० का आफिस भी है। वहां भी लाश को लेकर ये बाजारों में घूमे। दूसरे दिन प्रातःकाल भी उस लाश को आसपास के हिस्सों में, जो सड़क के किनारे किनारे पड़ते थे, वहां घुमाया गया। वहां पर भी मेरे खिलाफ जितना जहर उगला जा सकता था, उगला गया। एक मरा है, और मरेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। इस किस्म के नारे भी लगाये गये।

टैरर का वातावरण बनाया गया। इसके बाद दस बजे करीब गांव में नहीं ले जाकर गांव से लगी हुई मेन रोड के पास बाद में लाश का दाह संस्कार किया गया। दूसरे दिन होली जलने वाली थी तब भी गांवों में ट्रक भर कर भेजे गये ट्रेक्टर और जीपों में भर कर आदमी भेजे गये ताकि अधिक से अधिक लोग वहां इकट्ठे हों और इसका जितना राजनैतिक लाभ उठाया जा सके, उठाया जाय। वहां पर भी मेरे खिलाफ जितना जहर उगला जा सकता था, उगला गया।

इसके अन्दर दो बातें खासतौर से कही गई कि यह राजनैतिक षड्यन्त्र था और इस चुनाव में जनसंघ की जीत होने वाली थी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। शासन ने माननीय सदस्य को अनुमति यह दी थी कि सी. बी. आई. से जांच कराने को वे राजी हैं या नहीं।

श्री सभापति : अनुमति तो इस बात की दी गई है कि व्यक्तिगततौर से उनके विरुद्ध जो बात कहीं गई, उनका वे आन ए पोइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर निराकरण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वे इस सी.बी. आई. से जांच कराने की मांग का विरोध कर रहे हैं या उससे सहमत हैं ?

श्री सभापति : यह अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण संक्षेप में पूरा करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं सभापति महोदय। हमारा उम्मीदवार जीतने वाला था इसलिये लोगों को टेरेराइज करने के लिये यह हत्या की गई यह कहना नितान्त भ्रम फैलाने वाली है, इसमें तथ्य कुछ नहीं है सभापति महोदय, यह मैं बताना चाहता हूं। जहां तक जनसंघ के वहां से जीतने का सवाल है, धौलपुर जिले में जनसंघ ने इससे पहले कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। जहां तक कांग्रेस के प्रभाव का सवाल है, वहां से पहले भी और अभी के संसद के चुनावों में भी जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस के टिकट पर भारी बहुमत से जीते। मेरा विधान सभा क्षेत्र उनके संसद के क्षेत्र में आता है। यहां से जगन्नाथजी को 23 हजार वोटों की लीड मिली थी जो कि अन्य स्थानों से सबसे अधिक थी।

दूसरी बात यह कि सन 57 में मेरे बाबाजी वहां से जीतकर आये, 62 में मेरे पिताजी आये। इसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो वहां की रिक्त सीट से दामोदरलालजी व्यास प्रचण्ड बहुमत से जीतकर आये। 67 के चुनावों में मैं खड़ा हुआ और 19½ हजार वोटों से जीतकर आया। जहां तक जनसंघ के प्रभाव का सवाल है उस क्षेत्र में न ग्राम पंचायतों में, न राजाखेड़ा की नगरपालिका में, उसके कोई सदस्य हैं और न प्रभाव ही है। इससे उनके इस कथन की कि वे जीतनेवाले थे सच्चाई जानी जा सकती है।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो भ्रान्ति ये फैला रहे हैं कि इनका उम्मीदवार जीतने वाला था इसलिये यह हत्या करवाई गई, इन्साफ करना पड़ेगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : वह साफ हो गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सी. बी. आई. की एन्क्वायरी से आपको गुरेज क्यों है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप कर लीजिये मेरी तरफ से तो। पुलिस की मिली भगत की बात कही गई। इसका जहां तक ताल्लुक है गृह मन्त्री महोदय भी मेरी बात को नोट कर लें कि पुलिस मेरे से मिली हुई थी या जनसंघ वालों से मिली हुई थी, यह मैं साबित करके बता दूंगा। आप नोट कर लें।

चुनाव के दौरान ग्राम सिंघपुर में कोली जाति का एक लड़का जनसंघ वालों के ट्रेक्टर के नीचे आकर कुचल कर मर गया। मैं यह मानता हूं कि यह महज एक एक्सीडेन्ट था। चाहता तो मैं भी उस लाश को लेकर राजनैतिक लाभ उठा सकता था। पर मैंने यह कोशिश नहीं की। मैं आज भी यह मान कर चलता हूं कि वह महज एक एक्सीडेण्ट था। उसको तुरन्त उपचार के लिये ग्वालियर लेकर गये। यह अच्छी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बात श्री, मुझे इससे ऐतराज नहीं। पर अफसोस की बात है कि वह लड़का वहां मर गया। पर खेद मुझे इस बात का है, कि उस लाश को उन्होंने वहीं जला दिया घर वालों को लाकर नहीं दी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, अगर इन्होंने इलजाम लगाना शुरू किया तो इसका उत्तर भी हम देंगे फिर। हमने उन पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगाये। हमने सिर्फ इतना कहा कि आया वे सी. बी. आई. से जांच कराने को तैयार हैं या नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : आप कर लीजिये जांच।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जानता हूं कि कांग्रेस बहुमत में है उसका लाभ वे उठा सकते हैं, पर आसन से मेरा निवेदन है कि आपके लिये तो हम दोनों एक हैं। आसन बहुमत से प्रभावित न हो। वे केवल इस बात का स्पष्टीकरण करें कि आया वे सी. बी. आई. से जांच करावे को तैयार हैं या नहीं ?

श्री सभापति : आप विश्वास रक्खें कि आसन की ओर से प्रभावित होने का प्रश्न नहीं आवेगा। माननीय सदस्य, संक्षेप में अपना वक्तव्य देकर आसन ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कह दिया आप खुद एन्क्वायरी कर लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मेरा कहना है उसको ग्वालियर क्यों नहीं ले गये। डॉक्टर ने कहा यहां इलाज नहीं हो सकता है आखिर एक इन्सान की जिन्दगी बचाने के लिये

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री सभापति : मैं सोचता हूं.....

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमें भी स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री सभापति : इस बात को बार बार न दोहराया जाय। चेयर की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आयेगी। जब कभी मौका मिले तो आप भी स्पष्ट कर दें।

(कई मा० सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

कृपया आप अपने स्पष्टीकरण को जल्दी पूरा करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाने वाला है, जैसा कि प्रातः श्री व्यासजी ने कहा है....

श्री सभापति : मैं सोचता हूं

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य से मेरा यही निवेदन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे कहने का मौका न दें माननीय सदस्य को जो भ्रम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन आप गलत बात कहकर राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं।

श्री सभापति : जो कुछ बातें हैं, कहने दें बहस जारी रहे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सदस्य को मौका दिया जाता है तो वे गलत तथ्य प्रस्तुत करके सदन को गुमराह करते हैं तो इसके बाद हमें भी मौका दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : कोई सदस्य गुमराह नहीं होता, सब सदस्य समझदार हैं। प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय···

श्री मुन्शी लाल (बस्सी): हमारे माननीय सदस्य प्रद्युम्न सिंह जी ने जनसंघ के नेता के द्वारा जो बात कही है उससे जाहिर होता है कि ···

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, कोई ऐक्सीडेन्ट था मैं राजनैतिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं उठा रहा हूं। 304 (ए) के अन्दर ऐक्सीडेन्ट किसी ने किया। पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिये था····

श्री गुमानमल लोढ़ा : गवर्नमेंट किसकी है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पर जो आरोप लगाया है मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जानकारी कर लें जांच करवायें उसके बाद चुनाव के ठीक तीन दिन पहले सांभर के श्री जादव जाति के ऊपर गोली से फायर किया गया। उसका एक हाथ फट गया, पुलिस की मिली भगत इनसे थी या मुझ से थी यह मालूम कर लें

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं। मामला तो यह था कि श्री ओम प्रकाश राजोरिया की जो मृत्यु हुई है उसकी जांच सी. बी. आई. से करवाई जाय या नहीं। जबरदस्ती जनसंघ को बदनाम किया जा रहा है।

(शोर गुल)

श्री सभापति : मेरा ख्याल है एक मिनिट उनको बोल लेने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, उसके बाद चुनाव के दौरान जनसंघ वालों ने मेरे दफतर को लूटा और आग लगा दी

(शोर गुल)

You go and make an enquiry on the spot.

श्री भानुकुमार शास्त्री : सी. बी. आई. की एन्क्वायरी कराई जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इससे इन्टेशन है कि पुलिस मुझ से मिली हुई थी या इनसे मिली हुई थी।

श्री गुमान मल लोढ़ा : यदि कांग्रेस सरकार की पुलिस इतनी अकलबन्द होती तो ····

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के अन्दर इस प्रकार की घिनौनि हरकत करने से मुझे क्या फायदा मिलने वाला था। मैं तो वैसे ही हजारों वोट से जीतने वाला था बल्कि मेरी इमेज को खराब की गई। इन्होंने मरी हुई लाश को गली गली में घुमाया और उसके बाद दफनाया गया

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(पुनः शोरगुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जनसंघ का प्रभाव था या नहीं इसका कोई सम्बन्ध नहीं है आपने चुनाव जीता होगा, मैं समझता हूं .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं समझता हूं चेयर की ओर से जो व्यवस्था दी जा रही है उसका सम्मान करना माननीय सदस्य का कर्तव्य है। यह नहीं कि बहुमत के आधार पर

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय बात साफ नहीं हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि स्थिति के स्पष्टीकरण का मौका दिया जा चुका है। कल इस विषय पर जब मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तब फिर विचार सदन में रखे जा सकते हैं।

श्री माणिक चन्द सोगानी।

श्री माणिक चन्द सोगानी (अजमेर): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो सारगर्भित भाषण था और जो तथ्य रखे, हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने इस बात की सबको याद दिलाई कि यह भारतवर्ष संसार में एक वह देश है जहां हर पांच साल में चुनाव होते हैं और यहां की सरकारें बिना किसी हील-हुज्जत के चुनाव को कराती है, उससे हर मतदाता को मौका मिलता है कि वह कौनसी सरकार का गठन करना चाहता है। यह भारतवर्ष के लिये बहुत गौरव की बात है। विश्व के अन्दर हर प्राणी की निगाहें लगी रहती है कि भारतवर्ष अपने काम में पूर्णतया अपने वोटों के आधार पर कौनसी सरकार का गठन करना चाहता है। ऐसे मौके पर जो राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने चीजें रखी हैं और हमें याद दिलाया है कि सरकार वचनबद्ध है गरीबी हटाने के बारे में, इसी प्रसंगवश हमारे नेता इन्दिरा गान्धी ने दिल्ली में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरा कई व्यापारियों से काम पड़ता है। जो राशि जब तक बैंकों में जमा रहती थी उसका लाभ कुछ व्यापारी ही उठा सकते थे। आज वह धनराशि उनसे हटाकर उसके हर किसान को ऋण मिल रहा है, हर किसान को अपने खेत में कुआ पर लगाने के लिये बिजली का लाभ मिल रहा हैं। यह जितना काम हो रहा है सब गरीबी हटाने के लिये ही हो रहा है। आज कोई यह नहीं कह सकता है कि हथेली में सरसों उगा दी जाय। पांच साल में हमारी सरकार को काफी काम करके बताना है। आज इस सदन में जो गर्मागरमी हो रही है वह एक इलाज है। पांच साल में कन्धा से कन्धा लगाकर जो वोट हमें दिये गये हैं उनके वायदों को पूरा करने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं जानता हूं आज भी अधिकांश हमारे भारतवर्ष में इतने आदमी गरीब हैं और उन अधिकांश गरीबों ने ही कांग्रेस को यहां चुनकर भेजा है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक कांग्रेस ही जो उनका

(श्री माणिकचन्द सोगानी)

उद्धार कर सकती है। अभी यहां आरोप लगाये गये कि शराब बांटी गई। यह खुला चेलेन्ज यहां नहीं रखा जा सकता है। शराब बांटने का सवाल नहीं आता है। मतदाता को इस प्रकार से अपमानित करना बहुत बुरी बात है। अगर मतदाता सुने तो उनको कितना बुरा लगेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में किस प्रकार यहां सदन में कहा जाता है। जो चीज आप जानते नहीं हैं और उस पर बहस करते हैं। शराब पिलाने का ऐसा सवाल है कि पांच साल में कौन शराब पिलायेगा ? दस दिन में आप खरीद सकते हैं ? उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता और सम्मान बेचा नहीं है। कांग्रेस को इसलिये वोट देते हैं कि यह एक ऐसी संस्था है कि जिससे उनका उद्धार हो सकता है। दर असल जो कुछ कामयाबी हुई है, हमारे नेता ने जितने वचन दिये थे वह उनके सामने थे। मसला था बंगाल देश का। उन्होंने यह कहा था कि जितने शरणार्थी आये हैं उनको वापिस लौटायेंगे, उन्होंने वापिस लौटाया। मसला था रहनुमाई का। बंगला देश को मान्यता दिलायी जाय। उन्होंने हर चीज का समय पर भुगतान किया इससे लोगों को विश्वास हुआ कि जितना वह कहती, है वह भुगताती है। इस चीज ने जनता में जो इमेज बनी थी हिन्दुस्तान भर में जीत हुई। उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं रहा इसलिये यह विजय प्राप्त हुई। देश और विदेश इस बात को देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस की कितनी विजय हुई है और हमारा गौरव कितना बढ़ गया है। अमेरिका जो हमारे से कतराता था वह भी बाध्य होगया है कि वह हमारे से अच्छी तरह से बात कर सकें।

जितना भी आज भारतवर्ष के अन्दर औद्योगीकरण हुआ है, जितना भी कृषि का उत्पादन बढ़ा है, यह आप से छुपा नहीं है। आज से कुछ साल पहले पी. एल. 480 से हमको अनाज मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज हम इस दिशा में बढ़ गये हैं और हम स्वतंत्र रूप से अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसा समय आ सकता है जब हम हिन्दुस्तान से बाहर अनाज भेज सकेंगे। यह तमाम काम गवर्नमेंट करेगी, इसलिए उसकी सराहना करना हमारा फर्ज है। हम राजनैतिक वजह से अच्छी बातों पर परदा नहीं डाल सकते, यह अच्छी चीज नहीं होगी।

जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है, आपसे यह छुपा हुआ नहीं है, सभापति महोदय, कि सन् 1947 में जब हम बाजार में चाकू खरीदने जाते थे तो दुकानदार यह कहते थे कि यह जर्मन मेक है तो हम खरीदते थे। हिन्दुस्तान में चाकू भी नहीं बनता था। लेकिन आज 14 दिन की लड़ाई में हमारे सारे अस्त्र शस्त्र हिन्दुस्तान के बनाये हुये काम आये। हमारी मशीन गन्स, हमारी बन्दूकें, यहां तक कि हमारे विमान भी हिन्दुस्तान के बनाये हुए काम में आये और हमने वह काम किया कि संसार भी चकित रह गया। यह सब वही सरकार कर पाती है जो स्टेबिल होती है। जो स्टेबिलिटि देश के लोगों ने सरकार को दी है वह सराहनीय है। और आप अगर इन तमाम बातों पर परदा गिराना चाहते हैं, तो पब्लिक आज जागरूक है और वह भुलावे में आनेवाली नहीं है। ऐसे मौके पर जब कि लड़ाई हो रही थी, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भी लोंगे-वाला में जाकर वहां पर जवानों का हौसला बढ़ाया। हमारी लड़ाई दुश्मन की जमीन पर हुई। लड़ाई में यातायात को बरकरार रखना, वहां पर पानी भेजना आदि में हमारे

(श्री माणिक चन्द सोगानी)

जितने भी कार्यकर्त्ता और कर्मचारी हैं, उन्होंने जो काम किया, उनकी प्रशंसा करना हमारा फर्ज है।

आज राज्यपाल महोदय ने अजमेर का जिक्र किया है कि वहां पर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि अजमेर शहर अपना एक स्थान रखता है और उसकी मास्टर प्लान जल्दी ही तैयार करवाई जावे और जो कुछ वहां के लिये जरूरी है, वह करना चाहिये। आज वहां पर सब से ज्यादा पानी की जरूरत है। वहां पर तीन करोड़ रुपये की स्कीम बनाई गई है। अच्छा हो अगर राज महल से अजमेर को पानी दिलाया जाय ताकि पानी की कठिनाई वहां से हमेशा के लिये हल हो जाये।

अभी एक सवाल आया था जिसमें एक माननीय सदस्य ने यह रखा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेज के पावर्स को छीनना चाहती है इस सिलसिले में आपने भी ध्यान दिया होगा कि श्रीमान् गजेन्द्रगडकर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत साफतौर से कहा है कि दरअसल जो काम पार्लियामेंट करना चाहती हैं, वह कर सकती हैं, पार्लियामेंट के अधिकार बहुत अधिक हैं और वह सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी हस्तक्षेप कर सकती है यह हिन्दुस्तान के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा है जो आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। इसलिये यह कहना गलत है कि पार्लियामेंट के अधिकार कम हैं।

अभी जो लड़ाई हुई, इन्डो-पाक वार, उसमें, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, मौलिक सिद्धांत तय हो पाये हैं। लड़ाई जीतना, यह तो हमने अपनी कुशलता से जीत ली और जो विजय हमने प्राप्त की वह खुशी की बात है, लेकिन इस लड़ाई से कुछ मौलिक सिद्धान्त भी स्थापित हो गये। यह जो कहा जाता था कि हिन्दुस्तान के अन्दर अलग अलग धर्म हैं, हिन्दुओं और मुसलमानों के अलग अलग धर्म हैं और वे एक नहीं हो सकते, इसलिये पाकिस्तान बनना चाहिये, यह सब बंगला देश स्थापित होने से गलत सिद्ध हुआ है। बंगला देश ने साबित कर लिया कि यह लड़ाई मौलिक सिद्धान्तों की थी।

क्योंकि अब काफी समय होगया है, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री झाबरमल।

(अनुपस्थित)

श्री विद्यासागर।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्रव्यास।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कृपा पूर्वक यहां दिया है और उसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ आया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को समझने से पहले इस सदन के बदले हुए स्वरूप को समझना आवश्यक होगा। आज इन चुनावों के अन्दर जिस भारी बहुमत से कांग्रेस को राजस्थान की ओर अन्य प्रान्तों

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

की जनता ने जीताया और जिस तरह से प्रतिक्रियावादी ताकतों का सफाया किया उस पृष्ठभूमि में देखना होगा। राजस्थान की जनता की आकांक्षायें, राजस्थान की जनता की अपेक्षायें इस सरकार से क्या रही हैं और उस परिपेक्ष्य में यह अभिभाषण कहां तक उचित ठहरता है, यह देखने की बात है।

सभापति महोदय, जहां तक आज जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी का सवाल है, सदन में जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य कांग्रेस के मिनिस्टरों पर जिस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं और जिस तरह का रवैया चलाते रहे हैं, उसको राजस्थान की जनता ने रिजेक्ट किया। आज मैं देखता हूं कि समाजवाद का इन्दिराजी का जो कार्यक्रम है, उसने आज तारे को अस्त कर दिया है और अब उसके लिये कुछ कहना हमारी शक्ति का दुरुपयोग होगा, हम अपनी शक्ति को बटायेंगे। यदि तारा चमकेगा भी तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मध्यावधि चुनावों के अन्दर ही हिदुस्तान की जनता ने फैसला कर लिया। कुछ मुद्दे लेकर चुनाव लड़ा गया और यह तय हो गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर किस प्रकार का समाज बनता है किस रास्ते के ऊपर हिन्दुस्तान को ले जाना है। लेकिन आज विधान सभा के चुनावों में जो भारी बहुमत जनता ने हमको दिया है उससे हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर समाजवाद आ सकता है और गरीबी दूर हो सकती है और गरीब और अमीर के अन्दर फर्क खत्म हो सकता है, तो वह कांग्रेस ही कर सकती है। भैरोंसिंह जी अच्छे वक्ता थे, और भी कुछ दूसरे अच्छे वक्ता थे लेकिन उनको वोट नहीं मिले। व्यक्तिगत इस चुनाव के अन्दर गौण हो गया और कार्यक्रम के महत्व को समझ कर राजस्थान की जनता ने वोट दिये हैं। आज हमारी कांग्रेस के अन्दर सभापति महोदय, निस्सन्देह कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बैंक नेशनेलाइजेशन का विरोध किया और जो लेण्ड लार्ड्स को रिप्रेजेन्ट करते हैं और सीलिंग का भी जिन्होंने विरोध किया है लेकिन आज कार्यक्रम के आधार पर राजस्थान की जनता ने इस समस्या को हल कर लिया है और जो प्रधान मन्त्री की आवाज है और जो माननीय मुख्य मन्त्री जी का नेतृत्व हमें मिला है, उससे जल्दी ही समाजवाद लागू किया जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। समाजवाद का जितना बड़ा नारा है उससे कमजोर नारा सीलिंग का नहीं है। सीलिंग समाजवाद के नजदीक की ही चीज है। इस सदन में बार बार सीलिंग के बारे में हमने कहा है।

सभापति महोदय, आज दो दिन के अन्दर कांग्रेस के कई सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और इसके तथ्य को स्वीकार किया कि राजस्थान के अन्दर जो एग्रीकल्चर लेण्ड की सीलिंग हुई है वह बिल्कुल फेल हो गई और उसको लागू नहीं किया जा सका। सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सीलिंग का कानून बनाकर और हम कहना चाहें कि हम उस

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

लिमिट से गुजर चुके हैं, सीलिंग का कानून फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अब लागू नहीं हो सकता और प्रापर्टी का सीलिंग लागू करना है तो उस बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गम्भीरता से लागू करने की बात कही है और उसके तरीके भी बतायें हैं कि किस तरह से इसको लागू किया जायेगा। सभापति महोदय, इसके लिए हमें मौलिक मुद्दों पर जाना पड़ेगा। सीलिंग की एक लिमिट प्रेस्क्राइब करके लागू करें तो उससे लागू होने वाला नहीं है। असलियत में देखना यह है कि गांवों के अन्दर किसान मजदूरों की हालत क्या है जो कि जमीन के अन्दर खून और पसीना बहाता है और अनाज पैदा करता है। सभापति महोदय, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, बक्त बे वक्त पर कई आरोप लगाये जाते हैं और यह सर्वविदित बात है कि चाहें भूतपूर्व मन्त्री हों या वर्तमान मन्त्री हों या सदन के सम्माननीय सदस्य हों या राज्य के अधिकारी हों, व्यपारी हों, लोग आज शहरों से जाकर गांवों में जमीने खरीद रहे हैं और जमीन अपने कब्जे में कर रहे हैं। सभापति महोदय, उस जमीन को रखने का अधिकार किसे हो इसलिये हमारे लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर जो काश्तकार की परिभाषा है उसको बदलना पड़ेगा। हमें देखना है कि जमीन किसके पास रहे। अगर कोई एक दिन जमीन के ऊपर चला जाये और उसे देख कर आ जाये और वहां किसानों का एक्सप्लाइटेशन करे, याने पैदावार तो करता है काश्तकार और हासिल करता है दूसरा आदमी, तो इसको वाजिब नहीं कहा जा सकता और उस तरीके से जो लोग पुश्तैनी काश्तकार हैं, उनकी कोई भी जमीन मुहैय्या नहीं हो सकती और यह शोषण का सबसे बड़ा तरीका है। आज फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की तरफ तो हम ध्यान देना चाहते हैं लेकिन गांवों के मजदूरों की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते हैं जो कि जमीन के ऊपर खेती करता है और उसका हक दूसरे आदमी को हासिल होता है।

सभापति महोदय, रिजमपशन आफ जागीर हो गया और जागीरें हमने ले लीं और गांवों के अन्दर ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जो जमीन के मालिक हैं और शहर से जाकर जिन्होंने जमीन हासिल की है वे काश्तकारों को जमीने जोतने के लिए दे देते हैं। पैदावार करते हैं काश्तकार और फिर उसकी लटाई और बटाई होती है। जब तक यह खतम नहीं होगी तब तक ये जागीरदार कैसे खतम होंगे। आपको यह परिभाषा बदलनी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा कि जमीन उसकी होगी जो हल चलायेगा और जिसके पास खेती के अलावा दूसरा व्यवसाय नहीं होगा, चाहे वह कोई भी हो। सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर रहकर गांवों की खेती को सम्भालने वाली बात समाजवाद में चलने वाली नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो खेत के ऊपर रहेगा या खेत जिस किसी के पास रहेगा, जो गांव में रहेगा, उसी की जमीन होगी, जो खुद हल चलायेगा और ट्रेक्टर चलायेगा उसकी जमीन होगी।

सभापति महोदय, वहां रहकर इन्फ्लुलेन्स जाहिर करे और जयपुर के अन्दर मकान हो या कोटा के अन्दर हो या किसी दूसरे शहर में हो उसका आधार लेना होगा। सभापति महोदय, आज किसानों की लेण्ड के विषय में, जो मजदूर और खेतिहर जमीन

Page No.87

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

के ऊपर काम करते हैं, उनके विषय में कोई विशेष उल्लेख इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं मिला। सभापति महोदय यह नहर, सिंचाई, बिजली और दुनियाभर की सुविधायें, काश्तकार के नाम पर, किस की जमीन पर उपलब्ध करना चाहते है, यह देखना है। देखते है कि इन सुविधाओं का लाभ किस को मिलता है—उस मेहनत-कश मजदूर को या जो जमीन दाबकर बैठ गया है, उसको मिलता है।

सभापति महोदय, लगान को खतम करने की बात इसमें नहीं कही गयी है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो आदमी अनाज पैदा करता है और उसको बाजार में बेचता है उसके ऊपर लगान लगाते हैं यह किस हद तक वाजिब हो सकता है लेकिन जिसके पास दो तीन बीघा जमीन है जो खुद खाने के लिए पैदा करता है उसको भी लगान देना पड़ेगा। इस लगान की व्यवस्था को खतम करना पड़ेगा। ये पटवारी नाम की चीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, कितनी बड़ी गड़बड़ियां रेकार्ड के अन्दर करते हैं और कितना परेशान करते हैं, यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अकाल हो जाय, अतिवृष्टि हो जाये और खेती का नुकसान हो जाये तो उसको दिखाने के लिए काश्तकार को पटवारी के पीछे घूमना पड़ता है, तहसीलदार के पीछे घूमना पड़ता है, और रेवेन्यू विभाग के दूसरे अधिकारियों के पीछे घूमना पड़ता है, सभापति महोदय इस प्रकार का प्रस्ताव पहले आ चुका है कि इस लगान को खतम किया जाये और कार्माशियल टैक्स लागू किया जाये। जो अनाज को बाजार में बेचे उसी के ऊपर यह टैक्स लगना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि लेण्ड सीलिंग की जो हालत है उसके लिए मैंने निवेदन किया है कि गलती को सुधारा जा सकता है सभापति महोदय, प्रापर्टी सीलिंग की बात हम कर रहे हैं, आवाज इस सदन के अंदर उठाते हैं और सदन के बाहर भी उठाते हैं और प्रगतिशील लोग इसकी आवाज को उठाते हैं। सभापति महोदय, जिन लोगों के पास प्रापर्टी है वे बहुत बुद्धिमान लोग हैं लेकिन उनकी बुद्धिमता अपने सेल्फ एण्ड के लिए चलती है। वे ऐसे नहीं हैं कि आप इस बात को कहते रहें और फिर भी अपने पास ज्यादा प्रापर्टी रखें और इस लिए जब सीलिंग आयेगी तो मकानात नहीं मिलेंगे और सरकार के पास कोई प्रापर्टी सीलिंग के जरिये नहीं आने वाली है। सभापति महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि लेण्ड सीलिंग के हिसाब से कितनी जमीन सरकार के पास आई है और उस जमीन को कितने भूमिहीनों में बांटा गया है। उसके आंकड़े देखकर आप निश्चित मान्यता के ऊपर पहुंच सकते हैं कि अर्बन प्रापर्टी के ऊपर भी सीलिंग लगाई जाये तो कोई प्रापर्टी आने वाली नहीं है। मकानात बेचे जा रहे हैं। सही इच्छा से इसको लागू करना चाहते हैं तो हमें सारी बातों को ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा ....।

सभापति महोदय, मकान जिनके पास होते हैं उनके पास दिमाग हो सकता है लेकिन क्या कारण है कि आज रेंट कण्ट्रोल एण्ड इवीक्शन एक्ट के होते हुए यह क्या मजाक है कि वह किरायेदारों को बेदखल कर देते हैं, लैंडलैस कर देते हैं। आपको इसलिए सोच समझ कर कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। इस समय चाहे आपको तीन महीने लग जावें, लेकिन यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी टीनेंट

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

को बेदखल नहीं कर सकते। जिन किरायेदारों के पास अपना घर का मकान नहीं है, जो आज बीस बीस साल और पचास पचास साल से किराया दे रहे हैं, मकान मालिक उसकी मरम्मत नहीं कराते, मकान मालिकों का किरायेदार के साथ अच्छा वर्ताव नहीं है, तो हमें इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो, सभापति महोदय, आखिरकार कोई चीज है। आप कोई कानून बनाएं और उसको किताबों के अन्दर बनाए रखें, उसको लागू नहीं करें, तो क्या स्थिति होने वाली है। उसके अन्दर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं तो वे भी रिमूव होनी चाहिए। यह अभिभाषण, सभापति महोदय, यदि पिछली विधान सभा के सत्र में हुआ होता तो मैं कह सकता था कि यह क्रांतिकारी भाषण था। पर यह क्रांतिकारी भाषण बहुमत कांग्रेस को मिला है उसके बाद में कोई बहाना राजस्थान की जनता सुनना पसन्द नहीं करेगी। अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं तो हमको उसको हटाना पड़ेगा कोई कानूनी अड़चन है तो उससे भी हमको निपटना पड़ेगा। जनता ने आप में विश्वास प्रगट किया है प्रचण्ड बहुमत देकर, कांग्रेस के हाथ में अपने हितों को सौंप दिया है तो अब आप भी कुछ करके दिखाइए।

तो सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज राजाओं का मामला है। संविधान के अन्दर अमेंडमेंट हो गया लेकिन आज भी इस विधान सभा में आते वक्त त्रिपोलिया की जो एच. एच. जयपुर की जो प्रोपर्टी है उसके बाहर पहले भी सिपाही खड़ा हुआ करता था, बीच में ये सुविधाएं चली गई थी और तब पुलिस का सिपाही हटा लिया गया था लेकिन आज वही सुविधा फिर उपलब्ध हो गई है। इनकी तरफ भी परश्यू करना पड़ेगा। इसकी तरफ भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लेकिन सभापति महोदय, इसमें मौलिक प्रश्न अड़ा हुआ है। इसमें मौलिक प्रश्न अटका हुआ है। आपने उनकी मान्यता को डी-रिकोग्नाईज कर दिया है। सभापति महोदय, यह प्रोपर्टी उनकी अर्जित की हुई नहीं है। उन्होंने ये बड़ी बड़ी जमीने दबा रखी हैं। परसनल प्रोपर्टी में एच० एच० जयपुर का दो तिहाई हिस्सा प्राईवेट प्रोपर्टी में लिखा हुआ है। यह उन्होंने कोई व्यापार के द्वारा या नौकरी के द्वारा नहीं कमाई है, वह स्टेट प्रोपर्टी है जिसको उन्होंने प्राईवेट प्रोपर्टी में कन्वर्ट कर रखा है। तो जब सरकार ने उनको डी-रिकोग्नाईज कर दिया है तो एक एक पैसा टैक्स से वसूल होकर जो स्टेट की प्रोपर्टी में से प्राईवेट प्रोपर्टी बनाई है तो उसको उनसे लेना होगा। इसके लिए जरूरत हो तो कानून भी बनाना पड़ेगा। उनको सामान्य नागरिक के स्तर पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा, हम इस बात से बच कर नहीं चल सकते। सभापति महोदय, एक बात ·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन के माननीय सदस्य (श्री गिरधारीलाल भार्गव की ओर मुखापेक्ष) की क्या राय है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी राय दूंगा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सभापति महोदय, यह अहम प्रश्न अटका हुआ है।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

सभापति महोदय, गये बजट सेशन के अन्दर मजदूरों के पार्टीसिपेशन की बात तत्कालीन वित्त मन्त्री - महोदय ने कही थी और आज राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर इस का कोई उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार से मजदूरों की समस्याओं को लेकर और देरी से निपटने की राज्य सकार की नीति रही है उस रवैये को भी मौलिकरूप से बदलना होगा। और सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बात पर कि आज के माननीय वित्त मन्त्री महोदय जब अपना भाषण दें तो इस बात का खयाल रखें। सभापति महोदय, मैं इस बारे में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उनके भाषण में इस प्रकार की बात आएगी कि लेबर पार्टीसिपेशन, मैनेजमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, किस प्रकार से हो और सदन से कानून पास करवाकर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें किस प्रकार से उनको लिया जाएगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। लेबर का पार्टीसिपेशन इसमें नहीं होगा कि आखिरकार कब तक वे हड़तालें करते रहेंगे और कब तक राज्य सरकार से भिक्षा मांगते रहेंगे। उन के खून पसीनों से इन मशीनों का निर्माण होता है तो सभापति महोदय, कानूनी तौर पर मैनेजमेंट में लेबर का पार्टीसिपेशन होना चाहिए। उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव कराने का जिक्र इसमें किया गया है। तो सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि पंचायतों के चुनाव कराने चाहते हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि पंचायती राज की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं या नहीं। आप आज इस पंचायती राज को एक मुर्दा लाश की तरह से ढोना चाहते हैं या इसमें परिवर्तन करके पंचायतों को पावर देना चाहते हैं। इस सदन में पंचायतों के सम्बन्ध में डिबेट हुई थी, पंचायती राज पर रिपोर्ट भी आई थी और इस प्रकार का आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया था कि पंचायती राज के अन्दर आमूल चूल परिवर्तन किया जावेगा और पुनर्गठन करके इसमें प्राणों का संचार किया जावेगा। सभापति महोदय, पंचायती राज को अगर चलाना है तो मैं सभापति महोदय, व्यक्तिगतरूप से यह विचार रखता हूं कि पंचायती राज को जरूर चलाना चाहिए और इनको सशक्त बनाना चाहिए। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है यदि राज्य सरकार यह विचार रखती हो और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जावे कि पंचायती राज चल नहीं सकता, पंचायती राज असफल हो गया है, तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मन्त्री महोदय को खड़े होकर इसे स्पष्ट तो करना चाहिए। इस बात को भी तो राज्य सरकार स्पष्ट करे कि वह पंचायती राज को चलाना नहीं चाहती। टू टायर सिस्टम हो, थ्री टायर सिस्टम हो, उनको आप क्या पावर्स देंगे और किस प्रकार का इनका गठन करना चाहते हैं, यह तो कम से कम स्पष्ट हो। तो सभापति महोदय, यह मेरा नम्र निवेदन है कि इस पंचायती राज के बारे में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात के लिये मैं जरूर राज्य सरकार को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा और मुबारकबाद दिये बिना नहीं रह सकता कि विश्वविद्यालयों की कार्य-प्रणाली में सुधार की दृष्टि से विधेयक

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

लाने की बात राज्यपाल महोदय के भाषण में कही गई है। इस सदन के अन्दर पिछले दो तीन सेशन से लगातार युनिवर्सिटीज के अन्दर सुधार की बातें कही गई हैं। जो बिल, जो एक्ट, बना हुआ है वह वर्षों पहले का है, उसके अन्दर अमेंडमेंट करने की बात कई बार कही गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने इस बात को समझा है और इसमें अमेंडमेंट करना चाहती है। युनिवर्सिटीज की प्राब्लम्स हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाय, उनकी समस्याओं को हल करने के लिये इस भाषण में जिक्र किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं। युनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल जितना जल्दी से जल्दी ...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो चार मिनिट और लूंगा सभापति महोदय।

तो मेरा निवेदन है कि युनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल के लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व सिण्डीकेट और सीनेट में हो सके उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इतना ही नहीं उस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। इसके लिये हमें नया एक्ट बनाना पड़ेगा, एक्ट के प्रोविजन्स बदलने पड़ेंगे। यह सड़ा गला पुराना एक्ट हो गया है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में जहां तक जनसंघ पार्टी का सम्बन्ध है, उनकी लचर दलीलें हैं, यह उनका फ्रस्ट्रेशन है, यह उनकी झुंझलाहट है। वे कहते हैं कि सिपाहियों ने लड़ाई जीती है। बेशक लड़ाई सैनिकों ने, फौज ने और अफसरों ने जीती है, लेकिन मैं पूछता हूं कि यदि यही लड़ाई हम हार जाते तो ये ही कांग्रेस की टोपी उतार कर फेंक नहीं देते।........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 62 में लड़ाई हारी थी।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : लेकिन मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या सुविधाएं मुहैय्या कराना चाहते हैं सैनिकों के परिवारों को ? यह मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, अपना निजी अनुभव है और मैं इस सदन के प्रांगण पर निवेदन करना चाहता हूं कि जब लड़ाई होती है तो कैंटिनें भी चलती हैं, सुरक्षा कोष भी इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जमीनें भी अलॉट होती हैं लेकिन जमीनें अलॉट होने के बाद जो मुकदमेबाजी होती है, जो सैनिकों के मुकदमे तीन-तीन, चार-चार माह तक चलते हैं, उनके मुकदमों को कौन लड़ने वाला है ? मैं इस बारे में निदवेन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राज्य सरकार बहुत उदारतापूर्वक इस बारे में कदम उठाए। सैनिकों को छुट्टी मिलती नहीं है, वे आ नहीं सकते तो फिर उनके हितों को कौन देखने वाला है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मौके के बाद भी सरकार देखे कि किस प्रकार से सैनिकों के परिवारों को, सैनिकों की सुविधाओं को, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या करना चाहती है ? इसके लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, टोंक और बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य शुरू करने की

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

बात का जिक्र भाषण में किया गया है। सभापति महोदय, टोंक के विषय में तत्कालीन उद्योग मंत्रीजी ने इस सदन के प्रांगण में मेरे प्रश्न के उत्तर में इस बात का आश्वासन गत बजट सत्र में दिया था कि अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक गए सेशन के अन्दर भी इस बात को दोहराया था। उसके बाद मंत्री बदल गये, उनके विभाग बदल गये, सरकार बदल गई, लेकिन सरकार के वचन, सरकार का वायदा बड़ी चीज होता है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने एक वायदा किया इस सदन में, आश्वासन दिया इस सदन के प्रांगण में, लेकिन आज तक टोंक में कोई कारखाना नहीं है। इतने वर्ष हो गये, एक लेबर टैनेरी के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है। उसको क्या प्रगति हुई ? मुझे तो यह भी मालूम हुआ है कि सरकार ने कारखाना लगाने का विचार भी त्याग दिया है। फिर टोंक के अन्दर कौन सा औद्योगिक विकास करना चाहते हैं ? आज राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी और बेकारी टोंक शहर में है, यह बात इस सदन के सम्माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। I invite you to Tonk. I know Tonk very well, Sir, although it is not my constituency. सभापति महोदय, ग्रामीणों की बेरोजगारी का इस के अन्दर जिक्र किया गया है। सभापति महोदय, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक फेज्ड स्कीम चालू की गई है। यह अच्छी बात है और सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है लेकिन किस पैमाने पर गांव के अन्दर बेरोजगारी खड़ी हुई है उसका क्या अन्दाजा लगाया गया है ? आप एक हजार आदमियों को रोजगार दें उससे किस हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है, यह विचारणीय है। सभापति महोदय, जब हम एक परिवार के अन्दर, दो परिवार के अन्दर से एक आदमी को रोजगार दें, तो क्या रोजगार और उसको दैनिक वेतन क्या देते हैं इस बात को देखने की जरूरत है। आम आदमी के घर में बेरोजगारी है और उस एक आदमी के दैनिक वेतन के ऊपर घर चलता है। तो क्या वेतन का स्तर होना चाहिए इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अनुसूचित उद्योगों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 60 रुपयों से बढ़ाकर 85 रुपया कर दिया गया है। अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 85 व 100 रुपयों से बढ़कर 100 रुपये व 125 रुपये क्रमशः कर दिये गये हैं। यह जो परिवर्तन किया गया है यह भी बढ़िया है। यह निश्चितरूप से अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, पर सभापति महोदय, मैं माफी चाहूंगा कि यह एक रिएक्शनरी एप्रोच है। यह कहना कि हमने 15/20 रुपये बढ़ा दिये। परन्तु जब तक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को दूर नहीं कर सकते इससे कोई लाभ नहीं होगा। आज मजदूर अपने खून और पसीने की कीमत मांगते हैं। हम यह करके उन पर दया और मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। 60 से 85 और 85 से 100 कर दिया इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारी सरकार का नहीं होना चाहिए। हम को मजदूर की मांगों के हक में निर्णय लेना चाहिए और इन एम्प्लाईज के बारे में कोई कठिनाई आवे तो उसको दूर करने के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

सभापति महोदय, टैक्नीकल हैन्ड्स की बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक पूल बनाया गया है, इसका भी अभिभाषण में जिक्र किया गया है। सभापति महोदय, अलग अलग प्रकार के विचार अलग अलग माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं और वे रखते हैं। जहां तक टेक्नीकल हैन्ड्स की बेरोजगारी को दूर करने का सवाल है, यह खुशी की बात है परन्तु एजूकेटेड अनइम्प्लाइड की प्राब्लम इससे साल्व नहीं हो सकती है। जब तक एजूकेशन के सिस्टम को बदला नहीं जाता, कुछ नहीं हो सकता है। इसके बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं। शिक्षा के अन्दर मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। आज मैट्रिक के बाद बी० ए० पढ़ना चाहिये, युनिवर्सिटी होना चाहिए, इन्जीनियरिंग कालेज होना चाहिये, मेडिकल कालेज होना चाहिये। सभापति महोदय, यह कालेज और युनिवर्सिटीज बेरोजगारों को पैदा करने के कारखाने हैं। इनसे बेरोजगारों की समस्या हल नहीं हो सकती है। मैट्रिक के बाद कौन से व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है? तो इस प्रकार की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिये। शिक्षा के बारे में आमूलचूल परिवर्तन हो। ऐसी शिक्षा पद्धति हो कि पढे लिखे लोगों की मनोवृत्ति नौकरी के पीछे नहीं हो। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार के लिये सब से जरूरी चीज नॉन टेक्सेशन रेवेन्यू होनी चाहिये। टैक्स के ऊपर चलने वाली सरकार बिलकुल ही पूंजीवादी सरकार है और बिना टैक्स के आमदनी हो, नान टैक्स रेवेन्यू सरकार की बढ़े और टैक्स देने के काबिल समाज में कोई न रहे और न सरकार को टैक्स लेने की आवश्यकता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था कायम हो तो वही समाजवादी व्यवस्था होती है, और यह होनी चाहिये। तो यह नान टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ाने की क्या व्यवस्था है, इसका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नान टैक्स रेवेन्यू की इनकम बढ़ाने के लिये कारखाने सरकार खोले और जिन कारखानों के अन्दर सरकार की पूंजी लगी हुई है उनकी मेनेजमेन्ट प्रणाली सेठों के पास में है, गवर्नमेन्ट का कोई कन्ट्रोल उन पर नहीं है और वे कारखाने कागजों के अन्दर घाटा दिखाते हैं। उचित समय पर मैं इसके उदाहरण इस सदन के अन्दर पेश करूंगा। लेकिन इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज को अपने कन्ट्रोल में लेकर मजदूरों के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये और आमदनी बढ़ाना चाहिये।

तो सभापति महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमारे यहां पर पूंजीवादी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस राजस्थान के अन्दर समाजवादी कार्यक्रम को तेजी से लागू करने की गरीबी हटाने की, जिम्मेदारी माननीय नेता महोदय पर, राजस्थान की जनता ने डाली है तो इस कार्यक्रम को तेजी से लागू कराने की जिम्मेदारी हमारे कन्धों पर भी राजस्थान की जनता ने डाली है। सभापति महोदय, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण हैं उनसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह खुशी की बात है कि हमारे नेता महोदय बरकत साहब समाजवाद के रास्ते पर राजस्थान को ले जाना चाहते

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

है, तो जनता की भावनाओं के अनुसार समाजवादी कार्यक्रम को लागू कराने का हमारा फर्ज है। जोधपुर में कम्यूनल टेन्शन फैलाकर, टोंक में तोड़फोड़ कर, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जनता ने आपको रिजेक्ट किया है जनता यह चाहती है कि सदन की डिबेट का स्वरूप बदले। अब डिबेट का स्वरूप बदलने की जिम्मेदारी हमारी हो गई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट सभापति महोदय। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह समाजवाद की कसौटी नहीं है। यह लोक-तन्त्र की कसौटी है। यह सोचने का प्रश्न है, आने वाले चुनावों के पहले कांग्रेस ने, राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने समाजवादी कार्यक्रम को सफलता से लागू नहीं किया तो क्या परिणाम होगा? जनता ने कांग्रेस को, आपको अथाह शक्ति दी है। यह अथाह शक्ति इस बात के लिये दी है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्दर समाजवादी व्यवस्था आप लागू कर सकते हैं तो करें। यह आपकी परीक्षा है। नहीं करेंगे तो जनता आप सब को वोट देने वाली नहीं है। लोकतन्त्र की सफलता भी इसी में है। कांग्रेस, बरकत साहब और इन्दिरा जी तेजी से इसको लागू करें।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, इस उम्मीद के साथ कि वित्त मंत्री महोदय अपने बजट भाषण में कोई क्रान्तिकारी कदम का संकेत देंगे, इस आशा के साथ राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक जो भाषण दिया है, इस सदन के अन्दर अभिभाषण से दिया है उनके धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद विवाद के सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहती हूं। इस अभिभाषण में हाल ही में भारत पाक संघर्ष का जिक्र करते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि जिन जवानों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जिन वीरों ने वीरगति प्राप्त की है, उनके लिये, उनके परिवारों के लिये, राज्य सरकार, भारत सरकार, सुविधायें दे रही है। यह सराहनीय है और इसलिये सराहनीय है सभापति महोदय, कि जिन वीरों ने हंसते हुए अपने देश की आजादी की रक्षा, सुरक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है उनके लिये हम जो भी करें वह कम से कम है। इसकी सराहना करते हुए राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में संकेत दिया है। स्थिति कुछ ऐसी है कि जनता ने इस बार पूरे विश्वास के साथ प्रजातान्त्रिक प्रणाली के साथ एक मूक क्रान्ति के साथ जिस तरह से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया है, जिस संख्या में विधायकों को जिताकर भेजा है इसलिए जो जिम्मेदारी विरोधी दल की थी, वह कुछ सीमा तक हमारे ऊपर भी आ गई है। आज विरोधी दल सीमित मात्रा में है। केवल किसी बात का दोषारोपण सरकार पर किया जाये, उसको काटा जाये अथवा सरकार के ऊपर दोष लगाया जाये तो यह एक सीमा तक सही हो सकता है। एक

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

सीमा तक ही हमें काम करना है। राज्य सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, जो काम हुए हैं उनकी तारीफ के साथ उनकी ताईद के साथ, जहां पर गलती हुई है, तो उस काम में तब्दीली हो, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के विधायकों पर है। इसके लिये भी स्पष्टरूप से हमें कहना है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संकेत दिया है भूमि आवंटन की तरफ। इसमें सन्देह नहीं है कि भूमिहीनों को भूमि आवटित हुई है। भूमिहीन किसान को भूमि उपलब्ध करायी गई है। लेकिन इसमें कई खामियां हैं और उसका संकेत भी राज्य सरकार के सामने आया है और वह यह है कि जो भूमि आवटित की गई उस पर पूर्णरूपेण किसानों को कब्जा नहीं मिला है अथवा जो भूमि आवंटित की गई है वह काबिले काश्त नहीं है कृषि के उपयोग की नहीं है और जिस पर किसान खेती नहीं कर सकता है। समापति महोदय, मेरे से पूर्व तक वक्ता ने, एक माननीय सदस्या ने, इस बात का जिक्र किया था कि भूमि आवंटित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि दो चार बीघा जमीन आवंटित जिसको की जाये वह पर्याप्त उत्पादन नहीं करा सकता है। जहां तक मुझे ख्याल है, कम से कम 15 बीघा भूमि आवंटित की जाती है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जिसको आप जमीन देते हैं और जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसको जमीन मिले और वह भी ऐसी जमीन मिले जो कि उपयोगी नहीं है तो ऐसी जमीन देने से क्या लाभ। मैं सभापति महोदय, आप के द्वारा सम्बन्धित मन्त्री और मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि भूमिहीनों को जमीन दो। जिनका कोई और धन्धा नहीं है, उनको अवश्य, निश्चितरूप से, जमीन दी जाये जिससे कि वह कुछ उत्पादन कर सकें।

समापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने, अपने अभिभाषण में राजस्थान केनाल और व्यास परियोजना का जिक्र किया है। मैंने उसको पढ़ा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान केनाल का काम अच्छी प्रगति से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ चम्बल परियोजना का जिक्र किया होता तो और अच्छा होता। समापति महोदय, चम्बल परियोजना का जिक्र आने के साथ साथ कोटा पर प्रकाश पड़ता है। वहां कई दिक्कतें आती हैं, उन पर भी प्रकाश पड़ता। चम्बल परियोजना में 5 बांध हैं। गांधी सागर, अणु शक्ति जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा डेम। इनमें से 4 बांध विद्युत का उत्पादन करते हैं जिसका प्रसार राजस्थान से बाहर भी जा रहा है। इस विद्युत के पास मे बहुत सी बस्तियां बसी हुई हैं। सभापति महोदय, कोटा के पास में बड़े बड़े गांव हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मण्डियां हैं। लेकिन उनमें बिजली नहीं है। बिजली के अभाव में वहां कोई विकास नहीं हो पा रहा है। अगर बिजली पहुंच गई होती तो उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता। वहां के आवागमन पर प्रभाव पड़ता। चम्बल जो विद्युत उत्पादन करती है, उसका प्रकाश हमें भी दो। वहां के किसान जब बड़े बड़े शहरों को देखते हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वे किसान कितना श्रम करते हैं। वे किसी प्रकार का सत्याग्रह नहीं करते हैं। क्या वह विद्युत

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

में रहना पसन्द नहीं करते हैं, या जो ये साधन हैं, उनको पसन्द नहीं करते हैं? आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को ये सभी साधन उपलब्ध कराये जायें। मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा जिला निश्चितरूप से पिछले 10 सालों में पिछड़ गया है। हमारा यह पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि हम सारे राजस्थान को विकास की दृष्टि से समान रूप से देखें। जनता ने आज विशेषरूप से हमारा विश्वास किया, हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने नारा दिया है कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। तो उनको बड़ी खुशी हुई है। अगर हमारी सरकार कुछ करना चाहती है तो निश्चितरूप से बता देने के लिए उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को दिया है। सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान केनाल, 'सारी' (अल्प विराम) चम्बल, इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका समाधान इस राजस्थान सरकार को करना है। सभापति महोदय, वहां के रास्ते इतने बिगड़ गये हैं कि किसान लोग बैलगाड़ियों में अनाज भर कर जब मण्डियों में लाते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है। बैलगाड़ियों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि गड्ढों में से निकल नहीं पाती हैं। बैलों के जूड़े फांसी के फंदों का काम करते हैं, बैलों को ऊपर उठा लेते हैं; उस समय किसान की क्या हालत होती है विचारने जैसी है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगी कि सदन के समय के बाद, जब इस सदन की समाप्ति हो, कोटा जिले में जाकर इस स्थिति को देखा जाये। वहां रोशनी, इर्रीगेशन और लिपट इर्रीगेशन के बारे में देखा जाये। कई प्रकार की दिक्कतें हैं। दुर्भाग्य से पिछले 10 वर्षों से जनसंघ के व्यक्ति उन क्षेत्रों से आकर बैठे हैं। मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहती हूं। पिछले 10 वर्षों में चुनाव के बाद उन्होंने क्षेत्रों में जाकर नहीं देखा है। जब मैं चुनावों के समय उन क्षेत्रों में गई तो मेरे सामने यह मुश्किल थी कि क्या कह कर हम वोट मांगे कि हम को वोट दो? क्या दिया है हमने उनको? यह आवश्यक था इसलिये मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह कह कर, सरकार हमारी नहीं है, उनको जवाब दे दिया जाता। लेकिन मैं आपको, सभापति महोदय, विश्वास के साथ निश्चितरूप से बता देना चाहती हूं कि हमें बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार प्रधान मंत्री इन्दिराजी के नारे, समाजवाद के नारे पर विश्वास के साथ जनता ने मत देकर इसलिए भेजा है कि जहां आवश्यकता हो, नियमों में तरमीम करें, यदि बाधा हो कायदे कानून की तो उनको बदलें, उनके साथ साथ साधनों का पूरा ध्यान रखें, उनको उस दयनीय अवस्था से निकाल कर आगे ले जायें—यह सुविधा करनी चाहिये। हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं इर्रिगेशन की बात कहूंगी। जहां एक तरफ केनाल निकाल रहे हैं, उससे अधिक उत्पादन हुआ है, किसान समृद्ध हुआ है। इसके साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर कुछ जमीन इस लेबल पर आ गई है जहां लिपट इर्रिगेशन के बगैर इर्रिगेशन नहीं हो सकता है। एक मील के फासले पर, एक किसान का खेत अधिक उत्पादन करता है दूसरे किसान का खेत है, वह किसान देखता है, थोड़ी लिपट इर्रिगेशन की सुविधा मिल गई होती तो मेरे यहां भी उत्पादन

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

अधिक होता । मैं निवेदन करना चाहती हूं सभापति महोदय, इसका पूरा ध्यान रखा जाय । यह साधन, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं तो गांव का किसान तो कांग्रेस का है, वह दूसरी तरफ जा नहीं सकता ।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने का, एक क्रेस योजना लागू करने की बात कही गई है। बात सराहनीय है, यह समझ में आती है और गले उतरती है । प्रश्न इस बात का है, जो उन्होंने बताया है, एक जिले में एक हजार व्यक्तियों को यह लाभ होगा । प्रथम तो यह बहुत ही अपर्याप्त है । उसके बावजूद मैं इसलिए निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय, कि क्रेस योजना लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिले में विशेष एक जगह पर ही इस योजना को लागू नहीं किया जाय, बल्कि गांव गांव, गली गली, छोटी छोटी झोंपड़ी में इस योजना को पहुंचाया जाय क्योंकि बहुत से किसान बिना जमीन के हैं, बेरोजगार हैं, बेकार हैं, वहां यदि ऐसे काम चलें तो शायद मजदूरी कर अपना पेट पाल सकें अन्यथा उनके पास कोई काम नहीं । इस तरह से बेकारी को दूर करने वाली योजना राज्य सरकार लागू करना चाहती है ताकि बेकारी दूर हो जाय तो अधिक से अधिक को समाजवाद की स्थापना करने के लिए सोचना पड़ेगा कि वह बातों से नहीं आ सकता है । वैसे सरकार इस ओर कदम भी उठा रही है । कुछ दिन पूर्व एक सभा में मुख्य मंत्री ने एक बात कही थी, जिससे मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने उसकी प्रशंसा की, उससे मुझे साहस मिला, और हिम्मत आई । सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा था, मैं समाजवाद की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना चाहता हूं । मेरे पैर कुछ मित्रों के पैरों पर पड़ेंगे । तो आपके द्वारा सभापति महोदय, मुख्य मंत्री को मैं तो कम से कम अपनी तरफ से हमारे दल की तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूं, कांग्रेस के सदस्य निश्चित रूप से तमन्ना से और तहेदिल से समर्थन करके चलेंगे, अगर मुख्य मंत्री अपने कदम तेजी से समाजवाद की ओर बढ़ाते हैं, तो अवश्य तेजी से चलें आपके पैर मित्रों के पावों पर नहीं पड़ेंगे आपको अपने मित्रों के पदचिन्ह मिलेंगे हम बढ़े हुए होंगे । हम समाजवाद की ओर तेजी से चलना चाहते हैं, मुझे इस संदर्भ में एक बात याद आ जाती है, बहुत पुरानी बात है, भारत की आजादी के पूर्व, उदयपुर महाराणा जब जोधपुर अपने जीवन में पहली दफा आये तो जोधपुर नरेश उम्मेदसिंह जी ने उनके स्वागत में, सम्मान में आम दरबार किया । उसमें पुलिस कर्मचारी, बड़े बड़े राव उमराव और बड़े बड़े जागीरदार सब बैठे हुए थे। उनके नियम और तौर तरीके थे, वहां प्याले मनुहार चला । उस समय मनुहार जोधपुर नरेश उम्मेदसिंह जी ने महाराणा की की, तो उन्होंने कहा, मनुहार तो मैं लेता हूं, लेकिन उस समय अंग्रेजों के कारण संकट आया हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा कि संकट आया और आवश्यकता हुई तो आप क्या मदद करेंगे । उस समय जोधपुर नरेश उम्मेदसिंह जी ने कहा— अधिक तो कुछ कह नहीं सकता इस वक्त इतना बतला सकता हूं, जिस समय मेवाड़ के योद्धा आपके रण प्रांगण में आयेंगे उससे पूर्व जोधपुर के रण योद्धाओं के मुंड आपको वहां बिखरे हुए मिलेंगे । मुझे इस संदर्भ में यह बात इसलिए याद आई कि यह है सहयोग कर्तव्य भावना यदि मुख्य मंत्री जी

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

तेजी से चलना चाहते हैं, यदि राजस्थान का मंत्री मण्डल तेजी से बढ़ना चाहता है तो विश्वास रखिये, उनके कार्यकर्ताओं को हौंसला इस बात के अलावा और किसी से अधिक नहीं बढ़ने वाला है कि राजस्थान की जनता की हम सेवा कर सकेंगे, जितनी प्रसन्नता हमें होगी वह औरों को नहीं हो सकती। राजस्थान में समाजवाद लाना चाहते हैं, सुख सुविधा सबको देना चाहते हैं, तो राजस्थान की जनता रोटी-कपड़ा, रहने के लिए मकान और पीने के लिए पानी चाहती हैं—इससे ज्यादा क्या चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं बहुत जल्दी संक्षेप में समाप्त करती हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सड़कों के बारे में और पेय जल के बारे में नहीं के बाराबर जिक्र किया है। मैं नहीं जानती कि राजस्थान के और भी इलाकों की हालत खराब हैं, लेकिन कोटा जिले की जिन सड़कों से निकलते हैं, घूमते हैं, जाते हैं—उनके बारे में बता सकती हूं कि उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़के इतनी खराब हैं कि छः महीने, चार महीने तक भी टायर नहीं चल सकता हैं, गाड़ियां, मोटरें, बैलगाडियां नहीं चल सकती हैं। पैदल चलने वालों को महसूस होता है कि इस प्रगति और विकास के जमाने में भी इस प्रकार की सड़कों पर चलते हैं। तो इस सम्बन्ध में लम्बी चौडी विशेष बात न कह कर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मन्त्री महोदय को संकेत करना चाहती हूं, वह कृपा करके, महरबानी करके जिस ढंग से सड़के पड़ी हुई है, उनकी मरम्मत नहीं हुई हैं, उस ओर कोटा के अन्दर वह ध्यान दें और सड़कों का विकास करें।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां बेरोजगारी की बात आई हैं वहां पर मेडिकल के विद्यार्थियों के बारे में कोई बात नहीं आई हैं। आज डाक्टर बेकार बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आगे के सत्र में निकलने वाले डाक्टरों की क्या हालत होगी यह समझ में नहीं आता है। चिन्ता इस बात की होती हैं, जहां समाजवाद की बात कह रहे है, कहीं ऐसा नहीं हो कि समाजवाद की बात होठ तक ही रह जाय उससे पहले बेकारी और बेरोजगारी का भूत प्रजातन्त्र के कण्ठ को पकड़ ले। सभापति महोदय, कालेजेज खुलते हैं खुले। शिक्षा के प्रांगण खुलते हैं, खुले। आवश्यकता इस बात की हैं उसके पहले चहुंमुखी दृष्टि से भूत भविष्य की इस बात पर ध्यान रखा जाय कि इतने निकलने वाले स्टूडेन्ट कहां खप पायेंगे ? क्या इनको आगे जाकर यह कहा जायगा कि ढाई सौ रुपये माहवार दे दिये जायेंगे स्टाइपेंड के बतौर या किसी और काम के लिए। इससे बात बनती नहीं हैं। इंजीनियरों के लिए यह किया हैं, लेकिन राजस्थान में आज भी कई इंजीनियर बेकार बैठे हुए है। राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई स्कीम लागू करती है प्लान लागू करती है तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि उस का क्या उपयोग हो रहा हैं, और हो भी रहा हैं या नहीं। सभापति महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। यह लोगों की सीविअर प्राबलम हैं। जो विशेष चिन्ता का विषय हैं। इसकी ओर ध्यान दें और इसको किसी तरह हल करें।

सभापति महोदय, समय कम हो रहा हैं, आपकी घण्टियां मेरा ध्यान आकर्षित कर

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नशाबन्दी का कहीं जिक्र नहीं किया हैं। जो नशाबन्दी लागू करने की बात है, वह आज की बात तो क्या हैं, जिस समय देश आजाद होने वाला था, हो चुका था उससे पूर्व महात्मा गांधी ने अपने स्वप्न में यह बात सोची थी, जब देश आजाद होगा तो सबसे पहले नशाबन्दी लागू होगी। वह क्यों ? वह इसलिए कि एक आदमी आपनी आय से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हैं। परिवार के लिए सुख सुविधा उपलब्ध करा सकता है उस आय को वह शराब में बरबाद कर देता हैं और उसका घर भस्म हो जाता है। हो सकता है, हम कहे, वह पीता क्यों हैं, मैं कहना चाहती हूं, ऐसा जहर आम जगह पर बेचा क्यों जाता हैं ? यह नशाबन्दी लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर पूर्ण और निश्चित रूप से हैं। मैं सभापति महोदय, इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि जो बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, बेकारी दूर करना चाहते हैं उसके लिए योजनायें लागू करना चाहते हैं, उन योजनाओं के द्वारा जो लोग कमाये, उसका दुरुपयोग नहीं हो, बरबाद नहीं हो, उन्हें बरबादी की ओर न ले जाये, इसलिये नशाबन्दी की ओर ध्यान दिया जाय। इस के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करती हूं।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसलिए एक घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाय तो उचित रहेगा।

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्य यह उचित समझते हैं कि सदन का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय ?

कई माननीय सदस्य : बढ़ा दिया जाय बढ़ा दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : बढ़ा दिया जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बढ़ा दिया जाय

श्री मनोहर लाल : तारीख बढ़ा दी जाय।

श्री सभापति : सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मनोहरलाल

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय और माननीय सदस्यगण, मुझे यहां इस सदन में आकर बड़ी हैरानी हुई और खुद अफसोस में हुआ कि मैं क्या भूल कर बैठा। यहां देखा कि यहां तो माननीय स्पीकर महोदय साइलेन्सर का काम करते हैं, नपी तुली बात बोलो, अपने मन की मत कहो, 10 मिनट में कहो, 5 मिनट में कहो। मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग भत्ता लेने के लिए नहीं आए, हम लोग तनख्वाह लेने के लिए नहीं आए, हम लोग अपने मन की, जन मन की, अपनी जनता की, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, उनकी बात कहने आए हैं। हमें समय चाहिए, हम समय बढ़ाना चाहते है। यह भत्ते का सवाल नहीं, नेतागिरी

(श्री मनोहर लाल)

का सवाल नहीं, लेकिन अपना मन बना लें। समय बढ़ाना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट से काम नहीं चल सकता। अगर 10–15 मिनट से काम चल जाता है तो इतना तो हम लिखकर ही भेज देंगे। मैं इस बात को ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन में, इंगलैंड में भी जनतंत्र है, वहां हर सदस्य जितना चाहे उनको बोलने का अवसर दिया जाता है ··

श्री सभापति : आप यह समय अपनी बात कहने में लगायें तो उपयुक्त होगा।

श्री मनोहरलाल : हम परम्पराओं, नियमों और सारी बातों को तोड़ना भी जानते हैं और उनका सम्मान भी करना जानते हैं। जो मर्यादायें, परंपरायें दूषित हैं उनको तोड़ेंगे और जो अच्छी है उनका पालन करेंगे।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर) देखिए, मैं निवेदन करता हूं, आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं। आसन से अर्ज कर रहा हूं जो परम्परायें शुद्ध होंगी इस सदन की, उनका सम्मान करेंगे, जो परम्परायें जनता के हित के खिलाफ होंगी उनको तोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे की बात शुरू करता हूं।

एक बात जो आपसे अर्ज करना चाहता हूं वह मेरे क्षेत्र की है। मैंने कोशिश की थी कि मैं पहले और कुछ कहूं लेकिन उचित समझता हूं कि उससे पहले मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जिन लोगों ने मुझे यहां भेजा है। कामां तहसील के बारे में कहना चाहता हूं। एक गांव वहां है मुलका। उसमें सरकार ने बांध बनाया था वह तोड़ दिया अभी तक मालूम नहीं कि क्यों बनाया गया, क्यों तोड़ा गया। अगर गलत तरीके से बनाया गया तो क्यों तोड़ा गया उसका हरजाना किससे लिया जाए ?

एक जगह बांध बनाने की योजना थी, उसके बजाय दूसरी जगह बनाया गया। आधा तो टूट चुका है, आधा और टूट जाएगा। बेतुका बांध बनाया गया। 200 कुए हैं पानी के लिए जो पानी नीचे है, पहाड़ का पानी आता है, वहां बांध नहीं बनाया, बिजली नहीं लगाई और कई मील जाकर पहाड़ी में बिजली लगाई गई। बिलों एक अच्छा गाँव है सड़क के नजदीक है वहाँ बिजली नहीं लगाई गई इसी तरह से कामां गांव में जहां बहुत लोग रहते हैं, सड़क भी है, नाली भी है, हरिजन रहते हैं, गरीब रहते हैं, काश्तकार रहते हैं, वे 5 महीने कीचड़ में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वहां की नालियां पक्की नहीं हैं। वाटर वर्क्स का काम है नल तो लगा देते हैं लेकिन एक तरफ तो शुद्ध पानी देकर स्वास्थ्य बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ गन्दे पानी होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

मेरा और निवेदन है कि राज्य सरकार ब्लेक करती है, तस्कर करती है। हरियाणा से उनको 15 पैसे यूनिट बिजली मिलती है लेकिन राज्य सरकार ब्लेक करती है, उस बिजली को, जो बिजली हरियाणा से आती है, भाखरा नांगल से आती है, पहाड़ी में आती है, उसको 15 पैसे में लेकर 40 पैसे यूनिट ब्लेक में

(श्री मनोहरलाल)

बेचते हैं। सरकार खुद ब्लेक करती है तो जनता क्या करेगी ? इसका आपके सामने उदाहरण है।

दस साल पहले सतवास गांव में स्कूल की मंजूरी हुई लेकिन उस स्कूल को आज तक नहीं खोला गया।

हमारे यहां एक बड़ा कस्बा है, रास्ते में बड़े बड़े गांव हैं लेकिन बरसात के 4 महीनों में डकैती पड़ जाए, लोग मर जाते है लेकिन दवाई नहीं पहुंच सकती, पुलिस नहीं पहुंच सकती, रास्ता नहीं है। 3–3 4-4 मील के टुकड़े हैं लेकिन सड़क नहीं बनाई जाती। लोग बीमार पड़ते हैं। डकैतियां बरदाश्त करते हैं, चोरियां झेलते हैं।

कामां में शोरा पैदा होता है लेकिन मथुरा के सेठ रमनलाल, मैं उनको गाली नहीं देना चाहता, मैं सरकार की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में कामां तहसील ही ऐसी है जहां तहसील स्तर पर हिन्दुस्तान में सबसे अधिक शोरा पैदा होता है लेकिन उसको एक मथुरा का व्यापारी चोरी से निकाल ले जाता है। माइनिंग विभाग देखता रह जाता है। 10 लाख रुपए सालाना मुनाफे में शोरे से वह कमाता है। मैंने हिसाब लगाया, कागजात देखे। 80 ट्रकें हर साल शोरे की ले जाते हैं लेकिन सरकार को दो ट्रकें बताते हैं। 800) या 1000) रुपया सरकार को रायल्टी के रूप में दिए जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है, मैं चाहता हूं कि कामां के अन्दर शोरे का कारखाना खुले और वह शोरा यहीं पर पक्का हो। मथुरा के करोड़पति सेठ रमनलाल, जिसका आलीशान भवन है, अरबपति हो चुके हैं। कामां के शोरे को 25 साल से निकालते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं, 3-4 सौ मजदूर काम करते हैं, जबरदस्ती शोरा निकलवाते हैं, उनको पिटवाते हैं, जेल भिजवाते हैं। कामां में शोरे का कारखाना लगने से मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा जहां तक समाजवाद का सवाल है, बहुत अच्छी बात हैं। मेरे पूज्य सम्मानीय अग्रवाल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा भवन किसका है ? हम सीलिंग की बात करते हैं। हम बिड़ला भवन पर कब्जा करते हैं। बिड़ला भवन के सामने भूखहड़ताल युवा तुर्कों ने की, समाजवादियों ने की लेकिन यह विधान सभा भवन किसका है, जिसमें हम 184 सदस्य बैठते हैं। हम जो इस मंदिर में आए हैं, यह किसका है ? महाराजा का मंदिर है जनता की मिल्कयत नहीं है, यह गरीबों की मिल्कयत नहीं है। यह हमारी खोपड़ी पर सर पर, भवन है। फिर समाजवाद की बात कैसे हो जाएगी ? नकली समाजवादियों से मुझे कुछ नहीं कहना 144 माननीय सदस्य जो कांग्रेस का चोला पहनकर, नकली समाजवाद का जामा पहन कर, 20 लाख रुपए इस महल पर लगा चुके हैं, फिर भी किराया देते है महाराजा साहब को। मुझे हैरानी होती है इस महल के अन्दर, जो जनता का महल होना चाहिए था, 20 लाख रुपये लगा दिए। उसके बावजूद यह महल महाराजा का है। समाजवाद का नारा लगाने वाले, समाजवाद की बातें करने वाले बिड़ला मंदिर की तरह सार्वजनिक महत्व के इस स्थान पर कब्जा करें। अगर इस पर कब्जा नहीं करते तो……

श्री प्रद्युम्नसिंह : कितना किराया दे रहें हैं।

श्री मनोहर लाल : एक रुपया देते हैं। 20 लाख रुपए खर्च किया है। अगर इस पर कब्जा नहीं करते तो बिड़ला मंदिर ...

एक माननीय सदस्य : कब्जा है।

श्री मनोहर लाल : हम किराएदार हैं अब मैं इस भवन के बाहर की बात करता हूं। इस के बाहर पेड़ों के नीचे जो जमीन पर सोते देखते हैं या तो वे पागल हैं, फिर तो उन्हें पागलखाने भेजो, जासूस हैं कांग्रेस सरकार के तो कुछ नहीं कहना, भूखे है तो शर्म आती है, लानत आती है, चोर हैं तो जेल भेजो। सड़क पर क्यों पड़े रहते हैं समाजवादी विधान सभा के बाहर ? हैरानी होती है। मैं समाजवादी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं सिद्धांत की बात करना चाहता हूं। समाजवाद क्या है ? महर्षि मार्क्स, डाक्टर लोहिया, डांगे साहब और हमारे बुजुर्ग दोस्त माननीय अग्रवाल साहब समाजवाद जानते हैं। मैंने इनके लेख पढ़े है, मैं इनका अनुयायी रहा हूं लेकिन समाजवाद में मेहनत इन्सान और विधान का समन्वय है, भाग्य नहीं चला करता, लाटरी नहीं चला करती, लाटरी चलाने वाले समाजवाद के दुश्मन होते हैं। हमारे मुख्य मन्त्री आवाज लगाकर लाटरी को बेच रहे हैं "एक रुपया दे जाओ, 10 लाख ले जाओ, भाग्य आजमाओ, हराम की खाओ"। मेरा निवेदन है कि मेहनत करो। लाटरी बंद करो। मेरे प्रिय नेता रामानन्दजी बता दें मुझे समाजवाद में भाग्यवाद कहां से आता है ? यह घूसवाद है, समाजवाद नहीं है और साम्राज्यवाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा हमारा यह साम्राज्यवाद का नारा है। मैं भाई रामानंदजी से निवेदन करना चाहता हूं। ये विश्व विजयी झंडा लेकर इस पर कब्जा करें, चीन पर कब्जा करें, ये इनके तौर तरीके हैं। यह साम्राज्यवाद है, असली पून्जीवादी, नकली समाजवादी है। भाई रामानन्दजी को पापों का बदला देते हैं, 20 साल कांग्रेस जेलों में रहे हरणाकश्यप की तरह। मरते समय समाजवाद का नारा लगाया। यह कौनसा तरीका है ? मैं साम्राज्यवाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पून्जीवादी हैं लेकिन उनके ऊपर भाई रामानंदजी लाल झंडा लगा देते हैं। इसके अलावा निवेदन करना चाहता हूं इस सदन से कि मैं अपनी बात कहने आया हूं, मुझे दर्द हो रहा है, 3-4 दिन से बोलने नहीं दिया जाता है। मैं अपनी बात कैसे कहूं ? 4 दिन का समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए रखा, वह तो बोलकर चले गए। बिड़लाजी के मुनीम ने भाषण लिखकर दे दिया, पढ़ दिया। मैसोर के राज भवन से राज्यपाल को लिखकर दे दिया, पढ़कर सुना दिया, वह समाजवादी भाषण नहीं था, जनता का भाषण नहीं था।

श्री विशम्बर नाथ जोशी : (अप्रश्रव्य)

श्री सभापति : यह सही बात है, आप विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन सदन की अपनी मर्यादायें हैं। किसी के बारे में ...

श्री मनोहरलाल : अच्छा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कामां से आया हूं आज

(श्री मनोहरलाल)

कांग्रेस वाले जनसंघ के लोगों को सांप्रदायिक कहते हैं मैं आपको साफ साफ निवेदन कर देना चाहता हूं कि जनसंघ बिलकुल साम्प्रदायिक नहीं है। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया हूं वह कामा क्षेत्र है जो कि भरतपुर में है मेरे क्षेत्र में तीन हजार मुस्लिम वोटर है जिन्होंने मुझे वोट दिया है हालांकि दो मुसलिम मेरे खिलाफ में थे तो भी। आज कांग्रेस के लोग कहने को तो अपने आपको असाम्प्रदायिक बताते हैं, उन्ही कांग्रेस वालों ने मेरे जीतने के बाद जाकर लोगों को उन मुसलिम भाईयों को जिन्होंने मुझे वोट दिये जाकर उन्हे दण्ड दे रहे है। आज उन मुसलिम भाईयों को पीटा जा रहा है क्या यही कांग्रेस की साम्प्रदायिकता के खिलाफ की नीति है कि अगर उन्हें कोई वोट नहीं दे तो उन्हें जा कर पीटा जाय या उन्हें इधर उधर फंसाया जाय। मेरे इलाके के दो मौलवी और कुछ हाजी तथा कुछ मौलाना लोगों को दण्डित किया है फिर भी जिन लोगों को चुनावों के समय आंतकित किया गया था उन्होंने निर्भय होकर मुझे खुल कर वोट दिया और मेरी खुल कर मदद की।

एक माननीय सदस्य : ठीक है हम जानते हैं जनसंघ तो है ही साम्प्रदायिक पार्टी......

श्री मनोहर लाल: जनसंघ साम्प्रदायिक पार्टी नहीं है। साम्प्रदायिक पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी। जो कि धर्म का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। जातिवाद के नाम पर कांग्रेस टिकट देकर लोगों में जातीयता की भावना फैलाती है। पर जनसंघ कभी यह नहीं करता। हम जनसंघी कभी भी जातिवाद के ऊपर टिकट नहीं देते ऐसा नहीं कि ये जाट हैं उसे टिकट दे दो और वह जीत जायेगा। आप जाकर मालूम कर लीजिये मैंने कामां से चुनाव जीता है वहां पर हिन्दु मुसलिम दोनों भाईयों ने मुझे वोट देकर जिताया है। आज कांग्रेस वाले जो अल्प संख्यकों का नाम लेकर उनके सहारे चुनाव जीतते है, जातिवाद के नाम से चुनाव जीतते हैं और दूसरों को कहते हैं कि अगर जनसंघी आ जायेंगे तो मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। लोगों को कहते है कि जनसंघ की नीति मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आपको साफ साफ निवेदन कर देना चाहता हूं कि जनसंघ की यह नीति नहीं है हम तो यह कहते हैं कि अगर कोई हिन्दु किसी मुसलमान का कत्ल करदे तो उस हिन्दु को फांसी होनी चाहिये। और अगर कोई मुसलमान किसी हिन्दु की कत्ल करता हैं तो आप उस मुसलमान को फांसी मत दो बल्कि उसे सिर्फ आजीवन कारावास ही दो।

एक माननीय सदस्य : यह आप क्या कह रहे हैं ? आपकी नीति तो साम्प्रदायिक और हिन्दु जातिवाद के नाम पर ही .....

श्री मनोहर लाल : ये आप बिलकुल गलत कह रहे हैं। ये तो आप मुसलमानों में फैलाते हो कि अगर जनसंघी आगये तो मुसलमानों का सर कलम करवा देंगे। आप कहते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी बड़ी है और हमने मुसलमानों को बचाया है और इन्द्रा गान्धी बड़ी नेता है। आप हरिजनों से वोट ले लेते हो पर उनके लिये कुछ भी फायदा नहीं। आज भूमि के अलोटमेन्ट हरिजनों को देने के लिये तथा भूमिहीनों को देने के लिये इतने राज्य सरकार आदेश

(श्री मनोहर लाल)

जारी करती है परन्तु आप इन हरिजनों के साथ कुछ भी न्याय नहीं करते। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अलाटमेन्ट सरकार के द्वारा किये गये हैं वे सारे के सारे हम जैसे बड़े आदमियों को किये हुए हैं। सभापति महोदय, इसमें मुश्किल से 10 प्रतिशत ऐसे एलाटमेंन्ट हुए होंगे जो भूमिहीन वास्तव में है या हरिजन हैं उन्हें हुए हों। पर, 90 प्रतिशत जो भी एलाटमेंन्ट हुए वे बड़े लोगों को हुए चाहे बड़े पैसे वाले हैं या कोई इन्फलेशियल आदमी हैं, चाहे बड़े नेता हैं। बेचारे छोटे लोगों को एलाटमेन्ट नहीं किया गया है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनके साथ न्याय किया जाये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं फिर समाप्त कर दूंगा। मैं सभापति महोदय, जो निवेदन कर रहा था वह भूमिहीनों के बारे में कि जो लोग अलाटमेन्ट बड़े आदमियों को हुआ है या जो वास्तविक भूमिहीन नहीं हैं, उसके लिये हमारे जैसे लोग जिम्मेदार हैं। होना चाहिये तो यह की बड़े लोगों को नीचे लाया जाय और छोटे और नीचे लोगों को ऊपर उठाया जाय। आज एक बड़े आदमी के पास आय के कई साधन हैं। कानून ऐसा होना चाहिये कि एक आदमी एक रोजगार, एक आदमी एक काम पर, आज है यह कि एक आदमी के कमाने के लिये कई काम हैं, उसकी मोटर भी चलती है, उसका वर्कशाप भी है, उसके फार्म भी है, वह मिनिस्टर भी है, और दूसरे इलाकों में उसका व्यापार चलता है वह अलग। तो मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि 'एक आदमी एक काम' होना चाहिये और जो भूमिहीनों को भूमि के बारे में जो वितरण की बात राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं गयी वह बिलकुल गलत है। यह एक थोथा नारा है। आज आप भूमि आवन्टन की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं भूमि है कहां आर किसे आवन्टन करोगे ? आबादी तो आज लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज स्थिति यह है कि आबादी बढ़ती जा रही है और भूमि घटती जा रही है। आप आबादी घटाओ और भूमि बढ़ाओ तब तो लोगों को जमीन मिलेगी। आज आपको चाहिये लोगों को रोजगार दो। लोगो को काम दो। आज जमीन की बातें कर रहें हैं कि भूमि का अलाटमेन्ट किया गया है, यह बिलकुल गलत है। भाई रामानन्दजी जानते हैं, आज जमीन देने को बिलकुल नहीं है और जो जमीन लोगों को नहीं दी गयी है उसका तुरन्त आवन्टन किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसके अलावा मैंने मेरे भाषण में जो भी शब्द काम में लिये हैं वे सभी परम्पराओं के अनुसार हैं इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो संसदीय परम्पराओं के खिलाफ हो। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि मैं इस विधान सभा में एक आन्दोलन चलाऊंगा जिसमें तय कराऊंगा कि विधान सभा के सदस्यों को बोलने दिया जाय आज स्थिति ऐसी है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता है जो बोलने दिया जाय। अभी

(श्री मनोहर लाल)

मेरी गरदन मरोड़ी जा रही है और मेरा गला घोंटा जा रहा है कि मैं नहीं बोलूं।

श्री सभापति : आपको अभी बहुत समय मिलेगा।

श्री मनोहरलाल : 25 हजार वोट मिले है जनता के, इतने वोटों का ठेकेदार हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अपने विचार इस अभिभाषण पर प्रस्तुत करने से पूर्व जनसंघ दल के नेता ने राजोरिया काण्ड को लेकर सदन में जो बातें कही हैं मैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूं और बहुत निकट से इस सारे मामले की जानकारी मुझे है। हालांकि यह एक जूडीसियल केस है उस पर मुझे बोलना नहीं चाहिये पर चूंकि मैं अधिक तथ्य जानता हूं इसलिये सदन की जानकारी के लिये उनको प्रस्तुत करना चाहूंगा।

राजोरिया साहब की दुर्घटना में मृत्यु हुई। वास्तव में यह एक अत्यन्त अप्रिय घटना हुई। इससे हम सभी को उतना ही रंज और दुख है जितना किसी को हो सकता है। व्यक्तिशः भी मेरी उनसे काफी अच्छी जानकारी और मेल जोल था। लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि इस घटना को जो राजनैतिक रूप दिया गया है एक ऐसी संस्था द्वारा तो यह खेद का विषय है। चुनावों में वोट हाथ जोड़कर और नम्र निवेदन के साथ मांगे जाते हैं, किसी का कत्ल कराके और मरवा कर वोट नहीं लिये जा सकते। ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस का उम्मीदवार किसी को मरवाकर फायदा उठाने की बात सोचेंगे तो यह मानने वाली बात नहीं है, उल्टे उसे तो इससे नुकसान ही होगा। यह ठीक है कि इस दुर्घटना के बाद इसे राजनैतिक रूप देकर उससे लाभ उठाया जा रहा है क्योंकि जनसंघ के उम्मीदवार की स्थिति वहां बड़ी दयनीय थी। इसलिये आपने उसका जुलूस ग्वालियर, धौलपुर, राजाखेड़ा, मुरैना आदि जगहों पर निकाले। आपने सोचा कि किसी तरह लोगों की सहानुभूति ले लेंगे और अपने उम्मीदवार की स्थिति को बचा लेंगे पर फिर भी आपका उम्मीदवार हार गया। अब अपने मुंह की झेंप मिटाने के लिये कांग्रेस के उम्मीदवार पर हत्या कराने का इल्जाम लगाना यह बिलकुल गलत है।

अब यह काण्ड भी पुलिस की गलती से किन परिस्थितियों में हुआ यह मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। जीपों में उस इलाके में डकैत घूमते रहते हैं। इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। वह डकैतों का एरिया है। पुलिस को उस दिन एक डकैत पार्टी की जीप से उधर से निकलने की सूचना थी और इसलिये पुलिस उस दिन रात को दो बजे भी वहां तैनात की गई थी अब पुलिस को अगर उनको जान बूझकर ही मारना होता तो वह फाटक पर ही क्यों पहुंचती उसको क्या पता था कि इस समय जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं की जीप उधर से निकलेगी। वैसे पुलिस को इससे फायदा भी क्या हो सकता था। इसके सम्बन्ध में वैसे मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

(श्री बनवारीलाल)

मैं तो अपनी जानकारी के आधार पर निवेदन कर देना चाहता हूं थोड़ा जितना मैं जानता हूं। धौलपुर पुलिस के पास खबर आई कि उधर से डकैत पास होने वाले हैं। यू. पी. और आगरा तथा मध्य-प्रदेश पुलिस को इत्तला थी। वैसे वे उधर से नहीं निकल कर और तरफ से निकल गये होंगे और उस रात को एक्सीडेन्टली यह दुर्घटना हो गई। वैसे उन्हीं डकैतों ने बाद में आगे के इलाकों में जाकर किडनैपिंग की। इसका आप पता लगा सकते हैं। तो वास्तव में तो पुलिस डकैतों को मारने के लिये ही वहां तैनात की गई थी। भूल से यह दुर्घटना उससे हो गई। फिर भी किन परिस्थितियों में यह हुआ इसकी जांच करने के लिये सी. बी. आई. भी गई। सी. बी. आई. से एन्क्वायरी नहीं करना चाहते। जुडिशियल एन्क्वायरी हो रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किस डकैत का, किसकी गेंग का, संकेत उनको मिला था, क्या यह बता सकते हैं ?

श्री बनवारी लाल : यह तो अब मुखबिर पुलिस को खबर देते रहते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह तो मुखबिर ने जिस की सूचना दी थी पास होने की वे तो दो दिन पहले मारे गये थे।

श्री बनवारी लाल : मैं ठीक कह रहा हूं। वहां से निकल कर उस गेंग ने फतहपुर सीकरी में किडनैपिंग की है। आप पता लगा सकते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब कल मन्त्री महोदय वक्तव्य देने वाले हैं वैसी स्थिति में हम इस पर अधिक न कहें यही अच्छा होगा।

श्री बनवारी लाल : मेरा कहने का उद्देश्य तो यही था कि बार बार इस तरह के कहकर माननीय सदस्य सदन को गुमराह करके राजनैतिक लाभ इसमें लेना चाहते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे समझ में नहीं आता, सदन को गुमराह माननीय सदस्य और माननीय सदस्य के साथी कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। मैं बताऊं सात बजे जाकर धौलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक से टार्च लगा लगा कर देखा था। वे चाहते थे कि किसी तरह से इस कारण को लेकर इलेक्शन पोस्टपोन हो जावे। ऐसी स्थिति में आप विषयान्तर न हों तो ही अच्छा है, फिर कल मन्त्री जी अपना वक्तव्य भी दे रहे हैं। तब तक इन्तजार कर लीजिये।

श्री बनवारी लाल : हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं वहां की बात अधिक जानता हूं। वहां का प्रतिनिधि हूं, वहां का रहने वाला हूं। आप को जानकारी अपने आदमियों से मिलती है जिसके आधार पर आप कहते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं रेलवे फाटक के चौकीदार से मिला हूं। वह कहता है उस तरह की घटना उसने अपनी जिन्दगी में नहीं देखी। उसको पुलिस ने बन्दूक की नोक पर कहा कि फाटक मत खोलो। आप क्या बात करते हैं ?

श्री बनवारी लाल : राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में, जिन पालिसियों के

(श्री बनवारीलाल)

आधार पर सरकार राजस्थान की प्रगति करना चाहती है, उन पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद वहां राजस्थान के दूसरे दूसरे इलाकों की काफी प्रगति हुई है, धौलपुर की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। बिजली, सड़कों इत्यादि के मामले में धौलपुर को नीग्लेक्ट किया गया है। फिर भी आसपास के राज्यों को यू. पी., मध्य प्रदेश आदि के जिलों को देखें तो हमसे अधिक प्रगति उनकी हुई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से तो बोलने का अवसर मिला है और अभी से आप घन्टी बजाने लग गये। राजस्थान में किसी विशेष डिविजन और क्षेत्र की तरफ मन्त्री विशेष अधिक ध्यान देते रहे हैं और उन्हीं पर राज्य-कोष का अधिक व्यय किया गया है। इससे आज स्थिति राजस्थान की यह बन गई है कि जिन क्षेत्रों की प्रगति हुई उनकी तो बहुत अधिक होती चली गई और जिनकी तरफ मन्त्रीविशेष ने ध्यान नहीं दिया वे क्षेत्र अधिक से अधिक पिछड़ते चले गये।

धौलपुर सब डिविजन इसका उदाहरण है। इस उप जिले को हमेशा नीग्लेक्ट किया जाता रहा है। वास्तव में देखा जावे तो धौलपुर से भी कम आबादी के, कम क्षेत्र के क्षेत्र को जिला बना दिया गया है। जैसे सिरोही लीजिये, बूंदी लीजिये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा लीजिये, हर दृष्टि से ये जिले धौलपुर सब जिले से कहीं अधिक छोटे हैं। फिर भी वे जिले बने बैठे हैं और धौलपुर सब डिविजन ही बना पड़ा है। वह अन्याय धौलपुर के साथ ही क्यों ?

अगर यह दलील दें आप कि धौलपुर को अगर बनाते हैं तो और क्षेत्र भी आवाज उठावेंगे कि उनको भी बनाओ। तो हम कब मना करते हैं कि उनको आप मत बनाओ। दूसरों को भी बनाइये।

भूतपूर्व कानून और विद्युत मन्त्री और आज के मुख्य मन्त्री जब पहले धौलपुर आये तो इन्होंने भी महसूस किया और कहा कि धौलपुर को जिला बनाने की मांग वाजिब है और उन्होंने उस समय कहा था कि हमारी इस वाजिब मांग को वे उस समय के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचावेंगे, कोशिश करेंगे और बाध्य भी करेंगे कि इस मांग को माना जावे।

पर भगवान् की कृपा से वे स्वयं आज मुख्य मन्त्री बन गये हैं तो अब महसूस क्यों नहीं करते ? क्या तब मांग वाजिब मानते थे और आज गैरवाजिब मानने लग गये तो मेरा निवेदन है कि वास्तव में अगर वे महसूस करते हैं तो न्याय दीजिये हमें।

वास्तव में धौलपुर के जिला हैड-क्वार्टर नहीं होने से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वहां डकैतों की समस्या है, प्रशासनिक कठिनाइयां हैं, आज का जिला हैड क्वार्टर वहां से 75/80 मील दूर पड़ता है, रास्ता बहुत दुर्गम है। वहां तक जाने में दूसरे प्रदेशों में से होकर जाना पड़ता है। अगर धौलपुर जिला हैडक्वार्टर बना दिया जाता है तो डाकू समस्या पर भी अधिक आसानी से काबू पाया जा सकता है। दूसरी हमारी समस्याएं भी आसानी से हल हो सकती हैं।

(श्री बनवारी लाल)

फिर क्या कारण है कि धौलपुर को जिला नहीं बनाया जा रहा है ? मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र जिलों का पुनर्गठन करके धौलपुर को जिला बनाने का प्रयास करें। धौलपुर को हर मायने में नेगलेक्ट किया जा रहा है। पहले वहां पी. एम. ओ. रहता था अब वहां सी. एम. ओ. रहने लग गया है। हाउस में एश्योरेन्स दिया गया था और वहां भी जब पधारे थे तो आश्वासन दिया गया था। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी वहां पर गये थे और आश्वासन दिया था। अब मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्ला खां हैं, वे भी वहां गये थे और आश्वासन दिया था लेकिन समझ में नहीं आता किन कारणों से आश्वासन पूरे नहीं किये जाते हैं, पहले वहां पर देवस्थान की समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्सपेक्टर रहता था, अब वहां पर सब इंसपैक्टर भी नहीं रह रहा है बल्कि एक क्लर्क की भी पोस्ट नहीं रही है इधर तो हम मांग कर रहे हैं जिला के अफसरान रखे जायें और उधर बराबर पोस्टें कम करते जा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता राज्य सरकार को क्या परेशानी हो रही है ? मैं पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की सड़कों की भी हालत बहुत खराब है। मैंने निवेदन किया जिस तरह बोर्डर रोड्स की समस्याओं को दूर करते हैं उसी तरह सेन्ट्रल से ए. डी. एफ. के नाम पर रुपया लाकर यहां की सड़कों को ठीक करावें चोरों और डकैतों की समस्या को भी सुलझाने में भी आप रुपया खर्च करते हैं तो इस समस्या पर भी खर्च करने में आपको आसानी रहेगी। अब तक बिजली की दृष्टि से भी इस जिले को नेगलेक्ट किया जा रहा है जबकि हम कृषि पर जोर दे रहे हैं फिर भी बिजली के मामले में निगलेक्ट किया जा रहा है। मैं विद्युत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा वे शीघ्र से शीघ्र इस समस्या को सुलझायें।

जहां तक बेरोजगारी का सवाल है धौलपुर में इतनी बेरोजगारी है कि पूरे राजस्थान में 2-3 जगह ही होगी। धौलपुर में लोगों के पास सुबह खाने को है तो शाम को नहीं है और शाम को है तो सुबह को नहीं है। पहले वहां पर दो फैक्टरियां भी थी एक तो हाई टेक और दूसरी ग्लास फैक्टरी अब ग्लास फैक्टरी तो बन्द हो चुकी है और हाई टेक भी कभी कभी बन्द हो जाती है। मेरा सुझाव है कि वहां फैक्टरी वगैरह लगाकर बेरोजगारी की समस्या को हल करें जैसे आप अलवर में लगा रहे हैं और जगह भी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह फैक्टरी लगाइये जहां अच्छी तरह उपयोग हो सके। वहां के आदमी भूखे मरते हैं और भूखे मरने के कारण ही वहां के आदमी क्रिमिनल माइन्डेड हो गये हैं। रोजगारी का कोई इन्तजाम नहीं है और जब पेट भरने का कोई साधन नहीं होता है तो चोर और डकैत बन जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं क्राइम को कम करना चाहते हैं तो बेरोजगारी की समस्या को कम करिये और वहां पर अवश्य कोई न कोई फैक्टरी लगाइये इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद विवाद चल रहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों

(श्री नाथूराम)

ने कई अच्छे २ सुझाव दिये हैं, मैं भी कुछ इस धन्यवाद के प्रस्ताव के सिलसिले में अपने क्षेत्र के सुझाव देता हूं। जैसे आजादी के बाद राजस्थान की तरक्की हुई हैं और विकास की योजनाओं द्वारा हर तरह से विकास हो रहा है लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वनों की जो सुरक्षा है उसके बारे में पिछले 15 सालों से मैं हाउस में निवेदन करता आया हूं लेकिन वनों की सुरक्षा नहीं हुई है। हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है और वहां पर इतने सघन वन हैं कि सूर्य की किरण तक दिखाई नहीं देती थी, अब सब साफ हो गये हैं, कोई जानवर अब दिखाई नही देते हैं। आजादी के बाद जब से ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई वहां के जंगलों को काट-काट कर साफ कर दिया गया है। इस से होता क्या है कि विकास की योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा हैं, बड़े २ तालाब और बड़े २ बान्ध बान्धे जा रहे हैं, लेकिन वनों को नष्ट करके जो पहले वर्षा होती थी, उसको कम किया जा रहा है। वनों के नष्ट करने से भंयकर दुष्काल आते हैं, इसलिये आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन है कि जहां सघन जंगल थे वहां अब ठूंट खड़े हैं इसलिये उन वनों की रक्षा करनी चाहिये। मैंने पहले भी सुझाव दिया है जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, उन स्थानों पर वहां के पढ़े लिखे लोगों को ही रखा जाय लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति कभी जंगल में रहना नहीं चाहता है उनको वहां पर सर्विस में लगा दिया जाता है। आज हजारों की तादाद में आदिवासी क्षेत्र में बेरोजगारी हैं। रोजगारी के लिये वे इधर उधर जाते हैं। लेकिन सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती हैं। उन वनों की सम्पदा से बेरोजगारी दूर हो सकती है लेकिन सरकार की वनों की सुरक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जहां जंगल का एरिया है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको वहां नौकरी में लगाया जाना चाहिये। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिये। आज मीलों में कई लोग मेट्रिक पास हैं, कई बी. ए. और एम. ए. पास हैं। सरकार की तरफ से उनको उन्हीं क्षेत्रों में भेजकर काम कराना चाहिये। इससे होगा क्या, वनों की रक्षा हो जायगी और वनों की रक्षा होगी तो पानी ज्यादा बरसेगा और ज्यादा पानी बरसेगा तो उत्पादन बढ़ेगा ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देनी चाहिये। मैं यह भी कहता हूं कि सरकारी संघ द्वारा जो ठेके दिये जाते हैं वह भी खतम कर देने चाहियें। वे लोग भी खुद काम नहीं करते है, ठेकेदार के ठेकेदार पहुंच जाते हैं इस लिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि घना जंगल तो अलग कर देना चाहिये और रिजर्व जंगल अलग कर देना चाहिये ताकि वर्षा अधिक होगी और दुष्काल भी नहीं होंगे। जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई अच्छी बातें बताई गई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं लेकिन बजाज सागर बान्ध जो बांसवाड़ा क्षेत्र में है यह राज्यपाल महोदय ने नहीं बताया है, प्लानिंग कमीशन ने मन्जूरी दे दी है लेकिन इसकी चाल धीमी है इसलिये बजाज सागर बान्ध को जल्दी बनाया जाय तो बांसवाड़ा में ज्यादा सिंचाई होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा मेरा सरकार से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार से पैसा लेकर बजाज सागर बान्ध को पूरा किया जाय।

(श्री नाथूराम)

दूसरा मेरा निवेदन है कड़ाना बांध के लिये। पिछले कई वर्षों से इस हाउस में कहता आया हूं। दो-तीन साल से यह मामला चल भी रहा है और इस हाउस के कई माननीय सदस्यों ने और नेताओं ने इस सम्बन्ध में सहयोग भी दिया है और उस पर राज्य सरकार की तरफ से सर्वे भी हुई है। सर्वे में 10-12 लाख रुपया खर्च हुआ होगा इसमें गुजरात सरकार से बात करके इसकी ऊंचाई को कम करावें ताकि लाखों लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, वे बच सकें। इसकी राज्य सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को निवेदन करता हूं कि इस कड़ाना बांध में गुजरात सरकार को माही से पानी मिलने वाला है वह बराबर मिलेगा फिर भी गुजरात सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ है। पहले की जो योजना है उसमें 410 की ऊंचाई थी और उसके बाद भी 419 की सर्वे हुई है और आज 425 की बात चल रही है। मेरा निवेदन है अगर 419 रहेगी तो लाखों एकड़ जमीन डूब में आयेगी, लाखों रुपयों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थान डूब में आयेंगे इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस कड़ाना बांध के बारे में जो सर्वे करा रहे हैं गुजरात सरकार से भारत सरकार द्वारा बातचीत करके इसको 419 के बजाय 410 की ऊंचाई रखी जाय तो लोग कम प्रभावित होंगे और ज्यादा जमीन नहीं डूबेगी, लोग भी बरबाद नहीं होंगे। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कड़ाना बांध की ऊंचाई को लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भय फैला हुआ है। इसलिये इसकी ऊंचाई कम करनी चाहिये जिससे उनमें फैला हुआ भय दूर हो और लोग बरबाद न हों।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कड़ाना बांध का मसला फाइनल न हो जाय तब तक लोगों की खेती बाड़ी सब काम धन्धा छूटा हुआ है और लोग परेशान हैं, उनको काम में काफी नुकसान हो रहा है, काम रुके हुए हैं। भूमि की हदबन्दी वगैरह।

इसके साथ साथ सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन के लिये बराबर कोशिश की। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आदिवासी क्षेत्र है वह बहुत पिछड़ा हुआ है, बेकारी बहुत हैं, हजारों की तादाद में लोग गुजरात में मजदूरी के लिये जाते हैं; इसलिये छोटे २ तालाबों के लिये अधिक से अधिक पैसा देकर सिंचाई के साधन, तालाब वगैरा बढ़ायें जिससे कि लोगों का गुजरबसर हो सके और उनको गुजरात में और जगह मजदूरी के लिये इधर उधर नहीं भागना पड़े। बांसवाड़ा में जब अधिक वर्षा होती है तो कोटन खूब पैदा होती है। लेकिन जब किसान की फसल आती है तो उस समय कोटन के भाव गिर जाते हैं इससे किसान को बहुत नुकसान होता है। आपसे निवेदन करना है कि जब किसान की फसल आती है तो भावों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे किसान को फसल का पूरा पैसा मिल सके।

समाज कल्याण विभाग ने आदिवासी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके सम्बन्ध में मैं एक दो उदाहरण रखूंगा। लाखों रुपया भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से खर्च होता है लेकिन

(श्री नाथूराम)

होता क्या है कि हजारों रुपयों का दुरुपयोग होता है। आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिये सरकार ने 28 प्रतिशत को सरकारी नौकरियों में लेने की व्यवस्था की है। लेकिन उसका पालन नहीं होता है। सरकार ने बैन लगा रखा है। आदिवासी क्षेत्र के कई पढ़े लिखे नौजवान, मैट्रिक, इन्टर, बी. ए, आज बेकार घूम रहे हैं उनको सर्विस में लगाना चाहिये। यदि यह बैन नहीं हटाया गया तो उनमें और भी बेकारी बढ़ती चली जावेगी इसलिये आदिवासो और हरिजनों के लिये तो यह बैन हटा देना चाहिये और हजारों नवयुवकों को धन्धे में लगाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट को छात्र-वृत्ति मिलने के लिये योजना बनाई थी। सरकार बताये कि आदिवासो क्षेत्र में गरीब लड़कों की कितनी, इस प्रकार की, छात्र-वृत्ति दी गई? कानून तो बन जाता है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कानून बने उसका पालन होना चाहिये ऐसा नहीं कि वह कागजों में ही रह जाय।

सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र के विषय में एक बात और रखना चाहूंगा। हजारों की तदाद में गरीब लोगों को जिन्दा रखने के लिये काम खोलें। सरकार ने पिछले दिनों बड़ी २ पुलों का काम दिया, छोटे मोटे तालाबों के लिये काम दिया, एक फसली जमीन थी पैदावार नहीं होती थी वहां मेड़बन्दी का काम कराया। डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरीब लोगों को जिन्दा रखने के लिये काम हुआ। लेकिन आज उन गरीब लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अधिकतर अनपढ़ लोग होते हैं, उनको पैसा दिया गया और उनसे दस्तखत करवा लिये, अंगूठा लगवा लिया, 25 परसेन्ट लोगों को करना था। काम भी कम हुआ, पच्चीस परसेन्ट से अधिक नहीं हुआ लेकिन वैसे, रकम ज्यादा खर्च हुई और अब उनसे मूलधन वसूल हो रहा है और दस साल का ब्याज भी वसूल हो रहा है जिसके खेतों में काम हुआ उनसे भी वसूल हो रहा है और नहीं हुआ उनसे भी वसूल हो रहा है। भूमि अधिकारियों के द्वारा सही डिमान्ड नहीं हुई उटपटांग डिमान्ड रख दी। एक व्यक्ति को दो बीघा भूमि है, काश्त से गुजर नहीं होता है, उससे तीन सौ, चार सौ, सात सौ रुपया वसूल हो रहा है यह सरासर अन्याय है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों दुष्काल में गरीब लोगों को जिन्दा रखने के लिये राहत कार्य खोलें, मेड़बन्दी का काम हुआ, उनको जिन्दा रखने के लिये किया था। उनसे इस प्रकार रकम वसूल करके सरासर उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनसे वसूली नहीं होनी चाहिये। भू-संरक्षण अधिकारियों द्वारा वसूल हो रही है इसकी जांच की जानी चाहिये जिसकी माली हालत ठीक है उससे वसूल होना चाहिये। जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पेट पालने को कुछ नहीं है, उनसे वसूली नहीं होनी चाहिये; इसके लिये शीघ्र आदेश होने चाहियें। ज्यादती हुई है उसको रोक देना चाहिये और वसूली रोकी जानी चाहिये। जिनसे वसूल हो रहा है उनसे ब्याज काट कर वसूल होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है वहां के लोगों से यह रकम वसूल नहीं होनी चाहिये।

(श्री नाथूराम)

सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की कुछ बातें और रखना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग में कोई भी योजना बनती हैं योजना अच्छी होती है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से पैसा मिलता है लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। पन्द्रह वर्षों में माननीय मंत्रीजी और सरकार के सामने अच्छे से अच्छे सुझाव दिये गये। लेकिन उन सुझावों के ऊपर कोई भी अमल नहीं होता है। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती है। छोटा सा उदाहरण रखता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया "गर्भवती माताओं को पोषाहार की योजनाओं के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार बच्चे एवं माताओं को 1 हजार 200 केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार दिया जा रहा है। अगले वर्ष इस योजना को दुगना करने का प्रस्ताव है" गरीबों के पालने के लिये यह सरकार की अच्छी योजना है। सरकार बराबर पैसा देती है लेकिन पैसे का दुरुपयोग होता है। इस पोषाहार योजना के अन्तर्गत पिछले समय में गर्भवती माताओं और बच्चों के लिये गुड़ दिया गया। कोटा और बीकानेर में माल खरीदा गया। दुगना पैसा देकर खरीदा गया। गुड़ कैसा निकला? जानवर भी नहीं खाते थे। जहरीला गुड़ खरीदा गया। मैं बताना चाहता हूं कि श्री राघवसिंह समाज कल्याण के अधिकारी उन्होंने यह डबल भाव से यह गुड़ खरीदा। वह जहरीला था और उसकी जांच नहीं हुई है। सरकार जांच भी नहीं कर सकती है? गरीबों के पेट भरने के लिये अधिकारी लोग ऐसा करते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिये जो गरीबों के नाम से पेट भरते हैं और उनको सजा देनी चाहिये। आज गरीबों के नाम से पैसा जरूर मिलता है लेकिन सरकार के कुछ लोग ऐसे बैठे है कि उनके द्वारा उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इसी तरह से सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कुछ और बातें हैं जो निवेदन करना चाहता हूं। परिवार नियोजन विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें बता देना चाहता हूं। मैंने पिछले समय में भी यह बताया था कि सरकार की योजना अच्छी है लेकिन कोई योजना आरम्भ होती है तो सरकार की तरफ से उसकी कोई निगरानी नहीं है। परिवार नियोजन विभाग को खतम कर देना चाहिए। कारण यह है कि बांसवाड़ा में परिवार नियोजन अधिकारी ऐसा बैठा हुआ है जो कि आचरण से बहुत गिरा हुआ है, भ्रष्ट है और वह कहीं भी दौरे पर जाये तो लोग उसके नजदीक नहीं आना चाहते हैं। आदिवासियों में उसकी कोई शकल नहीं देखना चाहता है। इसके बारे में मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दिया था, परिवार नियोजन मंत्रीजी को लिख कर दिया था और उद्योग मंत्रीजी को भी लिख कर दिया था लेकिन हुआ क्या?...

श्री हरिदेव जोशी : उसका ट्रान्सफर हो गया।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ ट्रान्सफर? उसने जो जो गलतियां की हैं...

श्री हरिदेव जोशी : उसकी इन्क्वायरी भी शुरू हो गई है।

श्री नाथूराम : बड़ी खुशी है लेकिन परिवार नियोजन विभाग में जो जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर किया जाय। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि इसके बजाय सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कर सकें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आज बांसवाड़ा जिले में 38 परसेन्ट आबादी बढ़ी है। इस विभाग की तरफ से अगर ध्यान दिया गया होता तो इस तरह से आबादी नहीं बढ़ती। कई लोग ऐसे समझदार हैं कि वे अपना परिवार छोटा करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार की तरफ से पेट्रोल, गाड़ियां और पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के कार्य-क्रमों की नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपनायें।

श्री सभापति : अब आप कृपया समाप्त करें। और दो बोलने वाले हैं। समय समाप्त हो रहा है।

श्री नाथूराम : मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया—इसका तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं लेकिन बांसवाड़ा जिले में गरीब किसानों ने बिजली के लिए फार्म भरे, कुओं के लिए फार्म भरे, बैंक से ऋण लेने के लिए फार्म भरे लेकिन किसी भी किसान को ऋण नहीं मिला। इसलिए आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ लेकिन गरीबी मिटाने के लिए जिसका कुआ कम्पलीट है लेकिन बिजली से पानी लेना चाहता है, उसको बैंक से जल्दी से जल्दी कर्जा मिलना चाहिए।

शिक्षा के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। मेरा तो कहना है कि शिक्षा प्रणाली की नीति में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। यही आपके द्वारा निवेदन करता हूं और आदिवासी क्षेत्र में कैश प्रोग्राम है वह बहुत कम है इसलिए इस कैश प्रोग्राम के लिए रकम बढ़ानी चाहिए ताकि बेकारी दूर हो सके और जो गरीब लोग हैं उनको मजदूरी मिल सके। यही मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री गिर्राज प्रसाद :

श्री गिर्राजप्रसाद (बयाना): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया और उसके अन्दर जो अपनी भावनायें उन्होंने व्यक्त कीं उसके एक दो वाक्य मैं पढ़ देना मुनासिब समझता हूं खासतौर। से ना पक्ष वालों को। अभिभाषण का पैरा 41 में उन्होंने लिखा है :

"मुझे ऐसा विश्वास है कि आय-व्यय पर विचार-विमर्श करते समय आप राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कृत-संकल्प हैं।"

इसके आगे पैरा 42 में लिखा है :

"अब हमें आने वाले वर्ष के कार्य-कलापों पर विचार करना है और राजस्थान के बहुमुखी विकास की दिशा में कार्य करना है जनहित में आप सब का सदैव की भांति पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तथा आपके विचार-विमर्श में सफलता मिले यही मेरी कामना है।"

(श्री गिर्राज प्रसाद)

इससे ज्यादा और क्या भावनायें व्यक्त कर सकते हैं कि जो राज्यपाल महोदय ने ये शब्द अपने अभिभाषण में लिखे हैं इससे ज्यादा और काम करने की और विकास कार्य करने की क्या प्रेरणा हो सकती है। मैं यह मानकर चलता हूं कि सभी का दिल और दिमाग एक सा होता है। ऐसी बात नहीं है कि सत्ता पक्ष के दिल और दिमाग दूसरी तरह के हों और विपक्ष के दिल और दिमाग दूसरी तरह के हों। जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही थी मैं इस चीज को सुन रहा था कि इस अभिभाषण में जितनी भी बातें थीं उनका विरोधी पक्ष ने पूर्णरूप से विरोध किया। ऐसा नहीं है कि हम एक पक्ष के किसी सज्जन को सज्जन कहें, विद्वान कहें और वह उसको भी इन्कार कर दे कि नहीं मैं विद्वान् नहीं हूं। यह सम्भव हो सकता है तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें इसमें सही हैं उनकी तो कम से कम ना पक्ष को विचार करके समर्थन देना ही चाहिए।

इस पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं थोड़ासा जो राजौरिया काण्ड है उसके लिए एक वाक्य बोलना मुनासिब समझता हूं। वह यह है कि उसका तो फैसला वहां की जनता ने कर दिया। जो वहां घटना घटित हुई उसमें अगर किसी का दोष होता, अगर कांग्रेस का दोष होता, अगर वहां के कांग्रेसी उम्मीदवार का दोष होता तो कोई ताकत नहीं थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से जीत सकता था। जैसी स्थानीय घटना घटी और जैसा जनता ने महसूस किया उसका फैसला जनता के न्यायालय से हो चुका है। भाई प्रद्युम्नसिंह पर जो जनसंघ पार्टी ने आरोप लगाये उनका हवाला सदन में रखा। तो जनता की अदालत से फैसला होने के बाद और जुडिशियल इन्क्वायरी होने के बाद जैसा इसका नतीजा निकलेगा उसके बारे में विचार किया जायेगा और जैसा हमारे मंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य देंगे उसके बारे में विचार किया जायेगा।

जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का है इसमें जितनी बातें बताई गयी हैं, पिछले समय में हुआ और आगे जो होने वाला है, उसके बारे में सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि यह योजनायें चालू हैं और पहले से चलती आई हैं लेकिन सबसे बडा प्रश्न इनके इम्प्लीमेन्टेशन का है। आया ये किस तरह से कार्यरूप में परिणित की जा सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे राज्य कर्मचारियों, चुने हुए मिनिस्टर्स और विधायक सभी के ऊपर बराबर की है। कितने लगन के साथ कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी जल्दी के साथ इम्प्लीमेन्टेशन करते हैं यह बात देखने की है, सोचने और समझने की है। और उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ तो कोई भी योजना बनायें वह कागजों के बस्ते में रखकर जो काम एक महीने में होता है वह 6 महीने में होगा और जो 6 महीने में होता है वह सालभर में होगा ऐसा हम बहुत समय से देखते आये हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि योजना बनती है उसका इम्प्लीमेन्टेशन कितनी शीघ्रता से और अच्छी तरह से हो सकता है, यह देखना है।

इस अभिभाषण में जमीन की सीलिंग के लिए कुछ कहा गया कि पहले सीलिंग

(श्री गिर्राज प्रसाद)

हुई उस पर अमल किया जायेगा। इस बारे में बहुत कटु अनुभव है । सीलिंग हुई और सीलिंग में किस तरह की गड़बड़ियां हुईं, किस तरह की अनियमिततायें हुईं और समय निकलने कि वजह से जितनी जमीन थी वह किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम, किसी ने भाई भतीजे के नाम और किसी ने फैमेलि का डिवीजन करके बांट दी और सीलिंग का जो असली महत्व था उसको खतम करने की कोशिश की। लेकिन जहां तक लेण्डलेस को अलॉटमेंट का सवाल है उस प्रसंग में विशेष तौर से निवेदन करना उचित समझता हूं।

सभापति महोदय, आज मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि जिस व्यक्ति के पास तीस बोघा जमीन है और उसके पांच बच्चे हैं, अब वही जमीन पांच साल बाद कितनी रह जाने वाली है। मसलन छः बीघा जमीन रह जाती है। यह तो उस एक काश्तकार की बात है जो पहले जमींदार था, यह तो उसकी स्थिति है। लेंडलेस को जमीन अलाट होती है तीन, चार, पांच बीघा । उसकी बड़ी फैमिली होती है तो वह किस तरह से गुजारा कर सकता है ? आगे चलकर जमीनों का फ्रेगमेंटेशन होगा, जमीन की कमी होगी। आज तो नहीं लेकिन पांच साल बाद फिर यह समस्या सामने आने वाली है और इस पर फिर सोचना पड़ेगा । आज जो जमीन है वह भी रहने वाली नहीं है। ये बातें आमतौर से सामने आती हैं । उसके लिए हल ढूंढना आवश्यक है। खाद की समस्या है, फर्टीलाइजर की समस्या है और इससे भी पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन पानी की व्यवस्था, जैसा कि इसमें बताया गया है, नहरें खोदी जा रही हैं, बांध बंधाये जा रहे हैं, छोटी २ नल योजनाएं हैं, जल कूप बनाए जा रहे हैं, ट्यूब वैल लगाए जा रहे हैं, यह सब तो ठीक है। ये जरूरी हैं, निहायत जरूरी हैं लेकिन जब तक काश्त की छोटी २ जमीनों के लिए पानी मुहैय्या नहीं किया जाएगा तब तक यह चीज कामयाब होने वाली नहीं है। पांच साल बाद फिर इस समस्या पर विचार करना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जितनी भी जमीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार, अच्छा फर्टीलाइजर देकर, पानी की व्यवस्था करके रोटेशनल क्रोप करके ही इस समस्या को हल किया जा सकता है। इस चीज की तरफ मैं बड़े गौर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जहां तक लेंडलैस को जमीन देने का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि अफोरस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन कई जगह ऐसी जमीन हैं जहां फोरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। कई ऐसे पैचेज हैं हजारों बोघा जमीन ऐसी है जहां एक पेड़ भी नहीं है। हमारे यहां बयाना तहसील मे सांस की बावड़ी मे 7889 बीघा का रकबा है जो जंगलात में शामिल है। इस तरह की जमीनों को लेकर, फोरेस्ट से लेकर रेवेन्यू में कन्वर्ट करके भूमिहीनों को दी जाय। भूमिहीनों की समस्या का इससे अच्छा हल हो नहीं सकता और जमीनों के पट्टे तो होते ही रहते हैं लेकिन इस तरह की जमीनों को भी शीघ्र से शीघ्र कन्वर्ट करके उनके रेवेन्यू के पट्टे करवाए जायें। जमीनों के सिवाय चक के तो पट्टे हो चुके हैं लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री गिर्राज प्रसाद)

कृषि ऋण के सम्बन्ध में भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार होता है, इसमें भी लोगों को दिक्कत होती है, तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

आप देखते हैं कि कुछ समय से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर भी प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत है।

राजस्थान हाई कोर्ट का सवाल है। पहले भी यह प्रश्न यहां उठ चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बैंच जयपुर में खोलने में क्या दुख और तकलीफ हो सकती है और और प्रान्तों में भी दूसरी २ जगहों पर हाई कोर्ट की बैंचेज है। मैं इसको डेड मेटर नहीं मानता, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

और भी बहुत सी बातें है लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं इतना ही कह कर क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन सु०) : माननीय सभापतिजी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो योजनाओं के बारे में बताया गया है, मैं मेरे क्षेत्र हिण्डौन के बारे में भी कुछ बातें रखना चाहता हूं।

सभापति जी, हिण्डौन सीटी एक ऐसी सिटी है जिसमें लगभग 35 हजार की जन संख्या है और सारे क्षेत्र की कुल मिला कर एक लाख चालीस हजार के लगभग जनसंख्या है लेकिन वहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। गर्मियों में तीन तीन मील से पानी लाते हैं और अगर रात को पानी नहीं मे आए तो पानी के बिना रह जाते हैं। एक-एक बाल्टी पानी तीन-तीन, चार चार रु. में मिलती है। लेकिन इसके साथ २ सरकार ने जो नल योजना पांच साल पहले रखी थी वह भी अब तक तक अधूरी पड़ी है। उसके बारे में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि वह भी शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाय ताकि वहां के नागरिकों को पानी मिल सके।

नम्बर दो, बालकों की शिक्षा के बारे में भी इस समय वहां बड़ी परेशानी है। वहां की जो स्कूल है और उस स्कूल में वहां की जनता ने दो लाख रुपये की बिल्डिग बना कर तैयार की है लेकिन वहां अभी तक कालेज नहीं बना है। वहां की जनता ने प्रदर्शन किया, आन्दोलन में गोली चली। गोली चलने के बाद एक छात्र मारा गया। गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियां इस प्रकार से हुई कि लोगों को जहां तहां भेजा गया, लोगों को जयपुर भेजा गया, भरतपुर भेजा गया। उनके अभी तक केस चल रहे हैं। तो यह हालत है स्कूलों की और शिक्षा की, जबकि वहां जनता ने दो लाख रुपये की बिल्डिग तैयार की है और सबसे पुराना हाई स्कूल है। और वहां के छात्रों की संख्या भी लगभग 1600 से अधिक है। यह शिक्षा की व्यवस्था है आपकी।

अस्पताल के बारे में भी मैं अर्ज कर दूं। अस्पताल की हालत यह है कि वहां कुल मिला कर पांच चारपाइयां हैं और जो कोई दवा लेने आते हैं उसको अस्पताल में दवा नहीं मिलती, इन्जेक्शन मिले नहीं, रहने को जगह मिले नहीं, बैठने को स्थान मिले नहीं, यह वहां के अस्पताल की स्थिति है। अब मैं अर्ज कर दूं कि 25 हजार में

(श्री उम्मेदीलाल)

जो एक चारपाई रखी है उसको बढ़ाकर कम से कम बड़ा अस्पताल किया जाय और वहां की चारपाइयां जो हैं उनको बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम 30-40 तो रखी जावे ताकि जो मरीज आवें वह अपना इलाज करा सकें। अगर वहां बड़ा अस्पताल नहीं हुआ

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो वहां की जनता वास्तव में परेशान होगी क्योंकि जब दवादारू नहीं मिलता है तो वहां के लोग या तो भरतपुर जाते हैं या जयपुर आते हैं या आगरा जाते हैं। इसलिए....

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक माननीय सदस्य अपनी स्पीच खत्म करें तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलें तब तक पांच मिनिट के लिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री उम्मेदीलाल : अभी तो मैंने एक दो बातें रखी हैं।

सड़कों के बारे में बता दूं कि हिण्डौन एक महत्वपूर्ण जगह है, हिण्डौन से करोली जाने वाली सड़क है उसमें हजारों का ट्रैफिक चलता हैं और वह खानों को जाता है। हर साल वहां सैकड़ों एक्सीडेन्ट और दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें गरीब मारे जाते हैं लेकिन सरकार उस सड़क को डबल बना नहीं सकती जबकि वहां हर माहवार, हर महीने लाखों की संख्या में ट्रैफिक चलता है और लाखों रुपये माहवार की पैदावार होती है, फिर भी उस सड़क को डबल नहीं बना सकती। जो सड़क खानों को जाती है उसका सात मील का टुकड़ा है जिसमें से तीन मील तो बना दी और चार मील का टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार इसके लिए आश्वासन तो देती है, चुनाव जब आते हैं तब कहती है कि अब जल्दी से जल्दी सड़क बना दी जाएगी लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो चुनाव के बाद लेना एक न देना दो, होता कुछ नहीं। एक बिजली के विषय में अर्ज करना चाहता हूं। किसानों को ठीक समय पर बिजली नहीं मिलती है और उसके कारण यह होता हैं कि फसलें खराब होती हैं। उनको परेशान किया जाता है। इसलिए सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और जो कर्मचारी हैं वे सहीरूप से किसानों को बिजली पहुंचावें।

अब रहा सवाल भूमिहीनों का। सरकार कहती है कि वह भूमिहीनों को जमीन देती है। मैंने देखा है और मुझे इस बात की जानकारी है कि भूमिहीनों के नाम पर जमीनें किस को दी जाती हैं। इसके नाम पर केवल लीपापोती की जाती है। भूमि उनको मिलती हैं जो इनके रिश्तेदार होते है, पटेल होते हैं, जागीरदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको जमीनें मिलती हैं। गरीबों को जमीनें देते हैं तो एक एक बीघा जमीन देते हैं। समय पर उनको पट्टा नहीं मिलता है। कब्जा समय पर उनको संभलाया नहीं जाता है और होता क्या है झगड़ा होता है और झगड़ा होने के कारण थाने में केस जाता है। पुलिस कहती है पैसा दो और उसमें पैसा खा जाते हैं और जमीन भी जाती है और उनका जीवन भी खत्म हो जाता है। एक बात और बताद्दूं।

(श्री उम्मेदीलाल)

हिन्डोन तहसील में एक गांव बड़ गांव में पिछले साल एक अलाटमेंट हुआ। शायद नवम्बर में हुआ। 80 बीघा जमीन भूमिहीनों को अलाट की जाने वाली थी। परन्तु वहां के एस. डी. ओ. सरपंच ने तय किया और उन्होंने आपस में मिल कर गोलमाल कर लिया। इसके बाद अलाटमेंट किया। जब लोगों ने यह देखा कि यह गोरखधन्धा चल रहा है और उनको जमीन नहीं मिल रही है। केस चलाया गया और अभी तक वह जमीन उनके हाथ में नहीं हैं।

श्री सभापति : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री उम्मेदीलाल : तो सभापति महोदय, यह सिस्टम हमारी सरकार का है। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो भूमिहीनों को जमीन तो क्या बल्कि उनके रहने के लिये जमीन नहीं रहेगी। अगर जगह रहने के लिए भी नहीं है तो क्या हो सकता है। फिर आप गरीबों का नाम क्यों लेते हैं? गरीबों के नाम पर यह करते हैं। गरीबों को सुविधा क्या देते हैं? मेरी जानकारी में और मैं यह मानकर चलता हूं कि गरीब की सुनने वाला सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा नहीं है। कोई विद्रोही परमात्मा पैदा हो और वह इन गरीबों की सुने यह मैं कह सकता हूं। समाजवाद के नारे में आकर मध्यावधि चुनावों में मैंने कांग्रेस का काम किया और 15 साल से गवर्नमेंट का सदस्य होते हुए मैंने काम किया। लोगों से मैंने झूठे वायदे नहीं किये है। नल लगाने, बिजली लगाने का और स्कूल खोलने का कोई वायदा नहीं किया है।

श्री सभापति : आप जल्दी भाषण समाप्त करें। सदन का समय हो गया है।

श्री उम्मेदीलाल : मेरा टाइम हो गया हैं तो ठीक हैं। वैसे मैं इसको अपना दुर्भाग्य समझता हूं कि पीछे ही पीछे मेरा नम्बर आया। खैर, सभापति महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं परन्तु यह भी कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण यहां पर दिया है उस अभिभाषण के लिए मैं धन्यवाद देने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 5 मिनट पर दिनांक 25-3-72 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)